खण्ड-259, अंक-8
बुधवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(1 सितम्बर, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	७२९–७३३
प्रश्नोत्तर	७३३–७५८
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना ..	७५८–७५९
भूतपूर्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा का मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र से सम्बन्धित वक्तव्य	७५९–७६९
विशेषाधिकार की अवहेलना तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	७७०
बस्ती जिले के सेमरी महथावल बांध के टट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७७०
हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों के विज्ञान अध्यापकों के वेतन-क्रम में बढ़ौती के अनुरूप शासन द्वारा अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२के अन्तर्गत सूचना	७७०–७७१
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	७७१–७७२
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में आपत्ति	७७२
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी)	७७२–७७४
भारतीय सैनिकों की रणक्षेत्र में वीरता के विषय पर बधाई के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	७७४–७७५
श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री छांगुर द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद की सूचना	७७५
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (खंडशः विचार जारी) ..	७७६–७९०
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	७९०–७९१
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित) ..	७९१–८६७
१९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदान तथा १९६०–६१ के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	८६८
रामपुर जिले के किसानों से सबसे अधिक लगान वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	८६८–८७४
नत्थी	८७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधप्रतापनारायणसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी , श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देबीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बमवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, श्री कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
विशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बरेली जिले में नलकूप व रहट निर्माण में विलम्ब

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में भोजीपुरा फतेहगंज पश्चिमी व बिथरी ब्लाकों में कितने ऐसे नलकूपों व रहट के कुओं का निर्माण नहीं हो पाया है जिनके प्रार्थियों को ६ मास से भी अधिक पहले कर्जा व अनुदान क्षेत्र समितियों द्वारा स्वीकृत होकर पहली किस्त भी मिल गई थी और उन्होंने गड्ढे आदि खुदवा कर ईंट आदि भी मंगवा ली थी ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कुओं का निर्माण क्यों नहीं हो पाया ? क्या यह सही है कि नियोजन विभाग ने निर्माताओं के बार-बार प्रार्थना करने पर भी अभी तक सीमेंट नहीं दी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के नियोजन विभाग के पास, ३", ४" व ६" बोरिंग करने के लिये कितने सेट हैं? क्या यह सही है कि इनकी संख्या जिले की मांग पूर्ति के मुकाबले में अत्यन्त नगण्य है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को अविलम्ब दूर करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रश्न सं० ३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है--क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि बरेली के नियोजन विभाग के पास, ३, ४ व ६ इंच बोरिंग करने के लिये कितने सेट हैं। क्या यह सही है कि इनकी संख्या जिले की मांग पूर्ति के मुकाबले में अत्यन्त नगण्य है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को अविलम्ब दूर करेगी?

श्रीमन्, इसमें समय लगने का कौन-सा कारण है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मैं इसका जवाब देता, सवाल का जवाब आ चुका है लेकिन वह अपूर्ण है, इसलिये मैंने उत्तर देना उचित नहीं समझा। जो सेट्स हैं वे ब्लाक्स में होते हैं, कितने कहां-कहां हैं और कुछ वीअर एण्ड टीअर में पड़े भी रहते हैं, इसकी सूचना मंगाने में देर तो लगती ही है।

श्री अध्यक्ष--

क्या यह अच्छा न होगा कि जब आप यह कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है उसके साथ ही साथ कारण भी बता दें कि इस कारण से सूचना एकत्रित नहीं हो सकी।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

जहां यह लिखा जाता है वहां वह भी लिख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा न जाय, बतला दिया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

अध्यक्ष महोदय, यह सारी सूचना बरेली हेडक्वार्टर पर अवेलेबिल है। जो खराब भी होते हैं उनकी भी सूचना वहां होती है, फिर उत्तर देने में कौन सी कठिनाई है?

श्री राममूर्ति--

जब माननीय सदस्य को यह मालूम है कि हेडक्वार्टर पर सब सूचना है तो वे वहीं से पता लगा लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आपके आदेशों की तरफ ही दिलाना चाहता हूं। यह प्रश्न एक मर्तबा स्थगित हो चुका है, यह दूसरी बार स्थगित कराया जा रहा है, यह कह कर कि सूचना एकत्रित नहीं हुई। आपके आदेश यह हैं कि पहली बार कारण बताया जाय और दूसरी

बार उत्तर दिया ही जाय। लेकिन अब आप माननीय मंत्री जी के उत्तर को खेलमेल कर रहे हैं, उसका उत्तर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

एक बार तो हमारे कार्यालय की तरफ से ही अवसर दे दिया जाता है लेकिन दूसरी बार के लिये नियम यह है कि सदन में कह कर सरकार अवसर लेती है। अब जैसा कि मैंने कह दिया है, वह देरी का कारण बता दिया करेंगे जिसके आधार पर वह अतिरिक्त अवसर चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियमावली में तो यह है कि पहली बार मंत्री जी को कारण बताना चाहिये कि वह स्थगन क्यों चाहते हैं, वह तो नियमों की अवहेलना है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप निर्णय दें कि क्या माननीय मंत्री जी हमसे यह कह सकते हैं कि यह यह सूचना हेडक्वार्टर पर है और वहां से आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह यह नहीं कह सकते।

शिकोहाबाद नगरपालिका में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले की शिकोहाबाद नगरपालिका में मिठाई, शराब तथा कड़ुवे तेल में खराब चीजें मिलाई जा रही हैं जिसके कारण बहुत से लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है जिससे शिकोहाबाद की नगरपालिका के सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने मिठाई व शराब तथा कड़वे तेल की दूकान वालों के सैम्पिल भरे थे जिनको नगरपालिका के अध्यक्ष ने जबरदस्ती तोड़ दिया इस आशय के तार २१ जनवरी, १९६५ ई० को जिलाधीश मैनपुरी को व स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेशीय सरकार लखनऊ को तथा डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ को दिये हैं? यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

मैनपुरी जिले की शिकोहाबाद नगरपालिका में मिठाई, शराब तथा कड़वे तेल में खराब चीजें मिलाये जाने के कारण लोगों के अस्पताल में बीमार पड़ने अथवा कुछ लोगों के मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहां के खाद्य निरीक्षक द्वारा उपरोक्त वस्तुओं के नमूने अवश्य लिये गये थे तथा उन नमूनों के अवैध रूप में रोके तथा तोड़े जाने के प्रयासों की आशंका व्यक्त करता हुआ एक तार भी स्वास्थ्य मंत्री को मिला था। अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण भी इसी आशय के तार और पत्र के माध्यम से सम्बोधित किए गए थे। मामले के इस पहलू पर उक्त अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है। जहां तक उन नमूनों का प्रश्न है, मिठाई के दो नमूने जांच पर शुद्ध पाये गये तथा शेष नमूनों की जांच की रिपोर्ट आने पर उनके सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायगी।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने १९ तारीख को सेम्पिल भरे और उनको नगरपालिका में दाखिल किया लेकिन उनको २१ को भेजा गया? यदि यह सही है तो इसके क्या कारण हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने १९ तारीख को नमूने भरे और २० को दाखिल किये, कायदे से वह २० को ही जाने चाहिये थे लेकिन वे २१ तारीख को भेजे गये। इसकी जांच जो की गई उससे मालूम होता है कि रजिस्टर में जो तारीखें दर्ज की गई हैं उनमें रद्दोबदल की गई है और यही शिकायत सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने भी की थी कि इस तरह की कार्यवाही अध्यक्ष नगरपालिका ने कराई है। लेकिन उन्होंने इससे इन्कार किया है कि बाद में कोई गड़बड़ हुई है, अब इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेनेटरी इन्सपेक्टर ने जब शिकायत की तो उससे नाराज होकर अध्यक्ष ने सेनेटरी इन्सपेक्टर को बरखास्त कर दिया है, क्या यह सच है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वहां बोर्ड का एक प्रस्ताव पास हुआ, उसके द्वारा उसको बरखास्त किया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की वस्तुएं पकड़ी गई हैं उनमें से कोई नगरपालिका के सदस्य भी हैं और इस पकड़-धकड़ में क्या नगरपालिका की राजनीति निहित है और ९ मास बाद तक भी इन्क्वायरी रिपोर्ट न आने का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रिपोर्ट तो आ गई है और जो नमूने थे उनकी रिपोर्ट आई है कि उनमें कोई मिलावट नहीं थी और यह बात सही है कि जो तथ्य हमारे सामने हैं उनसे जाहिर होता है कि कुछ पार्टीबन्दी थी बात है, इसकी जांच एस० डी० ओ० के द्वारा हम करा रहे हैं कि २१ को नमूने क्यों भेजे गये।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सेनेटरी इन्सपेक्टर को नगरपालिका के प्रस्ताव से हटाया गया उसके खिलाफ यह भी शिकायत थी कि वह दूकानदारों से मासिक पैसा लेता था और जिनसे उसे पैसा नहीं मिलता था उनके उसने चालान किये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस तरह की शिकायत हमारे पास नहीं है, जो तथ्य हमारे पास भेजे गये हैं उनसे जाहिर है कि मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ उस सेनेटरी इन्स्पेक्टर ने किसी मुकदमें में गवाही दी थी, यह उस समय चेयरमैन नहीं थे उसके बाद में हो गये हैं। उसका कहना यह है कि इस गवाही के कारण ही वह पहले से नाराज हैं लिहाजा परेशान करने के लिये उन्होंने यह सब किया है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेनेटरी इंस्पेक्टर की बरखास्तगी का आधार और आरोप क्या थे ? क्या नमूने भेजने से ही वे सम्बन्धित थे या और आरोप भी लगाये गये थे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हमारे पास सूचना यह है कि बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ और उनको हटा दिया गया।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सेनेटरी इन्सपेक्टर जो बर्खास्त हुए हैं, उन्हें वे रिइन्स्टेट करवायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसके लिए उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं वे वैसा कर सकते हैं और नियमों के अनुसार अपील करें।

स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में हरिजन कर्मचारी

*५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से अब तक मलेरिया उन्मूलन फतेहपुर में हर प्रकार के कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये और उनमें से कितने हरिजन किन पदों पर नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७५ पर)

*६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग फतेहपुर में कितने प्रतिशत हरिजन संरक्षण पूरा हो चुका है और कितने प्रतिशत पूरा होना बाकी है और पूरा न होने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फतेहपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में लगभग ३० प्रतिशत से ऊपर हरिजन संरक्षण पूरा हो चुका है। अब और संरक्षण पूरा होना बाकी नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ७९ गृह निरीक्षकों में से १७ हरिजनों को बताया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है यह सूचना बिल्कुल गलत है। वे केवल ५-६ थे जो इस प्रश्न के पहले नोटिस देकर अलग कर दिये गये हैं। ऐसी दशा में क्या माननीय मंत्री जी सही रिपोर्ट मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सूचना आप माननीय मंत्री जी को दे रहे हैं। कुछ सूचना उनसे मांगों।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

श्रीमन्, यह जो सूचना दी गयी है, वह गलत है।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिए कोई प्रश्न पूछिये ?

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे किस आधार पर इस रिपोर्ट को सही मानते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास जो आंकड़े आये हैं, उनके आधार पर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन यदि माननीय सदस्य की जानकारी में ये गलत हैं तो फिर से मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा।

श्री वीरसेन--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वे हरिजन जो चुने गये हैं, किस-किस जाति के हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वे हरिजन हैं। उसमें भी किस किस जाति के हैं, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

यह जो मलेरिया विभाग के कर्मचारी हैं, जिनको एक माह का नोटिस दे दिया गया है नौकरी से हटाने का मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जो मलेरिया विभाग के कार्यकर्ता थे उनको और जगहों पर लगा रहे हैं। यदि उनका कार्य पहले ठीक रहा हो।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मलेरिया विभाग तोड़ा जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मलेरिया विभाग तोड़ा नहीं जा रहा है। प्रदेश में जिन-जिन युनिट्स का काम खत्म हो गया है, वहां के लोगों को हम दूसरी जगहों पर स्थान दे रहे हैं। जो जो उसके लिये उपयुक्त हों।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तालिका में जो दिया हुआ है कि ड्राइवर, चपरासी, निम्न श्रेणी क्षेत्रीय कर्मचारी, उच्च श्रेणी क्षेत्रीय कर्मचारी, चौकीदार, मेहतर व क्लर्क आदि ९-१० श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनमें कोई भी हरिजन क्यों नहीं रखा गया है और जिस को रखा गया है, उनके क्या नाम हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जो माननीय सदस्य ने फरमाया है मैं उसकी भी जांच फिर से करवा लूंगा।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग के जिन २५० कर्मचारियों को निकाला गया है और कुछ कर्मचारियों को ३१ अगस्त में निकाला जा रहा है, उनमें से कितनों को आप पुनः सर्विस में रख रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैंने अर्ज किया कि जो मलेरिया विभाग के यूनिट्स हैं उसमें ३७ यूनिट्स का कार्य समाप्त हो गया है और उनके कर्मचारियों की ३१ अगस्त को नौकरी खत्म कर दी गयी है लेकिन ऐसा इन्तजाम कर दिया है कि १ सितम्बर से यानी आज से वह दूसरे कार्य में लग जायंगे, जिनका कार्य ठीक न रहा होगा उनके अलावा।

*७--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

[स्थगित किया गया ।]

एक्सरे मशीन

*८--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रांत में ऐसे कितने सिविल अस्पताल हैं जिनमें ६ माह से एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रही हैं व खराब हैं ? सरकार द्वारा जो मशीनें खराब हैं उन्हें ठीक कराये जाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी व कब कब ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, देर क्यों हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सभी जिलों से सूचना आ रही है। ५० प्रतिशत सूचना आ भी गयी है, लेकिन पूरी सूचना नहीं है। इसलिये कह रहा हूं कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या वर्तमान मंत्रि-परिषद् के जमाने में यह सूचना आ जायगी या उसके पश्चात् आयेगी

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

ऋषिकेश-लक्ष्मण झूला मार्ग पर शराब की दूकान

*९--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)-- खंड-259, 1965

इस बात को रखते हुए कि सहारनपुर जिले में ऋषिकेश-लक्ष्मण झूला मार्ग पर कैलाश आश्रम के समीप जो देशी शराब की भट्ठी खोली गई है वह एक सार्वजनिक स्थान पर है जिससे अश्लीलता को प्रोत्साहन मिलता है तो क्या सरकार उक्त दूकान वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कथित देशी शराब की दूकान जिला टेहरी गढ़वाल में ऋषीकेश-लक्ष्मणझूला मार्ग पर स्थित कैलाश आश्रम के पीछे दो फर्लांग की दूरी पर खेनूपानी जंगल में एक एकांत जगह पर स्थित है। यह दूकान पिछले करीब चार वर्षों से इसी स्थान पर है और इस बीच किसी ऐसी घटना के घटने की सूचना नहीं है जिससे इस दूकान को स्थानान्तरित करने या बन्द करने का प्रश्न उठता। अस्तु उपरोक्त दूकान के स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सखदेवप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में वहां से कोई शिकायती पत्र आयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या है और माननीय मंत्री ने उसके संबंध में क्या व्यवस्था की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मेरे सामने कोई शिकायती पत्र नहीं है लेकिन यह मैं अर्ज कर दूं कि यह दूकान ४ वर्ष पहले वहां पर रखी गयी थी और इस दूकान की जगह तय की गयी थी सलाहकार समिति के द्वारा जिसमें इस माननीय सदन क सदस्य भी हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

सरकार की यह नीति है कि धार्मिक स्थानों पर शराब की दूकानें न खोली जायं फिर क्या कारण है कि ऋषिकेश से ४,६ फर्लांग की दूरी पर यह दूकान खोल दी गयी है? इसका क्या कोई विशेष कारण है, यदि ऋषिकेश के रहने वालों के लिये यह दूकान नहीं है तो ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह किसी धार्मिक स्थान पर नहीं है बल्कि एकांत स्थान पर जंगल के अन्दर है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जो शराब पीने वाले हैं उनके लिये कोई और रास्ता तो है नहीं फिर यह दूकान वहां से हटा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पीने वाले हैं और जिनको इतना शौक होगा वे देहरादून से भी खरीद कर पीयेंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

इस बात को देखते हुये कि जब वहां से पीकर लोग निकलते हैं तो ऊधम मचाते हैं, क्या माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जितने तीर्थ स्थान हैं वहां एक मील तक कोई भी शराब की दूकान नहीं खोली जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह दूकान तीर्थ स्थान के पास नहीं है । उस रास्ते से जो लोग गुजरते हैं वहां से भी यह दूकान नजर नहीं आती है। यह पिछले कई वर्षों से वहां चल रही है और न वहां कोई वाकया पेश आया जिससे कोई परेशानी पैदा हुई हो ।

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शराब धार्मिक स्थानों तथा शहरों में जहां बिकती है वहां पर पीने की अनुमति न दी जाय इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तो अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर में नशाबन्दी नहीं की जाती तब तक दूकानें रहेंगी ही ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह सही है कि हमारे संविधान की धारा ४७ में लिखा हुआ है कि शराब का प्रयोग केवल दवाओं और रोगों के लिये ही हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध शराब की दूकानें रखने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ऋषिकेश तथा लक्ष्मण झूले का प्रश्न है।

श्री लखपतराम शर्मा—

लेकिन श्रीमन्, संविधान में यह प्राविधान है ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे संविधान में ऐसा प्राविधान है तो ज्यादा अच्छा है कि हम आबकारी यहां बन्द कर दें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, उत्तर में कहा गया है कि चार वर्ष पहले से ये दूकानें खोली गई थीं उस समय से कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन आज आपत्ति है और यहां भी प्रश्न हुए हैं तो दूकानों को हटाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री क्षाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ज्यादा मुनासिब होता कि यह शिकायत वहां की सलाहकार समिति के पास जाती।

सहकारी बैंक, मुरादाबाद द्वारा कर्जे की वसूलयाबी

*१०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कोआपरेटिव बैंक ने जो कर्जा सोसाइटीज को मई, जून और जुलाई, १-३-६५ के पहले दिया वह साढे पांच फीसदी पर दिया गया था परन्तु जब उस कर्जे को मई, जून, १९६५ में वसूल किया गया तो ८॥ फीसदी सूद पर वसूल किया गया इसका क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां। अमानतों पर ब्याज की दर बढ़ जाने के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंक ने ब्याज की दर बढ़ाई।

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कोई बैंक प्रोनोट में लिखे गये मुआहदे के विरुद्ध वसूलयाबी कर सकता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री यह आदेश जारी करेंगे कि जो ज्यादा रुपया सोसाइटीज से वसूल किया गया उसके मेम्बरों को वापस किया जाय ?

श्री बनारसीदास—

बैंक, प्रोनोट में लिखे गये मुआहदे के विरुद्ध वसूलयाबी नहीं कर सकते। जिला सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा ब्रांच मैनेजरों को यह निर्देश दे दिये गये है कि अधिक लिया हुआ ब्याज का धन समितियों को एडजस्टमेंट द्वारा वापिस कर दिया जाय।

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कितना रुपया कोआपरेटिव बैंक, मुरादाबाद में ५॥ प्रतिशत के बजाय ८॥ प्रतिशत वसूल करके ज्यादा वसूल किया ?

श्री बनारसीदास—

जिला मुरादाबाद में जिला सहकारी बैंक से संबंधित समितियों की संख्या १२३० है जिससे लेन देन संबंधित हिसाबात बैंक की चार ब्रांचों में रखे जाते हैं। इन शाखाओं द्वारा सालाना हिसाबात बनाये जा रहे हैं। अतः धनराशि जो इस मद में समितियों से ज्यादा वसूल कर ली गई है, इस समय निश्चित रूप से उसका बताना संभव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि साढ़े पांच से साढ़े आठ फीसदी सूद के वसूलयाबी नहीं की जा सकती है लेकिन बैंक ने की है तो क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी गैरकानूनी कार्यवाही आयन्दा न की जाय इसकी जांच करायेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, यह तो बैंक के प्रस्ताव के द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर ने किया और समिति ने, चूंकि ब्याज की दर बढ़ गयी थी, वसूल करने का आदेश दे दिया। वह प्रनोट के एग्रीमेंट के खिलाफ था तो इस तरह का कोई प्रश्न उठता नहीं है।

वाराणसी जिले में परिवार नियोजन विभाग पर व्यय

*१३--श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वाराणसी जिले में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में परिवार नियोजन विभाग पर सभी प्रकार के व्ययों को मिला कर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी और उस वर्ष विभाग द्वारा शहर और देहात में अलग-अलग कितने पुरुषों और कितनी स्त्रियों को लाभान्वित किया जा सका ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी तथा जनपद शल्यक, वाराणसी से सहायक निदेशक, परिवार नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मंगवाई गयी है और इसके प्राप्त होने में समय लगेगा।

श्री रघुनाथसिंह--

मान्यवर, मैंने १९६४-६५ के लिये प्रश्न पूछा था, इसमें ५ महीने बीत चुके हैं और उत्तर में कहा गया है कि अभी समय लगेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवार नियोजन विभाग जो अपने कार्यक्रम में धन व्यय करता है उसका लेखा जोखा नहीं मंगाता है जिससे उसके आधार पर सुधार किया जा सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह सब सूचना मंगायी गयी है, मिल जाने पर पेश की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--

१५ दिन का समय दे दीजिये।

श्री रघुनाथसिंह--

१५ दिन के बाद यह प्रश्न फिर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जी हां।

रायबरेली जिले में पंचायत मंत्रियों का वकाया वेतन

*१४--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में प्रत्येक विकास खंड के पंचायत मंत्रियों को अप्रैल, १९६५ से अब तक मासिक वेतन मिला है या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला रायबरेली के कुल १६ विकास खंडों में से केवल तीन विकास खंड हरचन्दपुर, सतांव व डीह, के अतिरिक्त अन्य समस्त खंडों के पंचायत मंत्रियों का वेतन दिया जा चुका है।

विकास खंड सतांवे के पंचायत मंत्रियों को माह मई, जून व जुलाई और विकास खंड हरचन्दपुर व डीह के पंचायत मंत्रियों का माह जुलाई, १९६५ का वेतन नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि खंड विकास अधिकारियों से वेतन बिल, जिला पंचायत कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त हुये थे। अब आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् शीघ्र ही वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री रतीपाल—

इस बात को देखते हुए पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह हमेशा चार महीने में मिलती है, तो जिस प्रकार अन्य विभाग के लोगों को पहली, दूसरी तारीख को तनख्वाह मिल जाती है वैसे ही उनके लिये भी व्यवस्था करेंगे कि उनको भी पहली दूसरी तारीख को तनख्वाह मिल जाया करे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनको हमेशा मिलती रही है। यह विशेष परिस्थितियों में हो गया है। ऐसे तो व्यवस्था है ही।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी इसकी जांच करावायेंगे कि रायबरेली में ही नहीं, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, समस्त जिलों में पंचायत मंत्रियों को समय से वेतन नहीं मिलता है, तो अल्प वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी के राज्य में कौंसिल हाउस गार्ड को भी समय से तनख्वाह नहीं मिलती है, और हम लोगों को समय से मिल जाता है, उनको नहीं मिलता तो अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के लिये क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको हर महीने तनख्वाह मिल जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पंचायत मंत्री पहले गांव पंचायत के कर्मचारी थे, अब भी हैं, लेकिन उनमें काफी परिवर्तन कर दिया गया है। अब जिला परिषदें नियुक्त अधिकारी बना दी गई हैं। पहले पी० एल० ए० का रुपया निकाल कर उनको तनख्वाह दी जाती थी। अब इस बीच में जिलाधीश नियत अधिकारी बना दिये गये हैं। और सरकार चाहती है कि उनके नियत अधिकारी पंचायत अधिकारी हो जायं, जो निकाल कर पे दे दिया करें।

श्री रघुनाथसिंह—

केवल इस परिवर्तन के कारण कि अब वह जिला परिषद् के कर्मचारी कर दिये गये हैं, चार-चार पांच-पांच महीने देर होने का क्या कारण हैं क्योंकि बनारस में भी महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिन विकास खंडों से उनके वेतन बिल प्रस्तुत करने में जिला कार्यालय में देरी होती हो, तो वहां एक दो महीने की देरी हो जाती है लेकिन सरकार रुपया देती है, उसकी इच्छा है कि जैसे ही महीना बीते उनको तनख्वाह दे दी जाय।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

जो पंचायत राज मंत्री है उनके वेतन में कुछ हिस्सा गांव सभाओं से प्राप्त होता है, सवा छः रुपये अब वह जिला परिषद् के अन्तर्गत आ चुके हैं, तो गांव सभाओं का पैसा जो उन्हें उनसे वेतन के रूप में मिलता है, उसको समाप्त करके पूरा वेतन उन्हें जिला परिषद् के द्वारा ही दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पंचायत मंत्रियों का वेतन गांव सभाओं से नहीं मिलता है, वेतन तो सरकार गांव सभाओं को एड के रूप में दे देती है। उन्हें वेतन तो सरकार ही से मिलता है, केवल भत्ता गांव सभाओं से मिलता है, जो १२–१४ रुपया होता है। इस व्यवस्था में, अभी परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

गाजीपुर जिले में कुओं की बोरिंग के लिये पावर रिंग

*१५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के लिये कुयें की बोरिंग करने के लिये कोई पावर रिंग बस्ती से दिया गया है ? यदि हां तो क्या यह सत्य है कि उसका कोई पार्ट रोक लिया गया है जिससे गाजीपुर में मशीन बगैर उस पार्ट के काम नहीं कर सकी है ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। परन्तु "पावर रिंग" का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रोका गया है जिसके अभाव से मशीन न चल सके। अतएव किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पावर रिंग गाजीपुर जिले में किस तारीख को पहुंचा ? किस तारीख से उसने कार्य करना आरम्भ किया और उससे कितना कार्य गाजीपुर में हुआ ?

श्री राममूर्ति—

मई महीने में पहुंचा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा टूट गया था, जिन्हें मंगाने में देर हुई। इससे अब तक ३ बोरिंग हो चुकी हैं और आजकल गाजीपुर में किसी कालेज में बोरिंग का कार्य हो रहा है। कार्य में इसके कुछ कमी नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जब यह मशीन आई थी, उसके १० दिन बाद गाजीपुर के डी० पी० ओ० से मैंने पूछा तो उन्होंने साफ कहा था कि बस्ती जिले के लोगों में एक पार्ट रोक लिया है। तो इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, तो क्या इसे मेरी व्यक्तिगत सूचना मानकर मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि बस्ती से जब यह मशीन भेजी गयी थी, तब उसका पार्ट बस्ती में इस उम्मीद से रोक लिया गया था कि यह मशीन बस्ती में फिर वापस कर दी जायगी ? और इस कारण से यह मशीन मेरे जिले में चली ही नहीं है, तो क्या इसकी जांच आप करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जो बाकया है जिसकी मुझे जानकारी है, यह है कि गाजीपुर में इसने ३ का बोरिंग किया और चौथे पर बोरिंग कर रहा है। जब पार्ट रोका नहीं गया तो उसे वापस करने की क्या बात है।

श्री कमला सिंह यादव—

मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं। एक पार्ट बस्ती में रोक लिया गया यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, तो इसको सूचना मानकर माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे, मैं पार्ट टूटने की बात नहीं करता, लेकिन जब मशीन आई थी, तब ही उसका पार्ट कम था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, उस मशीन को बोरिंग करने में जितने सामान की जरूरत है और जो गाजीपुर में जाकर वह बोरिंग कर सकता है, ऐसा कोई पार्ट रोका नहीं गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

प्लानिंग विभाग से यह निजी रूप से नलकूप लगाने के लिये तकावी दी जाती है और सिंचाई विभाग के पास इस तरह की मशीन है जिससे कुओं में बोरिंग की जाती है, किन्तु जिसे निजी नलकूप लगाने वाले लोग विभाग से किराये पर भी नहीं पाते गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग के पास एक मशीन है । मैं जानता हूं कि लाखों रुपया हर जिले में निजी नलकूप लगाने के लिये सरकार तकावी के रूप में देती है, लेकिन बोरिंग करने के लिये जो मशीन है वह गाजीपुर जिले में नहीं है । तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जो निजी रूप से अपने से कर्ज लेकर नलकूप लगवाना चाहते हैं, उनको कहां की मशीन बोरिंग के लिये उपलब्ध हो सके ?

श्री राममूर्ति—

हर जिले में मशीन नहीं है । मशीन सरकार के पास थोड़ी है, कुल शायद ७–८ मशीनें हैं । हम कोशिश में हैं कि हमें ५० मशीनें और मिल जायें । इस वक्त जहां मशीन नहीं है, बोरिंग का काम हाथ से किया जाता है । यह बात ठीक नहीं है कि जहां हाथ से बोरिंग होती है वह कामयाब नहीं होती है ।

श्री रघुनाथसिंह—

कुयें की बोरिंग के लिये प्रार्थना-पत्रों की भरमार लगी रहती है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जब बस्ती से गाजीपुर बोरिंग के लिये मशीनें आयीं थीं तो पहले किस कुंय की कब और किस गांव में बोरिंग की गयी थी ?

श्री राममूर्ति—

इतना डिटेल्ड इन्फार्मेशन नहीं है । इसके लियें नोटिस की आवश्यकता है ।

किशनी निवासियों की पुलिया बनान के लिये प्रार्थना

*१६—श्री इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें २२ अप्रैल, सन् १९६५ को कोई प्रार्थना-पत्र किशनी, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का जगदीशपुर वाया रानीगंज होते हुय एक कच्ची सड़क जो बाजार शुकुल तक जाती ह, उस पर एक पुलिया जो कि टूटी हुई है उसको पुनः निर्माण आदि कराने के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

[१ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

संराधन समिति, बरेली सम्बन्धी विवाद

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५४ से अब तक टरपिनटाइन रोजिन एन्ड बाविन फैक्ट्री लबर यूनियन, बरेली द्वारा क्षेत्रीय संराधन समिति बरेली में तीस से ऊपर विवाद लगाये गये

परन्तु सरकार ने केवल २ विवाद ही श्रम न्यायालय को अभिनिर्णय हेतु भेजे ? यदि हां, तो इतने कम विवाद श्रम न्यायालय को भेजने के कारण क्या हैं और अविशिष्ट विवादों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। इस अवधि में संराधन समिति बरेली में कुल ६४ विवाद उठाये गये जिसमें से केवल २ विवाद ही अभिनिर्णय के योग्य समझे गये, और उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद को विचारार्थ भेजा गया। शेष ६२ विवादों की स्थिति इस प्रकार है :

३६ विवाद तथ्यहीन न होने के कारण निरस्त किये गये, ६ विवाद यूनियन द्वारा वापस ले लिये गये, १६ विवादों में आपसी समझौता हो गया तथा ४ विवाद विचाराधीन हैं जिनमें से १ को अभिनिर्णय हेतु भेजने का निर्णय ले लिया गया है।

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री एस० एस० एल० कक्कड़, आई० ए० एस०, चेयरमैन, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स इंडियन टरपिन टाईन एन्ड रोजिन कम्पनी लि० (बरेली) द्वारा कैम्प आफिस नैनीताल से लिखे गये पत्र संख्या ५६-(एस)-५८, तिथि १ जुलाई, १९५८ में उल्लिखित इस वाक्य के बावजूद "कि हड़ताल में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जायेगा" उपरोक्त कम्पनी ने जून, १९५८ की हड़ताल में भाग लेने वाले २८ व्यक्तियों को निकाल दिया और उनमें से ६ को आज तक काम पर नहीं लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

तत्कालीन चयरमैन श्री कक्कड़ ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। अनुशासनहीनता के आरोप पर निकाले गये २८ श्रमिकों में से २२ की नई नियुक्ति की गई, जिनमें से एक श्रमिक स्वेच्छा से काम पर उपस्थित नहीं हुआ और ६ श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया क्योंकि इनको कारखाने के लिये हितकर नहीं समझा गया।

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि जिन २२ हड़तालो व्यक्तियों को काम पर लिया गया उन पर लगाये गये आरोप उपरोक्त शेष ६ व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों के बिलकुल समान थे ? क्या यह भी सही है कि जिन २२ व्यक्तियों को काम पर लिया गया उनकी पुरानी सर्विस नहीं लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। वास्तव में २१ श्रमिकों के ऊपर एक प्रकार के आरोप थे, तथा ७ पर दूसरी प्रकार के। २१ में से २ और ७ में से ४ नहीं लिये गये थे।

यह सही है कि जिन व्यक्तियों को काम पर लिया गया था उनकी पुरानी सर्विस नहीं लगाई गई क्योंकि उनकी नई नियुक्ति की गई थी और उनकी पिछली सर्विस खंडित और समाप्त हो चुकी थी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इस पर अलग-अलग प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न अलग से करने की अनुमति दीजिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है करिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विवाद संख्या सी० बी ३२/बी-५८, की संराधन समिति के सुपुर्द किया गया था सन् ५८ में, लेकिन श्रमायुक्त के पत्र संख्या १४७६, दिनांक १९-२-६५ के द्वारा बलहीन कह कर ७ वर्ष के बाद लिया गया । यदि हां, तो इतनी देर लगने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

इसमें जांच करना पड़ता है और देर लगना स्वाभाविक है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार बतायगी कि जो २ विवाद अभिनिर्णय के योग्य पाये गये वे संराधन समिति को कब भेजे गये और कब ६४ में से ३६ विवाद जो ताथ्यहीन पाये गये और निरस्त किये गये और २ वर्ष बाद बलहीन पाकर निरस्त घोषित कर दिये गये ?

श्री बनारसीदास—

इनमें से पहला तो ५५ का है और दूसरा सन् ६३ का है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार विश्वास दिलायेगी कि ७-७-८-८ और १०-१० वर्ष लग जाते हैं और इससे श्रमिकों क हितों की सुरक्षा नहीं होती है और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता । तो क्या सरकार इस सदन को विश्वास दिलायेगी कि कोई तरीका ऐसा अपनाया जायगा जिससे अभिनिर्णय में देरी न लगें और उन पर जल्दी फैसला हो जाया करे ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रश्न के दो भाग है । जिस वक्त कोई प्रश्न एडजुडिकेशन को निर्णय के लिये भेजा जाता है उसमें देरी पर नियन्त्रण करना कठिन होता है । प्रायः यह देखा गया है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि कभी-कभी काफी बिजी होते हैं तो उनके सामने जा नहीं पाते हैं । मिल मालिक भी जा नहीं पात हैं तो दोनों मिलकर एडजर्नमेन्ट सीक करते हैं जिसकी वजह से देर लग जाती है । जहां तक संराधन समिति का सवाल है तो उसमें दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर समय कम लगे । आमतौर पर तजुर्बे से यह देखा गया है कि करीब १ साल का समय लग जाता है । हम बारबार तीसरे महीने मीटिंग करते हैं और कैसेज को रिव्यू करते हैं ताकि कसी सरत में ३,४ महीने से ज्यादा न लगे लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि माननीय सदस्य आश्वासन चाहते हैं तो हमारा प्रयास यह रहता है कि इस तरह के केसेज जल्दी ही फैसल हो जायं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

यह जो मजदूरों के विवाद हैं इनको हल करने के दो तरीके हैं । एक तो एडजुडिकेशन में भेजने का और दूसरा तरीका यह कि उनको सरकार के पास भेज दिये जांयं । मै मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस तरह की नीति बनायें कि कोई भी झगड़ा हो एडजुडिकेशन में न दिया जाय यहीं पर उसका फैसला हो जाय ताकि उसमें देर न हो ?

श्री बनारसीदास—

यह तो मुख्य नीति का सवाल है । इंडियन लेबर कान्फ्रेन्स में भी यह विवादों का सवाल आया था । अगर इन सभी मामलों को एडजुडिकेशन के सामने भेजा जाता है तो उनके अन्दर

काफी देर लग सकती है। यह देखने की बड़ी आवश्यकता है कि कहीं कोई ऐसा केस हो जो एडजुडिकेशन में भेजने के काबिल है तो लेबर विभाग उसकी छानबीन करता है। अगर विभाग समझता है तो भेजते हैं। बहुत से मामले गवर्नमेंट खुद भेजती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब संराधन अधिकारी के पास कोई मामला निर्णय के लिये जाय और वहां निर्णय न हो सके और लेबर यूनियन ऐसा महसूस करे कि उसको निर्णय के लिये एडजूडिकेशन में भेजना जरुरी है तो क्या अनिवार्य रूप से उसको वहां भेज दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास—

हम बहुत जल्द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट संशोधन बिल ला रह हैं। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जैसा कि मंत्री जी जवाब दिया। प्रायः देखा गया है कि जिन केसेज को एडजूडिकेशन में भेजा गया वहां उनको खत्म कर दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन केसेज के विषय यदि मंत्री जी को पुनः दरख्वास्त दी जाय और उनसे कहा जाय कि इन कसेज को खारिज कर दिया गया और उनको एडजूडिकेशन में न द उनको आप स्वयं देखें कि उनमें कोई तत्व है या नहीं, उनको वहां पर भजा जा सकता है ? तो उन मामलों में मंत्री जी पुनरीक्षण करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

प्रायः ऐसा होता है। बहुत से केसेज जिनको निर्णय के लिये नहीं भेजा जाता है मेरे पास आते हैं और बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें मैं सन्तुष्ट हुआ और उनको निर्णय के लिये भेजा गया। अगर कोई माननीय सदस्य भेजेंगे तो उनकी मेरिट पर विचार करक देखा जायगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल सरकार के यहां सन् १९५६ से विचाराधीन है और इसके आने के बाद ही ये तमाम झगड़े तय हो सकते हैं। तो क्या सरकार इस वर्ष इसको लाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बनारसीदास—

हमारा पूरा इरादा है और ४ तारीख को लेबर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है। उसमें इसको विचारार्थ रखा है। उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र सदन के सामने लायेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि आप की इस समिति में पक्षपात होता है और मैं इसके उदाहरण दे दूं। इसी यूनियन द्वारा ८६ बी०, सन् ६२ का एक केस था जो लेबर कमिश्नर द्वारा तथ्यहीन बता कर रद्द कर दिया गया और उसी किस्म का एक केस बरेली फैक्ट्री का था उसे अभिनिर्णय के लिये रोक लिया गया। तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पक्षपात होता है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

इसका उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। अगर आप इन केसेज को भेजेंगे तो जांच कराऊंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिन ६ श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया उनके ऊपर वैसे ही आरोप थे जैसे दूसरे श्रमिकों पर थे, फिर इनको नौकरी में लेना फैक्ट्री के हित में क्यों नहीं माना गया ?

श्री बनारसीदास—

इन श्रमिकों के खिलाफ अभियोग था कि इन्होंने ब्यावलर की स्टीम का प्रेशर कम कर दिया जिसकी वहज से फैक्ट्री को सवा चार लाख रुपये का नुकसान हुआ और यह जानबूझ कर किया इस बात की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इस वजह से इनको नौकरी से पृथक कर दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व चेयरमैन बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स श्री कक्कड़ ने अपने इस पत्र में इस प्रकार लिखा है कि :

"There is no question of victimisation of any workmen for participation in the strike". तो इन ६ व्यक्तियों को सरकार कब तक नौकरी में ले लेगी ?

श्री बनारसीदास—

किन्तु इसका दूसरा भाग, आगे वाला हिस्सा माननीय सदस्य ने नहीं पढ़ा जिसमें लिखा है कि :

"I may, however, make it clear that so far as workers against whom disciplinary action has already been taken in connection with this strike are concerned their cases will be separately reviewed." तो इसकी जांच की गयी थी और यह पाया गया कि इन ६ व्यक्तियों ने फक्ट्री को हानि पहुंचाने का यत्न किया था। बाकी वर्कर्स, जिन्होंने हड़ताल की उनको लिया गया। इन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित किया इसलिये उनको नहीं लिया गया।

*४–६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७–८—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९–११—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये ।]

सुपरिंटेन्डेंन्ट लेदर स्कूल, फतेहपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

२७ अगस्त, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सुपरिटेन्डेन्ट लेदर स्कूल, फतेहपुर के विरुद्ध २०–२५ हजार रुपये के गोलमाल के आरोप हैं और स्वंय उद्योग उपमंत्री ने ४ नवम्बर, १९६३ को मौके पर पकड़ा है तो ऐसे संगीन आरोपों की एक वर्ष से अधिक समय की शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

सुपरिटेन्डेन्ट लेदर स्कूल, फतेहपुर के विरुद्ध सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न दोषारोपों के विषय में उचित जांच अथवा कार्यवाही की जा रही है।

*१३—श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

उक्त प्रश्न ३६ के ही उत्तर के सदर्भ म क्या मुख्य मंत्री बतायेंग कि कथित पत्रों के आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक उद्योग, इलाहाबाद कब तक पूरी कर लेंगे और रिपोर्ट कब तक सदन की भेज पर रक्खी जावेगी ?

श्री बनारसीदास—

संयुक्त निदेशक उद्योग, इलाहाबाद से विभिन्न दोष रोपों के संबंध में जांच पश्चात् एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सरकार के विचाराधीन है। चूंकि उक्त रिपोर्ट गोपनीय है। अतः उसका सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

लेदर टैनिंग स्कूल, फतेहपुर के सुपरेंटेंडेन्ट ने २०, २५ हजार रुपये को गबन किया और मंत्री जी ने उसे मौके पर देखा। तो इस संबंध में मै तीन, चार सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या मंत्री जी को याद है कि २७ अगस्त, १९६४ को प्रश्न ३६ के उत्तर में मंत्री जी ने ११ आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद द्वारा किये जाने की सूचना दी थी। और आज के प्रश्न में भी यह सूचना दी है कि जांच हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने संगीन आरोपों की ३ साल से जांच नहीं हो सकी तो वह कितने दिनों तक जांच होने के बाद रिपोर्ट मिलेगी ?

श्री बनारसीदास—

आरोप चूंकि गम्भीर प्रकार के थे, इसलिये सब की जांच असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर द्वारा करायी गयी। उनकी रिपोर्ट गोपनीय है। उसके आधार पर जो आरोप पाये गये उनको पुनः डी० आई० जी० के सुपुर्द किया गया है और सी० आई० डी० कि रिपोर्ट आने पर आवश्यक कायवाही की जायगी।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

क्या यह सही है कि इन आरोपों की संगीनता को देखते हुए और उसके बाद भी वही कार्य-वही चालू रखने के कारण विधि अधिकारियों ने गत वर्ष उक्त सुपरिटेंन्डेन्ट को तनज्जुल करके फोरमैन की जगह पर आगरे भेजा, किन्तु कुछ स्थानीय नेताओं की अप्रोच पर उन्हें पुनः उसी स्थान पर रख कर उसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला करने की आजादी दी गयी ?

श्री बनारसीदास—

इस संबंध में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बाद में देख कर बता सकता हूं, लेकिन जितनी भी अधिकारी की रिपोर्ट हमारे पास आयी है अगर हम उसको कुछ नहीं समझते तो सी० आई० डी० को क्यों भेजते ? वह सी० आई० डी० को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गयी है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

प्रश्न यह है कि जब प्राइमा फैसी इसमें गम्भीर आरोप थे तो विभागीय अधिकारियों में इसमें स्वयं जांच करने से पहले इस मामले को पुलिस को क्यों नहीं सौंप दिया ? विभागीय अधिकारियों ने जांच की, आरोप सिद्ध हुए तब सी० आई० डी० को दिया गया, तो ऐसे गम्भीर मामलों को पहले ही पुलिस को क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

अगर इस प्रकार के मामले बिला ठीक जांच के पुलिस को दिये जांय तो सरकार का ज्यादा पैसा व्यय होता है और लाभ कुछ होता नहीं है। इसमें बहुत से आर्थिक प्रश्न सन्निहित थे,

इसलिये आडिट करना प्रापर था, और वह फाइनेंशियल कंट्रोलर द्वारा कराया गया। उनकी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये यह पुलिस को दिया गया।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जब संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग की गुप्त रिपोर्ट इतनी संगीन थी कि वह सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती थी तो वह रिपोर्ट जब ४ माह पहले आ चुकी है तो अब तक उस अधिकारी को मुअत्तल न करने या अन्य सजा न देने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

ऐसी हालत में डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन को अधिकार है। अगर कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाय, फिर उसको रिइंस्टेट किया जाय तो सारी तनख्वाह देनी पड़ती है और सब्सटेंशियल अलाउन्स देना पड़ता है। यह तो जांच करने की बात है।

श्री रक्षपालसिंह—

यह सुपरिंटेन्डेन्ट जिनके विरुद्ध ये आरोप लगाये गये हैं वह चारित्रिक और गबन के हैं और इन सब कारणों से मंत्री जी, शिवप्रसाद जी ने जाकर इन्क्वायरी की और दो बार यहां के एक मंत्री महोदय के पी० ए० हैं उनसे मिलकर ट्रांस्फर भी स्थगित करा लिया तो जो कुछ भी करना है, उन पर कार्यवाही कब तक हो जायगी ? यह तीन साल से फतेहपुर में मामला गंधा रहा है।

श्री बनारसीदास—

मैंने उत्तर दिया है कि यह पुलिस के सुपुर्द हमने किया है।

मगरौरा ब्लाक में तकावी के पये का गबन

*१४—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को पता है कि जिला प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा द्वारा नवम्बर सन् १९६२ में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुछ फर्जी लोगों को तकावी बांटी गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में उस विकास खंड के किन-किन कर्मचारियों को चार्जशीटेड एवं निलम्बित किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां।

इस संबंध में श्री एस० पी० सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया और उन पर तथा श्री सरीफ हसन, कैशियर पर चार्ज लगायेंगे।

*१५—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार को पता है कि मंगरौरा ब्लाक के अन्तर्गत कोंहड़ौर हल्का के ग्राम सेवक एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ने उन फर्जी लोगों के जैसे सर्वश्री मुशीरजा, बाबू लाल एवं यज्ञनारायण क्रमशः ग्राम बिजरा व धरौली के फर्जी तकावी फार्मों को प्रमाणित किया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित दोनों कर्मचारियों का बयान लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। संबंधित ग्राम सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी, (कृषि) मंगरौरा ने केवल तकावी फार्मों को प्रमाणित किया था। इन दोनों कर्मचारियों के बयान लिये गये है।

*१६—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तात्कालिक नियोजन अधिकारी ने गबन के बाद मंगरौरा ब्लाक के हेड क्वार्टर जो कि तहसील पट्टी के देहात का ब्लाक है बिना विकास समिति की राय लिये ही उसे नगरपालिका एवं सदर तहसील प्रतापगढ़ में (महुली में) स्थानान्तरित कर दिया है? यदि हां, तो क्या उसे पुनः कोंहड़ौर ले जाने के लिये आदेश देगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

गबन के बाद मंगरौरा ब्लाक कार्यालय कोहड़ौर से महुली क्षेत्र समिति के प्रमुख एवं क्षेत्र विकास अधिकारी के संस्तुति पर प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से राजकीय कार्य हित सुरक्षा एवं क्षेत्र समिति के सदस्यों की न्यून उपस्थिति को विचार में रखते हुये किया गया है। कोहड़ौर में सुरक्षित स्थान मिलने पर कार्यालय महुली से स्थानान्तरित करने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकिंकर—

श्री सरीफ हसन के खिलाफ क्या-क्या चार्जेज थे, मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, इस ब्लाक में ७२०० रुपये बांटे गये थे और उसके बांटने में गड़बड़ी हुई। उसका गबन हुआ। उसमें यह लोग शामिल थे। यह चार्जेज उनके खिलाफ थे और पहले उनको मुअत्तल किया गया फिर शायद डिसमिस भी किया गया। मैंने आदेश दिये हैं कि बाकी लोगों के खिलाफ भी जो इसमें शामिल थे, सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री रामकिंकर—

जिन बी० एल० डब्लू० और ए० डी० ओ० ने फर्जी प्रार्थना-पत्र प्रमाणित किये थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

श्री राममूर्ति—

मैंने आश्वासन दिया कि जिन लोगों पर भी सस्पीशन है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैंने उसके लिये आदेश दे दिये हैं।

श्री माताप्रसाद (ज़िला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इसमें जब और लोगों का हाथ था, तो उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री राममूर्ति—

मैं अपनी बात को दोहरा दूं। मैंने कहा कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

वह कौन-कौन से लोग हैं जिनको तकावी बांटी गयी, क्या वे ऐसे लोग हैं जिनका उस क्षेत्र में पता नहीं है?

श्री राममूर्ति—

यह सही बात है कि गलत आदमियों को बांटी गयी। जिनको यह दी गयी, उनका वहां पता नहीं चला। तभी तो यह सीरिअसनेस पैदा हुई।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

कुल रकम कितनी फर्जी बांटी गयी ?

श्री राममूर्ति—

मैंने बताया कि ७,२०० रुपये का गबन है ।

श्री रघुनाथसिंह—

इस गबन के मामले में ही अभी एक सुपरिंटेंडेंट के मामले में श्रम मंत्री जी ने कहा कि उसको मुअत्तल इसलिये नहीं किया गया कि अगर जांच के बाद मामला झूठा साबित होता तो उसको सस्पेंडड पीरियड की पूरी तनख्वाह दनी पड़ेगी । इनके खिलाफ तो २४–२५ हजार के गबन का कस था । तो सरकार की इस केस में अब यह नीति है, तो माननीय राममूर्ति जी न अपने यहां लोगों को कैसे सस्पेंड कर दिया ? क्या सरकार उनको पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद मुअत्तल करेगी या कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि डा० साहब ने फरमाया वह श्रम मंत्री ने सुन लिया लेकिन जहां तक केसेज का ताल्लुक है वह सब मेरिट्स पर देखा जाता है ।

श्री बैंजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन में बताया गया है कि ७,२०० का गबन है । इतना गम्भीर प्रश्न है । तो ये फर्जी आदमियों के नाम को ए० डी० ओ० और ग्राम सेवक दोनों ने प्रमाणित किया है उनको सजा न देकर, बी० डी० ओ० को सजा होनी चाहिये जिसने प्रमाणित करके उनको तकावी बांटी ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में जब बात आई तभी ऐक्शन लेने की बात आई । जब हाउस म इसका पहिल क्वेश्चन हुआ था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि जैसे ही नोटिस में बात आई उसी वक्त मैंने हुक्म दे दिया कि इन सबके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय, इनको सस्पेन्ड किया जाय ।

*१७–१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों का स्थायीकरण

*२०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के ब्लाक डेवलेपमेंट आफिसर्स तथा ए० डी० ओज और बी० डी० ओज और वी० एल० डब्ल्यू को मुस्तकिल करने का मामला विचाराधीन है । यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों को भी approve करने जा रही है जो ३ साल से अधिक, आफिसियेटिंग कैपेसिटी में काम कर चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—

सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है । परन्तु उन कर्मचारियों को जिनका इन पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं उस समय तक नियतिम रूप से नियुक्ति हेतु approve नहीं किया जा सकता जब तक कि वे किसी चुनाव द्वारा अनुमोदित न हो जायें ।

नोट—तारांकित प्रश्न १६ क उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[श्री राममूर्ति—]

२—सहायक विकास अधिकारियों में से सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) को छोड़कर अन्य सभी सहायक विकास अधिकारी अपने संबंधित विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं और वे ही विभाग उक्त पदों पर स्थायीकरण के आदेश करेंगे। सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) क सब ही पद अभी अस्थायी ह इसलिय इन पर स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खंड तोड़ना

*२१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार कौन-कौन ब्लाक तोड़े जा रहे हैं और इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जिलेवार कौन-कौन ब्लाक तोड़े जायं इसमें अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विकास खंडों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर विचार करन का मुख्य कारण खच में जहां तक सम्भव हो कमी करना है ।

*२२-२३—श्री राजेन्द्रसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

श्रमिक संघ चीनी मिल, बलरामपुर का कथित मांग-पत्र

*२४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च, १९६५ को अथवा उसके आस-पास श्रमिक संघ चीनी मिल, बलरामपुर (गोन्डा) द्वारा वहां के चीनी मिल मजदूरों की मांगों के संबंध में कोई मांग-पत्र उन्हें मिला ? यदि हां, क्या सरकार उक्त मांग-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि उस मांग-पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*२५-श्री उल्फतसिंह यादव—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले में सहकारी कृषि समितियां

*२६—श्री उग्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कुल कितनी सहकारी कृषि समितियां हैं ?

श्री बनारसीदास—

देवरिया जिले में कुल २६ सहकारी कृषि समितियां हैं ।

*२७—श्री उग्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों को सरकार से कौन-कौन सुविधाएं किस-किस मात्रा में दी गईं और चकबन्दी में उन्हें क्या सुविधा मिलती है ?

श्री बनारसीदास—

इन समितियों में से २१ कृषि समितियों को सहकारी बजट से निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई है :

वर्ष		अनुदान	ऋण	राजकीय हिस्सा
६१–६२	..	५००.००	२०,०००.००	७,५००.००
६२–६३	..	६६६६.६६	३५,०००.००	६,०००.००
६३–६४	..	११,४६६.६४	३०,५००.००	४,५००.००
६४–६५	..	१५,१३३.३४	६६,७५०.००	१५,०००.००
योग	..	३४,०६६–६४	१५५,२५०–००	३३०००–००

२—चकबन्दी के संबंध में आयुक्त चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को यह आदेश दिय गये हैं कि यथासम्भव, चकबन्दी अधिनियम क प्राविधान क अनुसार सहकारी कृषि समितियों म सम्मिलित भूमि की चकबन्दी म सुविधा प्रदान कर ।

*२८–३०—श्री ऊदल—

[स्थगित किये गये ।]

कानपुर की सूती मिलों पर श्रमिकों की ग्रेच्युटी

*३१—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की कितनी सूती मिलों के ऊपर मजदूरों की ग्रेच्युटी अभी तक बकाया पड़ी है ?

श्री बनारसीदास—

जुलाई, १९६५ तक कानपुर की निम्नलिखित चार सूती मिलों में कुल ३३९ श्रमिकों की ग्रेच्युटी का लगभग तीन लाख रुपया बकाया था :

१—जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स——७६ श्रमिक

२—म्योर मिल्स—२४४ श्रमिक,

३—आर्थर्टन वेस्ट मिल्स—१० श्रमिक,

४—न्यू विक्टोरिया मिल्स—९ श्रमिक,

इनमें वे श्रमिक शामिल नहीं हैं जिनको इस्तीफा दिये अभी ९० दिन पूरे नहीं हुए हैं ।

राजकीय अस्पताल, सरायमीर

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा सरायमीर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत जो राजकीय अस्पताल हैं उस अस्पताल एवं वहां क डाक्टर, कम्पाउन्डर एवं मरीजों के रहने के लिय अभी तक सरकारी इमारतें नहीं बनी हैं ? जिससे संबंधित व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त इमारतों के निर्माण की कोई योजना तैयार की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कस्बा सरायमीर में जो सरकारी अस्पताल है वह किराये की इमारत में हैं। अभी अस्पताल एवं डाक्टर, कम्पाउन्डर एवं मरीजों के रहने के लिये इमारत बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अस्पताल को दवा के लिये कितना रुपया वार्षिक मिलता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल को २,५०० रु० सालाना दवा के लिये आवर्त्तक रूप में मिलता है।

कुसमरा चिकित्सालय में डाक्टर न होना, सोरों में जच्चा बच्चा केन्द्र

*३४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

१० फरवरी, १९६५ ई० के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १७ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुसमरा व किशनीं ग्रामों में डाक्टर पहुंच गये ह या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक पहुंच जावेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैनपुरी जिले के कुसमरा चिकित्सालय में दिनांक २८-१०-६३ से चिकित्सक नहीं है। चिकित्सकों के अभाव के कारण वहां पर अभी तक कोई चिकित्सक नियुक्त नहीं किया जा सका है। चिकित्सकों के उचित मात्रा में उपलब्ध होने पर चिकित्सक की नियुक्ति की जावेगी। किसनी चिकित्सालय में डा० जे०एल० अग्रवाल दिनांक २०-७-६५ से कार्य कर रहे हैं।

*३५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोरों, जिला एटा नगरपालिका ने कोई प्रस्ताव दिनांक २८ जनवरी, १९६५ को जच्चा-बच्चा केंद्र खोलने के संबंध में सरकार द्वारा लिखित आधार पर पारित किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है तथा वहां अब तक जच्चा-बच्चा केंद्र न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, वह प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

नगरपालिका सोरों, जिला एटा ने यह प्रस्ताव किया कि आगामी वर्ष के बजट में ३०० रु० फर्नीचर क्रय के लिए और २०० रु० औषधियों के क्रय और एक पुरुष नौकर के लिए रखा जाय। बोर्ड केंद्र के लिए एक उचित भवन का प्रबन्ध करेगा। प्रसाविका (मिडवाइफ) का वेतन रेड क्रास के रुपये से जो कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपबलब्ध है, दिया जाना चाहिये।

जच्चा बच्चा केंद्र के लिए मिडवाइफ के वेतन का प्रबन्ध अभी तक नहीं हो सका है क्योंकि जिला रेड क्रास शाखा ने इसके लिए व्यय की व्यवस्था के लिये असमर्थता प्रकट की है।

*३६—श्री रक्षपालसिंह—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

बांदा जिले को जनशक्ति योजना में लेने की प्रार्थना

*३७--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले को सरकार जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ले रही है? यदि हां, तो जिले के किन-किन ब्लाकों को लेने का विचार है?

श्री राममूर्ति--

फिलहाल तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बांदा जिले को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत लेना संभव नहीं है।

तदनुसार इस समय यह बताना कठिन है कि इस जिले में कौन-कौन से ब्लाकों को उपरोक्त योजना में लेने का विचार है।

*३८--श्री बृजमोहन लाल गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में बड़ोखर ब्लाक के अन्तर्गत जारी, खो रही, सेमरा, सेमरी तक सड़क बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या इस सड़क का सर्वे हो चुका है?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में दर्शाये गये कारणों से फिलहाल इस सड़क को ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत बनवाने तथा उसके सर्वे का प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*३९--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग में से कितने कर्मचारी निकाले जा रहे हैं? क्या यह विभाग समाप्त किया जा रहा है? यदि हां, तो इन कर्मचारियों के लिये सरकार किस जगह सेवा का अवसर प्रदान करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मलेरिया विभाग से ५,८२३ कर्मचारियों को ३१-८-६५ से उनकी सेवायें समाप्त होने का नोटिस दिया गया है।

मलेरिया विभाग की केवल ३५.७५ यूनिटें जिनमें मलेरिया उन्मूलन का कार्य समाप्त हो चुका है, समाप्त की जा रही हैं। शेष ३१.२५ यूनिटों में मलेरिया उन्मूलन का कार्य अभी चालू रहेगा। निकाले हुए कर्मचारियों को मलेरिया संधारण तथा परिवार नियोजन योजनाओं में लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि लगभग ५,१०० कर्मचारी इन योजनाओं में नियुक्त कर लिये जायेंगे।

*४०--श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इन निष्कासित कर्मचारियों में कितने व्यक्ति स्थायी हैं? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों में जिनकी सर्विस ३ वर्ष से अधिक है उनको स्थायी न करने का क्या कारण है? और इन कर्मचारियों के आश्रितों की जनसंख्या कितनी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इन निष्कासित कर्मचारियों में कोई व्यक्ति स्थायी नहीं है क्योंकि मलेरिया उन्मूलन योजना केवल निश्चित समय के लिए है और इस संबंध में जितने पद स्वीकृत हैं वे स्थायी

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

नहीं है। अतएव मलेरिया उन्मूलन योजना के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

*४१-४३--श्री रघुनाथसिंह—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४६—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

[प्रश्नकर्ता की प्रार्थना पर ८ वें बुधवार के लिये प्र० सं० ३-५ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

खीरी अस्पताल में श्री श्रीगोबिन्द का देहांत

*४७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के सदर अस्पताल में दिनांक ३ व ४ अगस्त, १९६५ की रात्रि में गन्ना यूनियन हरगांव, जिला सीतापुर के डाइरेक्टर, श्री गोबिन्द का देहांत हैजा की बीमारी के कारण हो गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां।

*४८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सही है कि सदर अस्पताल के इंचार्ज डाक्टर व सिविल सर्जन ने रोगी को प्रवेश के दो घंटे बाद देखा और इस लापरवाही के कारण ही यह दुखद मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो सरकार क्या इस मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। श्री श्रीगोबिन्द अस्पताल में २ अगस्त, १९६५ को भरती हुए थे। भरती होने के लगभग आध घंटे बाद मेडिकल आफिसर इंचार्ज ने उन्हें देखा। सिविल सर्जन उस दिन गवाही देने बिजनौर गये हुए थे। अतः वहां से लौटने के बाद उन्होंने रोगी को दूसरे दिन देखा। मामले की जांच द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि रोगी की चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं हुई। अतः और किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना देनी है। वह सूचना यह है कि कल जो मैंने वायदा किया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर विवाद क लिए तारीख निश्चित होगी, तो उसके लिये १३ तारीख निश्चित की जाती है। दूसरी सूचना जो देनी है वह यह कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके सामने एक गलत बयान मेरी तरफ से हुआ है, मैं क्षमा चाहूंगा। कल मैंने आपके सामने यह पढ़कर सुनाया था कि प्रस्तावकगण को १५ अक्तूबर, सन् १९६२ को साढ़े तीन बजे दिन के लिये आमंत्रित कर दिया जाय ताकि इस विषय में बातचीत करके उचित कार्यवाही की जाय। प्रस्तावकगण से मैं यह समझा था कि विभिन्न दलों के नेताओं ने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसलिये मैंने इसको पढ़ने के बाद यह कह दिया कि दल के नेताओं के सामने यह कहा गया। मुझे खेद है कि ये प्रस्तावकगण। विभिन्न दलों के नेता नहीं थे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इसीलिये मैंने कल कहा था कि मैं वहां था और मेरे सामने नहीं कहा गया ।

भूतपूर्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा का मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र से संबंधित वक्तव्य

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्तव्य को देने के लिये मैंने आपसे प्रार्थना की थी अपना त्याग-पत्र देने के दो दिन बाद और जिसके लिये आपके सचिव ने मुझे आदेश भेजा था कि जिस रोज आपको वक्तव्य की प्रतिलिपि और नेता सदन को, जो कि २७५ नियम के अनुसार आदेश भेज देंगे, उसके दूसरे दिन आप वक्तव्य दे सकेंगे । उसके बाद मैंने आपसे प्रार्थना की आपके कक्ष में कि आप कौन सी तारीख इसके लिये निश्चित करते हैं और आपको मैंने कहा कि अगर जल्दी से जल्दी हो तो अच्छा है, तो आपने कहा कि कौन सी तारीख कर दें । मैंने कहा कि ३०–३१ में से कोई कर दें। आपने फिर मुझसे कहा कि १ सितम्बर, को दे सकते हैं। तब मैंने कहा था कि मुझे पहली सितम्बर को कहीं जाना है इसलिये पहिले कर सकें तो इत्तला कर दें नहीं तो पहिली सितम्बर ही सही। फिर आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद कल मैंने आपके पास वक्तव्य की प्रतिलिपि ११ बजे के पहले भेज दी। उसी समय मैंने वक्तव्य की प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी के दफ्तर भेजी लेकिन मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में वह प्रतिलिपि नहीं ली गई । उसके बाद मैंने आपसे प्रार्थना की कि फिर मुख्य मंत्री क दफ्तर में वह प्रतिलिपि नहीं लीं गई है इसलिये आप कृपा करके उनके यहां भेज दें। आपने जो खत मुझे लिखा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह शायद नियमों के अनुकूल नहीं बैठता क्योंकि जो भाषा उसमें है, उससे पता चलता है। आपने लिखा कि आप मेरे जरिये से नहीं सीधे उनको भेजिये। जब मुख्य मंत्री आ जायं तब उनके पास भेजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं पत्र पढ़कर सुना दूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं ही पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं बता दूं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री यहां नहीं...अच्छा आप पत्र पढ़ दीजिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रिय शर्मा जी, आपके दोनों पत्र दिनांक ३१ अगस्त, १९६५ प्राप्त हुये। इस पत्र के साथ आपने एक लिफाफा जो कि मुख्य मंत्री को संबोधित है, भेजा। आपके पत्र से विदित होता है कि आपके लिफाफे में उसी वक्तव्य की प्रतिलिपि है जिसकी प्रतिलिपि आपने मेरे पास भेजी है। और जिसको आप चाहते हैं कि मैं मुख्य मंत्री जी के यहां भिजवा दूं। नियम २७५ के अन्तर्गत विहित है कि ऐसे वक्तव्य पर कोई विवाद नहीं होगा, परन्तु कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे। आपके वक्तव्य को अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि आपके वक्तव्य के संबंध में मुख्य मंत्री जी ही सुसंगत वक्तव्य दे सकती हैं। चूंकि मुख्य मंत्री जी इस समय अपनी माता के मृतक संस्कारों के संबंध में कलकत्ता गई हुई हैं, आपके वक्तव्य के प्रति उनके पास मेरे लिये आज ही पहुंचाना संभव नहीं है और न नियमानुसार यह उचित ही है कि मेरे द्वारा इस वक्तव्य की प्रति नेता सदन को भेजी जावे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

अतः मेरा निवेदन है कि आप अपने वक्तव्य की प्रति मुख्य मंत्री जी के लखनऊ आने पर ही स्वयं भेजने का कष्ट करें। आपका पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त होने पर दूसरे दिन आपका वक्तव्य हो सकेगा ।

श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि यह नियमों के शायद अनुकूल नहीं है और में प्रार्थना करूंगा, जो पत्र मैंने आपको भेजा, उसमें मैंने लिखा था:--

"माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लिफाफा जिसमें कि मेरे वक्तव्य की एक प्रतिलिपि है, मुख्य मंत्री जी के कार्यालय म भेजी थी परन्तु आफिस में लोगों ने लेने से इंकार कर दिया । इसलिये आपकी सेवा में इस प्रतिलिपि को भज रहा हूं। कृपया इसे मुख्य मंत्री जी के यहां तक भिजवान का कष्ट कर।"

श्रीमन्, आपने जैसा पहले कहा था, आपको चाहिये था कि कोई तारीख आप पहले ही निश्चित कर देते। मैं चाहता था और माननीय सदन के सदस्य चाहते थे कि मेरा वक्तव्य जल्दी से जल्दी हो जाय। लेकिन मुझ इस बात का खेद है कि आपने तारीख निश्चित नहीं की और १ तारीख जो आपने कही थी उसके लिए भी जो चिट्ठी आपने लिखी, में आपका ध्यान....

श्री अध्यक्ष—

आप बयान देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तो मैं अभी बयान देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा मंशा केवल यह था कि इस वक्तव्य की अगर एक प्रति माननीया मुख्य मंत्री को मिल जाती तो वह नियम के अनुसार उसका उत्तर दे सकती थीं। मगर टेकनिकली अगर नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाय तो माननीय चतुर्भुज शर्मा ने अपना काम पूरा कर दिया । मन तो सिर्फ यह निवदन किया था कि वह मृतक संस्कार में गयी हुई हैं, वह आ जायं तो अच्छा होगा। लकिन अगर आप वक्तव्य देना चाहत हैं तो दे द ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, नियमों और नैतिकता की दृष्टि से तो आपको यह चाहिये था कि आप उनको आदेश देते कि वह अपना वक्तव्य दें, यह आपका कत्तव्य था ।

श्री अध्यक्ष—

वह वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं। केवल मेरा निवेदन यह है कि चूंकि मुख्य मंत्री जी आज नहीं ह तो वह वक्तव्य कल दे सकेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम २७५ में यह लिखा है कि रिजाईनिंग मिनिस्टर शैल विद दी कंसेंट आफ दि स्पीकर, उसम मुख्य मंत्री कहीं नहीं आती हैं । मुख्य मंत्री को केवल उसकी एक कापी भेजनी चाहिए, वह उसको चाहे डाइरेक्ट भेज देते चाहे आपके द्वारा भेज देते ।

श्री अध्यक्ष—

२७५ (३) की तरफ भी आप देखें। उसमें यह है (शोर) माननीय नेकराम शर्मा ने जो आपत्ति उठायी उस पर मैं कह रहा था। उनको वक्तव्य देने का अधिकार है। उनसे

मैं कह रहा हूं कि वक्तव्य दें। मैं उनको रोक नहीं रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, कल वह आयेंगी तो अपना वक्तव्य देंगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने अपने वक्तव्य को छपवा लिया है। अगर आप इजाजत दें तो माननीय सदस्यों के पास इसकी एक एक कापी भिजवा दूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप वक्तव्य दे दें। सदन में कापी बंटवाना मैं उचित नहीं समझता। आप चाहें तो दे दीजियेगा। जो जी में आवे कीजियेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य यों है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी जब मुख्य मंत्री के पद के लिये उम्मीदवार हुईं तो दुर्भाग्य से मुझको और मेरे कुछ मित्रों को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनका विरोध करना पड़ा।

यह सर्वविदित है कि जो मंत्रिपरिषद् उस समय सुचेता जी के नेतृत्व में बनने को थी उसका निर्णय कांग्रेस हाई कमान्ड से किया गया था। कदाचित् बहुत लोगों को मालूम है कि मेरे नाम का श्रीमती सुचेता जी ने विरोध किया था। उस अवसर पर जिला जालौन की मेरी विरोधी पार्टियों के विधायकों द्वारा मेरे ऊपर बहुत लम्बे-चौड़े, गम्भीर आरोप लगा कर कांग्रेस हाई कमान्ड के पास भिजवाये गये, जिन्हें बाद में हाई कमान्ड ने बेबुनियाद पा कर स्वंय ही, अर्थात् बिना मुझसे पूछे, खारिज कर दिया।

कांग्रेस संगठन के गत चुनाव में श्रीमती सुचेता जी एक गुट की तरफ से मुख्य मंत्री होते हुये भी उम्मीदवार बनीं और मैं उनके गुट के विरोध में खड़ा हुआ। हम लोगों को संगठन के चुनाव में सफलता मिली और मैं प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष चुना गया। मेरा निर्वाचित होना श्रीमती कृपालानी की नाराजगी का एक और कारण बन गया।

कांग्रेसी विधायक दल के चुनाव गत २३ अप्रैल को हुये। उसमें मुख्य मंत्री जी ने स्वयं भाग लिया। मुख्य मंत्री ने चुनाव के बाद जो बयान दिया उसमें हम लोगों की हार पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उनका बयान जो २४ अप्रैल के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ वह इस प्रकार है :—

पायनियर दिनांक २४-७-१९६५ से उद्धरित।

कांग्रेस दल के चुनाव में असंतुष्ट गुट की करारी हार।

मुख्य मंत्री जी अति प्रसन्न विश्वास प्राप्ति का दावा।

आपने पत्रकारों को बताया, हमारे समस्त उम्मीदवार विजयी हुये। स्वाभाविक रूप से मैं प्रसन्न हूं। असंतुष्ट गुट के व्यक्ति प्रान्त में एक वातावरण का निर्माण कर रहे थे कि ये चुनाव मेरे नेतृत्व में अविश्वास जाहिर करेगा। वास्तव में फल इसके विपरीत सिद्ध हुआ।

उन्होंने यह भी कहा, "मैं चैन की सांस ले रही हूं क्योंकि मैं अब आशा करती हूं कि मुझे आगे नित्यप्रति का त्रास भुगतना नहीं पड़ेगा।"

Extract from the "PIONEER" dated April 24, 1965.

DISSIDENTS DEBACLE IN PARTY ELECTION :

C. M. JUBILANT : CLAIMS VOTE OF CONFIDENCE.

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

She told newsmen "All our candidates have won. I am naturally happy. The dissidents had been building up an atmosphere in the State that these elections would result in a vote of non-confidence in my leadership. Actually the results have proved otherwise."

She added "I am breathing a sigh of relief because I hope now that I shall no longer have to face daily harassment."

इस चुनाव के बाद मुख्य मंत्री का रुख तथाकथित असंतुष्ट गुट के मंत्रियों के साथ और खराब हो गया और ऐसा जान पड़ा कि वे इस चुनाव में हिस्सा लेने के कारण इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हैं। अतएव मेरे और मेरे दो साथियों के साथ मुख्य मंत्री जी का रोषपूर्ण बरताव आरम्भ हुआ ।

मेरे ऊपर नैनीताल में एक झूठा आरोप रचा गया और उसकी चर्चा और प्रचार समाचार-पत्रों में भी जारी कर दिया ।

मैंने नैनीताल जाने से पहले तीन सूट बुकहिल काटेज में अपने लिये एलाट कराये थे। तारीख ३१ मई को जब मैं नैनीताल पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे लिये एलाट किये गये एक सूट में श्री कुमार नामक इंजीनियर का परिवार ठहरा हुआ है। श्री कुमार द्वारा ही मुझे मालूम हुआ कि एक मंत्री महोदय की सिफारिश पर यह सूट उन्हें दिया गया है। मैंने केयरटेकर व स्टेट आफिसर से उसे शीघ्र खाली कराने के लिये कहा। श्री कुमार ने २–३ दिन का समय मांगा। परन्तु कुमार बिना कोई प्रबन्ध किये, अपने परिवार को वहीं छोड़ कर तारीख २ जून को नैनीताल से बाहर चले गये। मैंने फिर स्टेट आफिसर से वह सूट खाली कराने को कहा क्योंकि मेरे एक मेहमान और मेरा लड़का व बहू वहां आने को थे ।

तारीख ५ जून को मैं दौरे पर जाने को था। करीब १० बजे दिन को जब मैं अपने ड्राइंग रूम में आया जहां पहले से ३–४ लोग बैठे थे, तो थोड़ी देर में श्रीमती कुमार रोती हुई अंग्रेजी में यह कहती हुई वहां आयीं कि 'मुझे बचाओ, मुझे बचाओ'। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है तो उन्होंने बताया कि केयरटेकर पुलिस के द्वारा उनका सामान बाहर फिकवाने के लिये धमकी दे रहे हैं और उनके पति मौजूद नहीं हैं, उनके लड़के सड़क पर निकाल दिये जायेंगे। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग सूट खाली ही नहीं कर रहे हैं। इस पर श्रीमती कुमार ने कहा कि आप कृपा करके एक दिन का समय और केयरटेकर से कह कर दिला दीजिये, इस बीच मेरे पति आ जायेंगे और हम लोग निश्चय ही कोई दूसरा मकान तलाश करके चले जायेंगे। मैंने उसी समय केयरटेकर को फोन किया और उन्हें १–२ दिन और वहां ठहरने की इजाजत देने को कहा। उस समय बाहर कुछ अन्य आदमी और पुलिस वाले भी मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने दौरे पर चला गया और तारीख ११जून को नैनीताल लौटकर आया। उस समय वह सूट खाली हो गया था। ता० १३ जून को मैं मुख्य मंत्री जी से उनके निवास स्थान पर पटवाडांगर में मिला था। मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कोई बात श्रीमती कुमार के बारे में नहीं बतलाई। मैं उसी रोज वहीं से अल्मोड़ा चला गया और वहां से १५ जून को वापिस आया। तारीख १८ या १९ जून को मैं दो बार श्री राज्यपाल महोदय से मिला, एक बार सरकारी कार्य से और दूसरी बार रात्रि में भोज पर। तारीख २२ जून को श्री सैयद अली जहीर ने मुझको सूचना दी कि उनको श्री चन्द्रभानु गुप्त ने बतलाया है कि वे तारीख २० जून को बिना एप्वाइंटमेंट के जब राज्यपाल महोदय से मिलने गये थे तो राज्यपाल महोदय ने उनसे कहा कि उनसे मेरे खिलाफ श्रीमती कुमार ने कोई अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। मैंने फौरन् ही राज्यपाल से समय मांगा और २२ तारीख को उनसे मुलाकात की। तब उन्होंने मुझसे श्रीमती कुमार की शिकायत का जिक्र किया। मैंने उनको सारे तथ्य उसी समय बतला दिये ।

इस मनगढ़न्त क़िस्से को काफी तूल दिया गया और जैसा सभी मित्रों को मालूम है, अखबारों में शील भंग आदि की सुर्खी देकर जोर का प्रचार किया गया। इसका सूत्रपात इस तरह से हुआ कि २६ तारीख को मेरे राजनैतिक विरोधी श्री गोविन्द नारायण तिवारी उरई से लखनऊ आये और यहां आकर मुझसे विरोध करने वाले नेताओं से मिले। यहां से फिर वह उरई गये और वहां उन्होंने उरई के एक स्थानीय पत्र, जिसकी कोई वकत जिले में नहीं है और जिसकी ग्राहक संख्या शून्य के बराबर है, में इस किस्से को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर और सनसनीखेज बनाकर छपवाया। कहा जाता है कि करीब ५००० प्रतियां इस पत्र की छपवाई गयीं और मेरे जिले में, बुन्देलखंड के सभी जिलों में, लखनऊ, नैनीताल, तथा अल्मोड़ा आदि जिलों में बंटवाया गया। फिर यह खबर दिल्ली के एक समाचार पत्र में निकलवाई गई। तत्पश्चात समाचार पत्र प्रतिनिधियों ने मुख्य मंत्री जी से भेंट की। पहले मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम नहीं लिया परन्तु यह कहा कि किसी मंत्री के खिलाफ चरित्र सम्बन्धी एक शिकायत उन्हें मिली है। दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों से मेरा नाम लेकर बतलाया और फिर सारे देश में इस किस्से का बड़ा जोरों से प्रचार हुआ। जब मुख्य मंत्री जी लखनऊ और नैनीताल में मौजूद थीं तब मैं भी इत्तफाक से वहां मौजूद था लेकिन उन्होंने कभी मुझसे इस घटना के बारे में नहीं पूछा। मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने इस विषय पर, कोई भी चर्चा किये बगैर, जब कि मैं उसी दिन उनसे मिला था, अखबारों में मेरा नाम दे दिया। मुझे तब अखबारों में अपना वक्तव्य देना पड़ा। श्री गुप्त जी को उरई के उस अखबार को भी नोटिस देने पर मैं विवश हो गया जिनके द्वारा यह बात लखनऊ में व नैनीताल तथा आम जनता में फैलाई गई। प्रचार यहां तक हुआ कि बताया जाता है स्वयं श्रीमती कुमार ने राज्यपाल महोदय को लिखा कि उन्होंने कोई शील भंग आदि की शिकायत मेरे खिलाफ नहीं की है बल्कि मेरा व्यवहार (un couthe) भद्दा था—यह शिकायत की थी। राज्यपाल महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने जब इस तरह का गन्दा प्रचार अखबारों में देखा तो उन्होंने एक बयान नैनीताल से दिया जो ५ जुलाई के "स्वतंत्र भारत" में इस प्रकार छपा :—

"राज्यपाल महोदय से कहा कि उन्होंने शीलभंग के आरोप के बारे में सुना तक नहीं।"

और ६ जुलाई के "नवजीवन" में इस प्रकार छपा —

"यह सच है कि मुझसे एक मंत्री के व्यवहार के बारे में शिकायत की गई है।"

'मैंने दुर्व्यवहार की कोई बात तक नहीं सुनी है।'

'मैं खुद ही मसले को देख रहा हूं इसलिये जांच का कोई सवाल नहीं पैदा होता है।'

मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय के इस वक्तव्य के बाद भी मुख्य मंत्री जी के रवैये में कोई अन्तर नहीं आया। इस सिलसिले में उन्होंने कई बार दिल्ली में नेताओं से और प्रमुख आदमियों से भेंट की। समाचार पत्रों में भी उनकी राय निकलती रही। उदाहरणार्थ ११ जुलाई की उनकी श्री नन्दा जी की भेंट के पश्चात् जो समाचार निकला वह इस प्रकार था :—

"समझा जाता है कि श्रीमती कृपालानी ने उनसे यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि श्री चतुर्भुज शर्मा ने श्री चन्द्रभानु गुप्त पर मुकदमा चलाया तो उन्हें मंत्रिमंडल में रखना सम्भव नहीं होगा।

आपने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में श्री चतुर्भुज शर्मा को मंत्रिमंडल में रखना उचित नहीं है।"

मुझको मालूम हुआ है कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने श्री राज्यपाल अथवा शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह किया कि वह तत्काल मुझसे त्यागपत्र तलब करें वरन् वह स्वयं त्यागपत्र दे देंगी।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

श्रीमती लिन कुमार ने मेरे ऊपर अभद्र व्यवहार के दो आरोप लगाये हैं। ये आरोप ५ जून को दो बार अभद्र व्यवहार करने के हैं।

(१) ता० ५ जून को प्रातः नीचे के फ्लैट पर उनके और उनके २ वर्ष के बच्चे के साथ टहलते हुये।

(२) उसके लगभग ४ घंटे बाद उसी दिन दौरे पर जाने के समय के हैं यानी उनके कमरे में गुडबाई करने जाने के समय के हैं।

ये आरोप इतने कपोलकल्पित और मनगढ़न्त है कि इनको सुनने मात्र से ही ये असंभव और असत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि बुकहिल काटेज के नीचे का फ्लैट बहुत खुली जगह है जिसे चारों तरफ के मकानों से देखा जा सकता है और जिसके दो और सार्वजनिक मार्ग हैं। इस कारण से यह जगह एक प्रकार का सार्वजनिक स्थान है जहां बड़े सवेरे से और काफी देर रात्रि तक सभी प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। मेरी अथवा हम दोनों की कोई भी हरकत मेरे कमरों के सामने ड्यूटी पर तैनात सन्तरी की सतर्क निगाहों से न बच सकती थी। ज्ञातव्य हो कि मेरा निवास स्थान फ्लैट के ऊपर एक तरफ बना था। इस स्थान का केवल एक बार का निरीक्षण मात्र ही किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर देगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने होश-हवाश में हो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता जैसा कि श्रीमती लिन कुमार ने मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं। यह आरोप ऐसे बेबुनियाद हैं कि इनको झूठा साबित करने के लिये किसी गवाही की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इत्तफाक से श्री रामप्रकाश के रूप में, जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सहायक सचिव हैं, एक विश्वासनीय गवाह मौजूद हैं। ये नित्य लगभग पांच या साढ़े पांच बजे प्रातः मेरे निवास स्थान पर आते थे और मेरे साथ घूमने जाया करते थे। वे ५ जून को भी मेरे यहां आए और हम साथ टहलने गये थे। उनका मुझको दिनांक १८ जुलाई को लिखा गया पत्र, जिसकी एक प्रति मैं गवर्नर महोदय के पास भेज चुका हूं, श्रीमती लिन कुमार के आरोप को पूर्णतः गलत साबित करता है। इसके अतिरिक्त मेरा शैडो हमेशा मेरे साथ रहता था और उस रोज भी मेरे साथ था।

जहां तक दूसरी घटना का संबंध है कोई भी व्यक्ति यह समझने में असमर्थ होगा कि केवल चार घंटे पूर्व का मेरा कथित व्यवहार देखते हुये श्रीमती लिन कुमार ने विरोध करने अथवा शोरगुल मचा कर दृश्य उत्पन्न करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया।

दूसरी घटना के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह घटना भी पहली घटना की तरह बिलकुल असम्भव है, जैसा कि नीचे कही बातों से स्पष्ट हो जाता है।

श्रीमती कुमार के कथनानुसार जबकि सुबह एक घटना हो चुकी थी तो दुबारा उन्होंने शोरगुल क्यों नहीं किया, जबकि बाहर बहुत से आदमी और गारद के सिपाही आदि मौजूद थे। दूसरे, यहां भी दैवयोग से श्री राम गोपाल टंडन व श्री चिरंजीत शर्मा, मंत्री मंडल कांग्रेस कमेटी रानीखेत भी मेरे कमरे में उस समय उपस्थित थे जब श्रीमती लिन कुमार मेरे कमरे में केयरटेकर के आदेशों के अनुसार कमरा खाली कराये जाने की कार्यवाही के विरुद्ध सहायता मांगने चिल्लाती और रोती हुई आई। मेरे कमरे से श्रीमती कुमार के जाने के पूर्व उक्त दोनों सज्जनों के अलावा नैनीताल नगरपालिका के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण सनवाल भी उपस्थित थे जो इस बीच में मुझसे मिलने के लिये आ गये थे। इस सम्बन्ध में राज्यपाल का भेजा श्री चिरंजीत शर्मा का दिनांक १९ जुलाई का तथा श्री राम गोपाल टंडन का २५ जुलाई का पत्र देखा जा सकता है। यह असम्भव था कि मैं इन तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने और पुलिस गार्ड के बरमदे में उपस्थित रहते कई कांस्टेबिलों की मौजूदगी में तथा दरवाजे पर इंतजार कर रहे कई अन्य व्यक्तियों की हाजिरी में मूर्खतापूर्ण प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करता। और यदि,

जैसा कि श्रीमती लिन कुमार ने आरोप लगाया है, दौरे पर रवाना होने के एक घंटे पहले वह घटना वास्तव में घटी होती, तो क्या यह सम्भव प्रतीत होता है कि वे इतनी जल्दी उसी व्यक्ति की सहायता मांगने आती जो कि केवल कुछ समय पूर्व ही उनसे अभद्र व्यवहार कर चुका हो ?

इसके अतिरिक्त और और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वह यह कि श्रीमती लिन कुमार मेरे साथ बराबर दो दिन और तीन रातें एक प्रकार से एक ही छत के नीचे इन दोनों आरोपित घटनाओं के पूर्व रहीं। श्रीमती लिन कुमार को एक प्रकार से यह स्वीकार है कि इस लम्बे अर्से में और कोई अभद्र व्यवहार करना तो दूर रहा मैंने उनकी ओर कोई भी गन्दा कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन एक ६५ वर्षीय मनुष्य जैसा कि मैं हूं, अकस्मात ५ जून को राक्षस बन बैठा और उस महिला की ओर से बिना किसी प्रोत्साहन के, मैंने लगातार दो बार अनैतिक प्रयास किये और ध्यान रहे कि यह प्रयास तब किये गये जब कि मैं दौरे पर नैनीताल से बाहर जा रहा था और उस महिला के स्वयं के कथनानुसर १० जून के बाद वापिस आता जबकि वह मेरे निवास स्थान को छोड़ चुकी होती। शायद कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के बुरे इरादे रखता हो जिनका आरोप श्रीमती लिन ने मेरे ऊपर लगाया है अगर उसमें लेशमात्र भी बुद्धि होती तो वह कभी भी श्रीमती लिन कुमार को अपने मकान को छोड़ने का आग्रह न करता।

श्रीमती लिन के आरोप को साबित करने के लिये केवल उनके अपने बयान के अतिरिक्त कोई भी सबूत नहीं है। इन आरोपों को उसी क्षण बेबुनियाद और झूठ ठहराया जाना चाहिये था जिस क्षण वे लगाये गये थे।

इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभद्र व्यवहार की शिकायत श्री राज्यपाल को पूरे एक पखवारे के बाद १६ जून को की गई। इससे यह स्पष्ट है कि यह शिकायत बाद में सोच कर कुछ लोगों के इशारे पर गढ़ी गई। वास्तव में इसकी कोई असलियत नहीं थी। श्रीमती कुमार एक पढ़ी लिखी विदेशी महिला हैं और उनके पति इंजीनियर हैं। वह भी नैनीताल में ७ या ८ जून को आ गये थे। इन दोनों का स्वयं राज्यपाल महोदय से पहले शिकायत न करने से उक्त नतीजा ही निकलता है। इसकी पुष्टि श्रीमती कुमार की उन बातों से भी होती है जो उन्होंने नवभारत टाइम्स के प्रतिनिधि से मुलाकात के दौरान कही थी और जो २४ जुलाई को नवभारत टाइम्स में इस प्रकार छपीं --

> श्रीमती कुमार के निकटतम सूत्रों ने मुझे यह भी बताया कि राज्यपाल से शिकायत करने के पहले उन्होंने अपने सभी शुभचिन्तकों से सलाह की। इन शुभचिन्तकों में मुख्य मंत्री श्रीमती कृपालानी, भू० पू० मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त और सहकारिता मंत्री श्री बनारसीदास भी थे।
>
> श्रीमती कुमार ने उपरोक्त बातों की पुष्टि प्रकारान्तर से की।

केवल एक ही दलील जो शिकायत के पक्ष में दी जाती है वह यह है कि कोई भी महिला बिना किसी उचित कारण के ऐसी शिकायत नहीं कर सकती जैसा कि श्रीमती लिन कुमार ने की है। लेकिन संसार में तरह तरह की औरतें हैं। मनुष्य का व्यवहार कोई कायदे कानून से पूर्णतः बंधा नहीं है। षडयंत्रकारी और स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों में स्त्रियां जाने या अनजाने बहुत शक्तिशाली हथियार बन जाती हैं ये शक्तिशाली इसलिए बन जाती हैं क्योंकि ये अपने चेहरे पर भोलेपन का नकाब आसानी से ओढ़ लेती हैं। वैसे तो सबको मालूम ही है कि अच्छी अच्छी स्त्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिये सदा होता रहा है। इतिहास और अपराध जगत ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है।

जैसा कि मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूं श्रीमती लिन कुमार की शिकायत राजनैतिक दिमागों के षडयंत्र का फल है जो नीचे लिखे तथ्यों से प्रकट होगा। जो कागजात राज्यपाल महोदय को किछा शुगर फैक्टरी के बारे में प्रेषित किये जा चुके हैं उनसे यह स्पष्ट है कि जिस

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

फर्म के श्री कुमार के पिता श्री अमरनाथ विद्यालंकार डाइरेक्टर हैं व जिसमें वे (श्री कुमार) स्वयं नौकर हैं और जिसमें वित्तीय जगत में बदनाम श्री वलायती लाल कोहली मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। (इस फैक्टरी के प्रबन्ध में यह परिवर्तन उस समय हुआ जब श्री चन्द्रभानु गुप्त प्रदेश के उद्योगमंत्री व मुख्य मंत्री थे)। उपरोक्त फैक्टरी राज्य सरकार के पूर्णत अंगूठे के नीचे है। इस फर्म का अस्तित्व और समृद्धि राज्य सरकार की इच्छा पर पूर्णतः निर्भर है और यह सबको विदित है कि उन लोगों से, जिन के हाथों में सरकार की बागडोर वास्तव में है, मेरे सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण नहीं है।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने श्री कुमार और उनके परिवार को मुझे एलाट किये गये कमरों में रहने की इजाजत एक मंत्री के आदेश पर दी थी। वास्तव में श्री कुमार और उनकी पत्नी उक्त मंत्री तथा उनके परिवार के मित्रों में से हैं। श्रीमती कुमार एक एम० पी० श्री रशीद शेरवानी की भी पूर्व परिचित मित्र हैं। जिन्होंने उन्हें श्रीमती सुचेता कृपालानी के सम्मान में दिये गये ४ जून के सहभोज में आमंत्रित किया था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त बगैर पूर्व आज्ञा के २० जून को राज्यपाल से मिलने गये और उनसे पूछा कि क्या उनको श्रीमती लिन कुमार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है। इन सज्जन ने ही यह कहानी नैनीताल में फैलाई। १६ जून को लिखी हुई शिकायत १९ जून को दी गई। ये तारीखें और शिकायत में हुई देर अर्थ रहित नहीं है। उक्त मंत्री और श्री चन्द्रभानु गुप्त दोनों ही नैनीताल १६ जून को पहुंचे। श्री चन्द्रभानु गुप्त जो वापस चले आये थे पुनः १९ जून को नैनीताल पहुंचे। और जैसा मैं अभी कह चुका हूं १९ जून को यह शिकायत मेरे खिलाफ राज्यपाल महोदय को पेश कर दी गई। यह तथा अन्य तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि श्रीमती लिन कुमार किसी षडयंत्र की शिकार है।

दुर्भाग्य से इधर एक घटना और हुई जिसने मुख्य मंत्री के रोष को सीमा के बाहर पहुंचा दिया। तारीख १० अगस्त को एक पर्चा कानपुर की श्रीमती दुलारी नाम की किसी स्त्री की हत्या के बारे में लखनऊ में बांटा गया। मैं इस पर्चे को निकालने की घोर निन्दा करता हूं। किसी की चरित्र हत्या करना एक पाप है, फिर एक महिला की चरित्र हत्या करना जघन्य पाप है। मैंने हमेशा श्रीमती सुचेता कृपालानी को बहन करके संबोधित किया है और मैं उन्हें अपनी बहन की ही तरह समझता हूं। इस पर्चे के निकलने से उनको जो दुख हुआ होगा उससे अधिक मुझको हुआ है। मुझे इस बात का भी दुख है कि किसी तरह से श्रीमती सुचेता जी को यह विश्वास करा दिया गया है कि इन पर्चों के बंटने में मेरा कोई हाथ है। यह सरासर झूठ और मेरे साथ अन्याय है। मैं किसी भी ऐसे चरित्र हत्या के घृणित कार्य में चाहे जितना मेरा राजनैतिक विरोध किसी से हो, कभी कोई हिस्सा नहीं ले सकता। यह मशहूर है कि नई के शुरू से यह पर्चा साइक्लोस्टाइल करा कर आम तौर से मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अफसरों आदि को भेजा गया था। इसी साइक्लोस्टाइल पर्चे की छपी हुई नकल बांटता हुआ एक मोहम्मद शफी नाम का व्यक्ति विधान सभा के बाहर पकड़ा गया उसको पुलिस ने हजरतगंज थाने में बन्द कर दिया। यह भी कहा जाता है कि वहां पर कई पुलिस और सी० आई० डी० के अधिकारी और बड़े बड़े अफसरों ने उससे एक ऐसे बयान पर दस्तखत कराये जिससे इस पर्चे के बांटने की जिम्मेदारी मेरी मालूम होती हो। मेरे शैडो कांस्टेबिल को हजरतगंज थाने में बुलवाया गया और कोशिश की गई कि वह कह दे कि मैं मोहम्मद शफी को जानता हूं और वह मेरे यहां आता जाता रहता है। बाद में इस आदमी का बयान श्री टंडन मैजिस्ट्रेट के सामने कराया गया। सुना है कि उस व्यक्ति ने अदालत के सामने यह बयान दिया है कि उसने यह पर्चा किसी के कहने से नहीं बल्कि अपनी तबियत से खुद बांटा है। इसके पश्चात वह आदमी जेल भेज दिया गया जहां वह अभी तक बन्द है। मेरा कोई परिचय इस मुहम्मद शफी नामक व्यक्ति से नहीं है। मालूम हुआ

है कि वह देवरिया का रहने वाला है और शायद एक मंत्री के यहां कुछ दिनों तक रहा भी है। इसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले माननीय सदस्य श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय के खिलाफ भी एक पर्चा बांटा था।

मुझे कुछ सूत्रों से यह भी मालूम होता है कि मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से इस घटना में मेरा हाथ होना बतलाया है। मुझे खेद है कि उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान उस आदमी का हुआ उसका जिक्र नहीं किया। मुझे इस बात का और भी खेद है कि दिल्ली जाने से पहले तथा नेताओं से शिकायत करने से पहले मुख्य मंत्री जी ने मुझसे यहां इस घटना के बारे में कोई बात नहीं की। जिम्मेदार आदमियों से यह भी मालूम हुआ है कि मेरा टेलीफोन टेप किया जाता है और इसी तरह से पुलिस की पूरी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल मेरे व मेरे मिलने वालों के खिलाफ किया जा रहा है जिसके कुछ उदाहरण मेरी जानकारी में आये हैं। परन्तु मैं उनका यहां जिक्र करना ज्यादा अच्छा नहीं समझता।

इन आरोपों में जो मुझ पर लगाये जा रहे हैं कहां तक सच्चाई है, किसी दिन सभी को प्रकट हो जायेगा। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी इसकी सही तरह किसी उच्च एजेन्सी द्वारा जांच करायेंगी कि जो पर्चा मई के शुरू में साइक्लोस्टाइल करके बांटा था उसका कौन जिम्मेदार है ताकि सर्व साधारण में उसके कारण जो भ्रम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उत्पन्न हो गया है वह दूर हो जाय। परन्तु इतना स्पष्ट है कि आज ऐसे वातावरण में मेरा मंत्री की हैसियत से कार्य करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि मुख्य मंत्री जी का ऐसा विश्वास होते हुए मैं कोई जनहित का कार्य नहीं कर सकता था। इसी कारण मैंने त्याग-पत्र दे दिया।

मुझे बड़ा खेद है कि इस समय देश एवं प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के कांग्रेस के शीर्षस्थ जनों में आपस में इस तरह का वर्ताव रहा है जिससे दल की एकता एवं प्रतिष्ठा की जो समय की मांग है बड़ी क्षति पहुंच रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक पुराने और सच्चे कांग्रेस जन को हार्दिक वेदना होना स्वाभाविक है।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी का और मंत्रिपरिषद् के अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे ऊपर सदा कृपा रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदन के सभी सदस्यों का भी मैं आभारी हूं कि मैंने जब भी मंत्री की हैसियत से कोई बात उनके सामने रखी तो उन्होंने उसका उचित सम्मान किया। मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने सदैव अपना सहयोग मुझे प्रदान किया।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है।

श्री अध्यक्ष—

शायद आपका नाम तो उन्होंने नहीं लिया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अपने वक्तव्य में मैंने यह कहा है कि इसकी पुष्टि श्रीमती कुमार की उन बातों से भी होती है जो उन्होंने नव भारत टाइम्स के प्रतिनिधि से मुलाकात के दौरान कहीं थीं और जो २४ जुलाई को नव भारत टाइम्स में छपी थी। उसका कोई प्रतिवाद नहीं हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी पार्टी किस स्थिति में है और वह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। क्या माननीय मंत्री को, जिसके सम्बन्ध में वक्तव्य में नहीं कहा गया है और वक्तव्य में केवल उद्धरणों को जो अखबारों में छपी सूचनाएं हैं, और जो इन्वर्टेड कौमाज में करके कही गयी हैं, अपनी सफाई देने का अधिकार है? इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस सम्बन्ध में प्रश्न एलाऊ करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उसका कोई प्राविधान नहीं है।

श्री कशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर माननीय बनारसीदास करेंगे तो हम भी करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरी एक प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में जो भी वार्ता हो, जो भी प्रश्न हों तो इस सदन की गरिमा, गौरव और मर्यादा को देखते हुए किये जायं, मगर स्पष्टीकरण अवश्य हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सहकारिता मंत्री केवल स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में किसी के ऊपर प्रत्यारोप नहीं होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, परिपाटी यह है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अखबार में कोई सूचना निकल जाय तो उस माननीय सदस्य का फर्ज है कि जिसके खिलाफ वह सूचना हो उसका खंडन कर दे। २४ जुलाई की जो खबर है उसका उस वक्त खंडन नहीं कर सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो मेरी राय में उनको अवसर मिलना चाहिये। जो अखबार का उद्धरण दिया गया है कि जो षडयंत्र हुआ है उसमें ऐसे लोगों के हाथ थे। उसमें माननीय बनारसीदास जी का नाम लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बनारसीदास जी का नाम लिया गया। सदन में उनका नाम लिया गया पत्र के उद्धरण से ही लेकिन अगर वह उस पर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिये। नियम २७५ (३) के अनुसार भी उनको वक्तव्य देने का अधिकार है लेकिन वह तो केवल स्पष्टीकरण ही देना चाहते हैं जिसे वह दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जिस भी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य सदन में दिया जाता है उसे अधिकार है कि वह अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन उस अंश के बारे में दे दे जो उसके सम्बन्ध में कहा गया है।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्भुज शर्मा ने अपने वक्तव्य में एक बात यह मेरे बारे में कही है कि मैंने श्री अमरनाथ विद्यालंकार के परिवार को जो मकान उनको एलाट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया था मैंने एलाट कराया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मई के दूसरे सप्ताह में मैं दिल्ली गया हुआ था। श्री अमरनाथ जी ने फोन पर मुझ से कहा कि उनके लिये यदि संभव हो तो किसी एकमोडेशन की व्यवस्था कर दीजिये। मैंने स्टेट आफिसर से कहा। उन्होंने बतलाया कि बुक हिल बैरिक्स के अन्दर उनको स्थान मिल सकता है जिसको लेने से उन्होंने इंकार कर दिया, उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उनको कौन-सा मकान दिया गया। नैनीताल में सबसे पहले ६ जून को पहुंचा और ७ तारीख तक वहां रहा। ८ को मैं रामपुर आ गया था। फिर २६ तारीख को पुनः नैनीताल पहुंचा। अमरनाथ जी से सबसे पहला मेरा परिचय सन् ६४ में जिस वक्त कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव हुए उस समय हुआ था जबकि वह नन्दा जी के बड़े सहायक थे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि श्री अमरनाथ विद्यालंकार तथा दूसरे साथी की जो चुनाव के सम्बन्ध में हमारी शिकायतें थीं हमदर्दी हमारे खिलाफ थी। वह सर्वेन्ट आफ दी पीपुल्स सोसायटी के आजीवन सदस्य थे और सबसे बड़े मित्र श्री मोहन लाल गौतम तथा श्री अलगूराय शास्त्री के थे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि माननीय बनारसीदास जी स्पष्टीकरण देंगे और अपने स्पष्टीकरण में प्रत्यारोप नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने आरोप तथा प्रत्यारोप दोनों शुरू कर दिये हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। ऐसा कहने में शर्म से सर झुक जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें जो नहीं होनी चाहिये थीं वह सभी हो रही हैं। लिहाजा सदन की मर्यादा रखने हेतु मैं अपना प्रोटेक्शन सीक करता हूं।

श्री बनारसीदास---

माननीय चतुर्भुज शर्मा ने यह कहा कि हम सभी शुभचिन्तकों में थे जिनमें माननीया मुख्य मंत्री, गुप्ता जी और मेरा नाम लिया गया। मैं यह कह रहा था कि मेरा उनसे न कोई सम्बन्ध था न मित्रता थी। मेरे शुभचिन्तक होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिये मैंने कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि अच्छा होता माननीय शर्मा जी को अगर कोई शंका थी तो मुझसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते। मेरा उनके परिवार से न कोई परिचय था और न श्रीमती कुमार से मेरा कोई सम्बन्ध है, न कभी आना-जाना है। इस सम्बन्ध में जो यह कहा गया कि एक षडयंत्र रचा गया जिसमें कोई शुभ-चिन्तक मैं था यह बिलकुल सत्य से परे है। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अब कुछ समय हमको भी मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप तो संविधान पढ़े हैं इसलिये असंवैधानिक बात आपको नहीं करनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा---

जब नव भारत टाइम्स में यह खबर छपी थी तो मैं बनारसीदास जी से यह जानना चाहूंगा कि वह उनसे पूछें कि ऐसी खबर उन्होंने क्यों छापी ?

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में अब कोई बात नहीं होगी।

श्री बनारसीदास---

मेरा काम यह नहीं है कि हर एक खबर का जवाब देता फिरूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब जो एक काम रोको प्रस्ताव आया था वह स्वीकार नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का प्रस्ताव जो आपके सामने रखा था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। आपने जो प्रस्ताव भेजा है वह माननीय रामायणराय जी के विरुद्ध है। कल मैं उसका फैसला दूंगा।

बस्ती जिले के सेमरी-महथावल बांध के टूट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय चन्द्रपाल रावत की नियम ५२ की सूचना को जिसको मैंने स्वीकार किया है, पढ़ रहा था वह इस प्रकार है :

"बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के विकास खंड बर्डपुर नम्बर ९ में बने सेमरी-महथावल बांध के सरकार की उपेक्षा के कारण अवसमात टूट जाने के कारण आसपास की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। लहलहाती खेती बिलकुल डूब गई है। गांवों में पानी भर गया है, दरार पड़ने की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। स्थानीय छोटे कर्मचारी रोकथाम की कुछ व्यवस्था कर रहे थे कि गोरखपुर विभाग के एस० पी० ने आकर उस काम को रुकवा दिया परिणाम स्वरूप बांध टूट गया। अभी तक उसकी मरम्मत तथा पानी के निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

अस्तु जनता भयभीत एवं आतंकित अवस्था में कराह रही है। खेती बारी चौपट हो गई है। घर भी बरबाद हो गये हैं। स्थिति भयंकर है . . . ."

माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

श्रीमन्, ७ तारीख को।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य ७ तारीख को होगा।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट कालेजों के विज्ञान अध्यापकों के वेतन-क्रम में बढ़ौती के अनुरूप शासन द्वारा अनुदान न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय रामसुन्दर पांडेय ने भेजी है जिसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। वह इस प्रकार से है कि—"प्रदेश के लगभग २,५०० हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों में विज्ञान स्नातक तथा पोस्ट ग्रेजुयेट की नियुक्तियां १ जनवरी, १९६४ से प्रादेशिक

सरकार की नवीन आज्ञा से हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विज्ञान अध्यापक का वेतन १६० रुपये प्रति मास पहुंच जाय। इसी प्रकार अन्य श्रेणी प्राप्त स्नातक नियुक्तियां नवीन वेतन-क्रम में जो विभिन्न प्रकार की थीं, हुई। १ जनवरी, सन् १९६४ के आदेश के अनुसार अधिकांश संस्था संचालकों ने अपनी-अपनी शिक्षा संस्थाओं में जनवरी सन् ६४ से ही नवीन वेतन-क्रम लागू कर दिया। सरकार का यह आदेश इसलिए प्रसारित हुआ था कि प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम वेतन-क्रम होने के कारण विज्ञान अध्यापक नहीं मिल रहे थे। किन्तु उक्त आदेश से अन्य विभागों में लगे हुए विज्ञान स्नातकों के बराबर वेतन क्रम हो जाने के कारण दुर्लभ विज्ञान अध्यापक प्राप्त होने लगे। किन्तु शिक्षा निदेशक इलाहाबाद से प्रदेश के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उक्त आदेश के अनुसार आज तक धनराशियां नहीं दी जा सकी हैं। फलस्वरूप शिक्षा संस्थाएं अधिक संकट में पड़ी हुई हैं। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि संस्था संचालक उक्त नवीन वेतनक्रम में नियुक्त विज्ञान अध्यापकों को वेतन देने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं तथा उक्त अनुदान न मिलने के कारण अधिकांश शिक्षा संस्थाओं के विज्ञान अध्यापकों का महीनों-महीनों का वेतन बाकी भी है।"

माननीय शिक्षा मंत्री, इस पर वक्तव्य कब दिया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

एक सप्ताह चाहिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना माननीय भगवान सहाय की है। वह विशेष ध्यान के लिये ली जा रही है। शेष महत्व की नहीं समझी गयी हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

शाहजहांपुर शहर में एक लाख बीस हजार की आबादी है। राशन की दूकानों पर एक छटांक गल्ला नहीं है। पिछले महीनों में किसी को एक हफ्ते का और किसी को दो हफ्ते का गल्ला मिला। पानी नहीं बरसा है। प्राइवेट बाजार में गल्ला नहीं आ रहा है।भुखमरी की हालत हो रही है और इसकी आशंका है कि कहीं फूड रायट न हो जायं। तो इसको लाइटली डील करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने डील किया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

मैंने भी एक नियम ५२ का दिया है।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ की बाहर सूचनाएं आयी थीं। एक सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। एक विशेष ध्यान देने के लिए भेज दिया है। शेष सूचनाएं मंत्रियों के पास चली जायंगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, नियम ५२ के सिलसिले में अर्ज करना है। पहले वक्तव्य के बाद कुछ सवाल हो जाते थे। अब केवल वक्तव्य दिलवाते हैं। तो जो मंत्रियों के पास ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज देते हैं उनको अल्प सूचित मान लीजिये तो बड़ी कृपा हो।

श्री अध्यक्ष--

आप ही कष्ट करके अल्पसूचित प्रश्न के रूप में दे दें तो क्या हर्ज होगा ?

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर दी गयी व्यवस्था के संबंध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं जरा-सा निवेदन करना चाहता था। कल आपने जो निर्णय लिया अविश्वास प्रस्ताव के सिलसिले में उसके सम्बन्ध में जरा-सा निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष--

उसके बारे में मैं कह चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जरा आप सुन लें। जैसा कि आपने रिवाइज किया नेताओं को नहीं प्रस्तावकों को बुलाया, आपके दिल में बात बैठे तो मान लीजियेगा। आप १७-३-५९ की कार्यवाही देखें। खेर साहब अध्यक्ष थे। रामस्वरूप वर्मा जी अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे। और १९-३-५९ को उन्होंने उसे उठाया। केवल अध्यक्ष खेर साहब की बात मैं आपके सामने सुनाये देता हूं, उन्होंने कहा आप पेश करें, आज चाहे, कल चाहें, परसों चाहें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो जाने के बाद भी क्या आप उस पर विवाद कराना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपके वक्तव्य पर आपत्ति हुई है अनियमित होने के कारण मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं श्रीमन्, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

मुश्किल यह है कि मेरे बार-बार कहने पर भी आप बोले चले जाते हैं। निवेदन यदि आपको करना है तो उसके भी तरीके हो सकते हैं। आप लिख कर नियम ३०१ में उसे मेरे पास भेज दें। लेकिन आप एक व्यवस्था के बारे में जो कल हो चुकी है, कुछ निवेदन करें, वह लिलकुल नियम के विरुद्ध है और उसके विरुद्ध आपत्ति भी हो चुकी है। तो हमें यह आपत्ति माननी पड़ेगी। इसलिये आप बैठ जाइये।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १ सितम्बर, १९६५ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों तथा कार्यों के सम्बन्ध में उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया जाय :

१—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प पर विचार। दिनांक २ व ६ सितम्बर, १९६५ को प्रत्येक दिन सायंकाल ६ बजे तक।

२--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण।

वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ३ सितम्बर, १९६५।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यह बहुत कम है, यह ठीक है कि कार्य मंत्रणा समिति ने इसको मान लिया है लेकिन अगर एक आध दिन बढ़ा दिया जाय तो अच्छा रहेगा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता हूं लेकिन यह समझता हूं कि समय कम से कम दो दिन रहे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं--

"यह सदन निम्नलिखित विधेयकों तथा कार्यों के सम्बन्ध में विधान सभा की काय मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को आज दी गयी है, सहमत है:--

(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के अननुमोदन के संकल्प पर विचार।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण।

इनके लिये दिनांक २ व ६ सितम्बर, १९६५ को प्रत्येक दिन सायंकाल ६ बजे तक।

(३) वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) पर विचार एवं उसका पारण, ३ सितम्बर, १९६५।"

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, हम कार्य मंत्रणा समिति ने जो इस पूरक बजट के लिये एक दिन का समय रखा है उसके लिये दुख प्रकट करते हैं। आप पूछ लें अपने सचिव से कि बजट एक दिन में कभी नहीं हुआ। दो दो बजटों पर विचार और पारण के लिये दो दिन से कम तो होना ही नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

एक्सेस ग्रांट तो अब उसमें से निकल गयी है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह प्रश्न आया था तब यही था कि अनुपूरक और एक्सेस ग्रॉट के लिये २ दिन रख गये थे लेकिन चूंकि विरोधी पक्ष का आग्रह था इसीलिये यह रखा गया कि सप्लीमेंट्री ३ तारीख को हो और एक्सेस ग्रांट किसी दूसरे दिन आ जाय। माननीय रामसुन्दर जी ने कहा कि अभी तक सारी विधान सभा की कार्यवाही में कभी एक दिन में नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि कभी एक दिन से ज्यादा सप्लीमेंटरी के लिये नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

ज्यादातर एक दिन ही मिला है।

श्री बनारसीदास—

अब ४ और ५ की छुट्टी है ७ को अविश्वास का प्रस्ताव है इसलिये अब ३ तारीख केवल सप्लीमेंटरी के लिये कम नहीं है जो बारबार सदन को मिलता रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दो-दो बजट के लिये एक दिन ?

श्री अध्यक्ष—

जो अतिरिक्त ग्रांट्स थे अब वह अलग कर लिया गया है, वह नहीं लिया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जिस तरह से क्षेत्र समिति वाले के लिये ६ बजे तक रखा है उसी तरह से अनुपूरक अनुदानों पर भी विचार वाले दिन समय को बढ़ा दिया जाय और १० बजे तक विचार हो जिसमें सब लोग बोल लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह उसी समय रखियेगा। आप उस समय बढ़ा सकेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों तथा कार्यों के संबंध में विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को आज दी गई है, सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के अननुमोदन के संकल्प का विचार।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण।

दिनांक २ व ६ सितम्बर, १९६५ को प्रत्येक दिन सायकाल ६ बजे तक।

(३) वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ३ सितम्बर, १९६५।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर विभाजन २ बजे तक के लिये स्थगित किया गया।)

भारतीय सैनिकों की रणक्षेत्र में वीरता के विषय पर बधाई के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी की मांग

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस समय समय निर्धारित हो रहा है सदन का तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमलावरों ने जो काश्मीर में हमला किया है, उसके संबंध में पूरे देश में एक चिन्ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे देश की बिहार विधान सभा ने, पंजाब विधान सभा ने तथा कुछ अन्य विधान सभाओं ने, जो हमारे सैनिक बहादुरी के साथ वहां पर लड़ रहे हैं, उनकी प्रशंसा में प्रस्ताव पास किये हैं और जो वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनको श्रद्धाजंलि दी गई है। ऐसे अवसर पर राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करना और भी आवश्यक मालूम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी विधान सभा भी इस तरह का एक प्रस्ताव पास करे। जब चीन का हमला अपने देश पर हुआ था तो उस समय भी यहां पर प्रस्ताव पास किया गया था। तो हमारा निवेदन है कि हमारी विधान सभा से एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैं तो बहुत पहले आपसे इस विषय में निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आये तो वह सर्वसम्मति से पास होना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

ऐसा संकल्प सर्वसम्मति से पास किया जाय। आप नेता सदन से बात करके इसके लिये समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन आ जायं तो उनसे बात करके समय निश्चित किया जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री छांगुर द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय शराफत हुसैन और माननीय छांगुरराम ने एक पत्र द्वारा यह सूचना दी है कि "इस पत्र द्वारा आपको तथा सदन को यह सूचना देना चाहते हैं कि आज १ सितम्बर, १९६५ से हम निम्नलिखित दो विधायक डांगेपन्थी कम्युनिस्ट विधान सभाई दल से अपने आपको अलग करते हैं और हमारा अब किसी प्रकार का कोई संबंध दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों से नहीं है जिसके विधान सभाई दल के नेता डा० जेड० ए० अहमद हैं। हमारा उनसे विच्छेदीकरण सैद्धान्तिक आधार पर है। भविष्य में हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दल के रूप में विधान सभा में काम करेंगे।

ह० शराफत हुसैन रिजवी,
ह० छांगुर राम।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

हमने गौर नहीं किया कि उन्होंने क्या सम्बन्ध विच्छेद किया। तलाक तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष---

यह संबंध विच्छेद है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४† (क्रमागत)

खंड ३२

वार्षिक सामान्य बैठक

३२—(१) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, एक बार होगी—

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप के कार्य-क्रम का अनुमोदन;

(ख) समिति के नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो;

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़-पत्र (balance sheet) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो;

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार, और

(ज) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उप-विधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय।

(२) धारा ३१ में किसी बात के होते हुए भी, सचिव का और सचिव की अनुपस्थिति में, प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उप-धारा (१) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बठक बुलाय और ऐसा न करने पर निबन्धक, या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—मैं

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ख) की जगह निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन यदि कोई होना हो।"

---

†३१ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें मैंने खंड ३२ में यह संशोधन प्रस्तुत किया है। यह संशोधन शाब्दिक है। इसको देखने से यह संशोधन अनुकूल बैठता है। इसी भावना को लेकर यह संशोधन पेश किया गया। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय सहकारिता मंत्री इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो संशोधन माननीय कल्पनार्थासिंह ने प्रस्तुत किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं इसलिये कि कल इस सदन में खंड ३१ के मुताल्लिक एक प्रश्न सदन में पेश किया गया था और उस बारे में मंत्री जी ने कहा था कि अंग्रेजी में "इफ नेसेसेरी" शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसका सही अनुवाद हिन्दी में नहीं हो सका। कल्पनाथ सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक उसका अनुवाद था और इसीलिये मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया है। मैं इसका विरोध इसलिये भी कर रहा हूं कि हमारी यहां की भाषा हिन्दी है और ओरिजिनल बिल हिन्दी में आता है और फिर उसका ट्रान्सलेशन अंग्रेजी में होता है। लेकिन कल बनारसीदास जी से मालूम हुआ कि ओरिजिनल बिल अंग्रेजी में है और उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन करने में गलती हुई है.....

श्री अध्यक्ष—

उचित है अथवा नहीं ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास ड्राफ्ट्समैन अच्छे नहीं हैं जो अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में कर सकते और यह एक बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि इसी के कारण हमारे कई संशोधन ड्राप कर दिये जायेंगे। यह शाब्दिक संशोधन है जो सरकार को इस तरह से नहीं लाना चाहिये था। यह अच्छी बात भी नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसी बातें यहां लायी जायं जो उन के ड्राफ्ट्समैन की कमजोरी जाहिर करें।

श्री कल्पनार्थासिंह—

मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो अपनी बात कह दी।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्टिंग का इस में कुछ दोष है और इसलिये मैं माननीय कल्पनार्थासिंह जी का संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

कल्पनार्थासिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसमें शब्द "समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन यदि कोई होना हो।" तो नियम समिति नहीं बनाती, सरकार बनाती है और बाईलाज समिति बनाती है। तो सरकार को इसका तो ध्यान रखना ही चाहिये था। समिति के नियम और कायदे हो नहीं सकते। तो इस हालत में इस बिल को सरकार को नहीं लाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ख) की जगह निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन यदि कोई होना हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

जो कार्यवाही हो रही है उस पर एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी ७० संशोधन बाकी हैं और हमारे पास कुल २३१ मिनट के लगभग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक संशोधन के लिये ५ मिनट का समय नियत कर दें।

श्री अध्यक्ष---

जो मुख्य संशोधन हैं उनको आप रख दें, बाकी को ड्राप कर दिया जाय तो अच्छा होगा और इससे काम हो सकता है।

श्री कमलासिंह यादव---

जो संशोधन मंत्री जी मानने वाले हों वह बतला दें तो अच्छा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

अच्छा हो कि संशोधन केवल प्रस्तुत कर दिये जांय और इसके बाद हम जवाब दे दें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ख) से "यदि कोई होना," शब्द निकाल दिये जांय, तथा (ज) भाग के बाद निम्न नया (झ) भाग और अन्त में जोड़ दिया जाय---

"(झ) समिति की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित होनी चाहिये"।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरणअग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, यह समिति की सामान्य बैठक से संबंधित है जिसमें अनेक प्रकार के कार्य-कलापों पर निर्णय होगा। (ख) में समिति के नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन होना है। इस संबंध में माननीय कमलासिंह जी ने भी बतलाया है कि नियमों और उपविधियों में क्या अन्तर है। मेरा संशोधन यह है कि अगर सामान्य बैठक में अन्य कार्य-कलाप जैसे बैलेंस शीट और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, आडिट रिपोर्ट पर विचार इत्यादि जो सामान्य प्रक्रिया है वह होती है तो उसमें चुनाव भी होंगे ही। वह एक साधारण चीज थी। अगर आपका चुनाव निश्चित है तो सामान्य बैठक होगी और उसमें जो सदस्य उपस्थित होंगे वह प्रबन्ध समिति के सदस्यों का नियमतः चुनाव कर लेंगे। तो इसमें शब्द "यदि कोई होना हो" बिलकुल अनावश्यक हैं। इनको हटा दिया जाय और जो नियमित रूप से कार्यवाही होनी है वह होती रहेगी।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय विजयसिंह ने रखा है..

श्री अधिष्ठाता---

जो चीज स्पष्ट नहीं हुई है उसी को रखें।

श्री कमलासिंह यादव---

निर्वाचन में श्रीमन्, जैसे कि ब्लाकवाइज निर्वाचन करा दें और क्षेत्र बन जाय तो हर एक ब्लाक से डायरेक्टर चुनकर यहां आवें....

श्री कल्पनार्थसिंह---

इसका निर्वाचन क्षेत्र बंटने से क्या संबंध है संशोधन का ?

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता स्वयं मौजूद हैं, आप सुनिये। तो जब ब्लाक बन गये हैं सारे उत्तर प्रदेश में तो डायरेक्टर्स तमाम निर्धारित कर दें और आम चुनाव जैसे होता है वैसे हो जाया करे तो

मानोपली जो हो रही है जनरल बाडीज की इलेक्शन में, प्रबन्धक कमेटीज में उसका खात्मा हो जायगा। जैसा कि अब तक होता रहा है असेम्बली के इलेक्शन में या ब्लाक के चुनाव में तो एक बहुत बड़ी त्रुटि सहकारिता में पैदा होगी। विधेयक में यह नहीं है कि वार्षिक बैठक में कोई चुनाव न होगा। रिटायरमेंट के या टर्म खत्म होने के बाद निश्चित है कि चुनाव होगा। भाषा की दृष्टि से भी यह ठीक ही होगा। आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय विजय सिंह जी ने जो क्रेडिट सोसाइटियों के लिये अधिकतम ऋण की सीमा निर्धारित करने के लिये अपना संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं इसको जरूरत नहीं है। यह तो बैंक अपने आप कर सकेगा। अपनी उपविधियों में वह उसे रख सकता है। यहां विधेयक में उसकी कोई व्यवस्था करना उचित नहीं होगा।

श्री विजयसिंह---

सामान्य बैठक में सभी सदस्य होते हैं और उनको यह अधिकार होता है कि वे जनरल मीटिंग में उसे रख सकें कि ऋण की कितनी सीमा हो। अगर माननीय मंत्री जी अपने नियमों में ही उसे रख दें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप देख लें जैसा आप ठीक समझें, करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (१) के भाग (ख) से "यदि कोई होना" शब्द निकाल दिये जांय, तथा (ज) भाग के बाद निम्न नया (झ) भाग और अन्त में जोड़ दिया जाय---

"(झ) समिति की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित होनी चाहिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

३३---(१) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य-सम्पादन के लिये जब- अन्य सामान्य जब आवश्यक हो, समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण- बैठक। सामान्य बैठक कहा जाय) बुला सकती है।

(२) प्रबन्ध कमेटी, निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम १/५ सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३४

प्रबन्ध कमेटी के लिए सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति

३४---(१) यदि राज्य सरकार ने--

(क) किसी सहकारी समिति की अंश-पूंजी में अंशदान दिया हो, अथवा

(ख) किसी सहकारी समिति की अंश-पूंजी के निर्माण तथा वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय ६ में व्यवस्था की गयी है, अथवा

(ग) किसी सहकारी समिति के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्तियों को, उसके सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के निर्वाचन से संबद्ध मामले में मतदान नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की हुई अंश पूंजी सहकारी समिति की कुल अंश-पूंजी की साठ प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई तक सदस्य नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी सेवक की प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और इस अधिकार का प्रयोग पूंजी में राज्य सरकार का अंश साठ प्रतिशत या उससे अधिक हो जाने से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त अथवा पूंजी में ऐसा अंश घटाकर पचास प्रतिशत से कम हो जाने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है ।

(२) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, में उपधारा (१) के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक बात सदन के विचारार्थ रखना चाहूंगा । अभी यहां यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि समय थोड़ा है और काफी खंडों पर विचार करना शेष है । इसके लिये एक तरीका यह हो सकता है, वैसे आपका अधिकार बोलने का है, जो प्रस्तावक महोदय हैं वे अपना संशोधन पेश कर दें, उसके बाद मंत्री जी जवाब दे दें, अगर वह स्वीकार होता है, तब तो कोई बात नहीं, अस्वीकार होता है तो प्रस्तावक महोदय बाद में अपनी बात कह लें । इससे समय कुछ बच जायगा । वैसे जहां आवश्यक हो, पहले भी माननीय सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"राज्य सरकार को अधिकार होगा कि प्रत्येक सहकारी समिति में कोई अधिकारी या सदस्य नियत कर सकेगी वह सहकारी समिति के काल तक उसका सदस्य रहेगा या उस अर्से तक वह सदस्य रहेगा जिस समय के लिये वह अधिकारी या सदस्य सरकार द्वारा नामजद अथवा नियत किया गया हो ।"

श्रीमन्, जो खंड सरकार ने बिल में रक्खा है उसका उद्देश्य यह है कि सरकार की ओर से कोई अधिकारी समिति में हो तो सदस्यों के हकों की रक्षा कर सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सारे बिल का उद्देश्य यह है--प्रजा के हकों की रक्षा करना। जैसा कि हम देखते आये हैं कि १९१२ में यह ऐक्ट पास हुआ था। इसमें काफी त्रुटियां रह गई जो हमारे प्रश्न के द्वारा समय-समय पर सामने आई हैं इसलिये मुझे इस बात का सन्तोष है कि सारे सदन ने इस बात का समर्थन किया है और इसलिये हमारे मंत्रि महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट में सरल शब्द रखने की कोशिश की जाय ताकि जिन लोगों के लिये यह ऐक्ट बनाया गया है उनके समझ में आ सके। मैं देखता हूं कि केवल पुष्ट, उद्देश्य, पर्यवेक्षण, परिकल्पना, परिवर्तित परिसीमन, परिसमाप्ति इत्यादि" जैसे मुश्किल शब्दों को रक्खा गया है और इसके साथ ही ऐसे शब्दों को देखा मैंने जिनका तर्जुमा करना मुश्किल हुआ उन्हें अंग्रेजी में ही रखना जैसे सर्विस, कोआपरेशन, सबसिडी-स्टैट्यूट इत्यादि अंग्रेजी के टेक्निकल शब्दों का प्रयोग हिन्दी में करना होगा यदि हिन्दी को लोक और राष्ट्र भाषा बनाना है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने संशोधन की परिधि तक ही अपने को सीमित रक्खें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिन शब्दों का तर्जुमा सरल शब्दों में करना मुश्किल हो तो वे अंग्रेजी में ही रख दिये जांय। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अगर मेरा संशोधन स्वीकार न हो तो मैं इस संशोधन को वापिस ले सकता हूं।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, इसमें तो यह व्यवस्था की गई है कि दो व्यक्ति नामजद होंगे और वह केवल उन्हीं सोसाइटीज में होंगे जिनमें कि सरकार का अंशदान होगा या सरकार गारन्टी देगी। अन्य सोसाइटीज में, जिनमें कि सरकार का कोई आर्थिक संबंध नहीं होगा गवर्नमेंट अपना व्यक्ति नामजद नहीं करेगी और यह बहुत कोआपरेटर्स की तरफ से मांग थी, इस दृष्टि से इसको रखा गया और इसलिये मैं माननीय मुकन्दी लाल जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विजयसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (१).....

श्री अधिष्ठाता--

आपको क्या माननीय भीखालाल जी अधिकृत कर गये हैं ?

श्री विजयसिंह--

नहीं श्रीमन्, वह मुझे अधिकृत नहीं कर गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अगर वह अधिकृत नहीं कर गये हैं तो आपके संशोधन पेश करने का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री बिजयसिंह—

मैं अपना दूसरा संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) की चौथी पंक्ति में "दो" के स्थान पर "एक" कर दिया जाय तथा पांचवीं पंक्ति "जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा" हटा दिया जाय।

यह भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। यह प्रवर समिति से तथा उनमें जो दो आदमी नाम निर्दिष्ट होंगे उनसे संबंधित है। मान्यवर, नाम निर्देशन का विरोध बहुत पहले से ही इस विधेयक के संबंध में किया जा रहा है और यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि सरकार नाम निदशन के द्वारा अपना बहुमत और अपना दबाव हर प्रबन्ध कमेटी में रखना चाहती है। आप इसके शब्दों को देखें—(क) किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अंशदान दिया हो, अथवा (ख) किसी सहकारी समिति की अंश–पूंजी के निर्माण तथा वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय ६ में व्यवस्था की गयी है, अथवा (ग) किसी सहकारी समिति के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज क भुगतान क लिय प्रत्याभूति दी हो तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्ति को, उसके सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के निर्वाचन से संबद्ध मामले में मतदान नहीं करेगा :

तो मेरा यह कहना है कि हम उसमें कितनी ही पूंजी लगायें, हमारा एक ही वोट का अधिकार होगा और पांच हजार तक एक सदस्य पूंजी लगा सकता है, तो आप गवर्नमेंट के लिये दो आदमी नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार क्यों चाहते हैं। आप उसमें चाहे जितना शयर ल, लकिन एसे नियम हमारे लिये हैं, आपका भी एक ही प्रतिनिधि जाना चाहिये। एक तो जो पैसा आप लगाते हैं वित्तीय पोषण के लिये है उसके लिये आप हिसाब किताब देखने के लिये अपना एक अधिकारी भेजना चाहते हैं तो वह तो उपयुक्त है, आपका पैसा लगा है, आपका एक प्रतिनिधि होना चाहिये। लेकिन आप दो क्यों चाहते हैं? अगर आप यह समझते हैं कि सरकारी अफसर जायगा, उसमें कोई बुद्धि नहीं होगी, इसलिये एक गैरसरकारी आदमी भी आप भेजेंगे और यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह कौन होगा, यह एक बहुत पुराना तरीका है कि एक तो कलमदान लेकर चलेगा और दूसरा व्यक्ति उसकी कलम लेकर चलेगा। आप यह कह सकते हैं कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिये और अगर नहीं चाहते हैं तो जो गैर-सरकारी आदमी जाय वह क्यों न ऐसा आदमी हो जो हिसाब किताब की जांच भी कर सके और वोट भी दे सके। दो आदमी क्यों भेजे? एक ही गैर सरकारी आदमी भेजिये जो मत भी दे सके और हिसाब किताब की जांच भी कर सके। लिहाजा एक ही आदमी होना चाहिये और मैं इसको इसीलिये प्रेस करता हूं।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसमें कहीं भी किसी सोसाइटी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह गवर्नमेंट से अंश-दान ले। उनमें एक भी व्यक्ति को गवर्नमेंट नामजद नहीं करेगी और आप देखेंगे कि इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति का शेयर ५ हजार रु० का हो सकता है। लेकिन अगर माननीय विजय सिंह का प्रस्ताव मान लिया जाय तो इसके माने यह हुआ कि गवर्नमेंट शेयर के बजाय सभी सोसाइटी को एक प्रकार से सबसिडी देती जाय। इसमें एक व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस का होगा, एक नान आफिशियल होगा और चुनाव में केवल गैर सरकारी व्यक्ति को लेने का अधिकार है। चूंकि सोसाइटी में गवर्नमेंट का अंशदान होगा इसलिये सरकार का एक व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकेगा। अगर माननीय सदस्य के प्रस्ताव को मान लें तो इसके माने तो यह हुआ कि सरकार कोई भी इनवेस्टमेंट न करे, इस प्रकार से तो सोसाइटी ही खत्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जायगी । एक तरफ तो सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरह का रिडिकुलस संशोधन पेश किया जाता है, इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री विजयसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी की जो सद्भावना है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन मान लीजिये कि साल दो साल तक सोसाइटी अच्छी तरह से चली और फिर बाद में किसी ने किसी वजह से नियमों का अतिक्रमण किया तब क्या होगा । इसलिये इसको बिलकुल नियमबद्ध होना चाहिये ताकि जो व्यक्ति भी वहां रहे वह सोसाइटी को अच्छी तरह से चलाये । मैं समझता हूं कि वहां पर एक ही व्यक्ति रहे जो वोट और चुनाव में काम कर सके और सोसाइटी के काम का निरीक्षण भी करें । उसमें सरकारी आदमी का होना जरूरी नहीं है । यदि सरकारी ही चाहते हैं तो उसे भी वोट देने की आज्ञा दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) की चौथी पंक्ति में "दो" के स्थान पर "एक" कर दिया जाय तथा पांचवीं पंक्ति में "जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा" हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

खंड ३४ (१) (ग) के अन्त से "किन्तु सरकारी....नहीं करेगा", निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर अधोलिखित लिख दिया जाय :

"नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी एक को ही, जिसे सरकार प्राधिकृत करे, बैठकों में मतदान का अधिकार होगा । परन्तु चुनाव से सम्बद्ध मामलों में मतदान करने, प्रत्याशी होने, प्रस्तावित अथवा समर्थित करने का अधिकार नहीं होगा ।"

अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों के लिये तो बड़ी कठिनाई है । उधर के माननीय कल्पनाथसिंह, माननीय रामायण राय जी या माननीय कृष्णानन्द राय जी कोई संशोधन रखते हैं तो उसे तो मान लिया जाता है लेकिन अगर हम सरकार के हित की भी कोई बात बतलाते हैं तो उसे मानने के लिये सरकार तैयार नहीं होती है । अभी भी अगर कार्यवाही देखी जाय तो माननीय बनारसीदास जी ने कहा है कि उसको मतदान का अधिकार होगा लेकिन वह निर्वाचन का अधिकारी नहीं होगा । एक सरकारी आदमी के लिये आपने कहा, दूसरे आदमी की बात स्पष्ट नहीं है । इसलिये इस संशोधन को रखकर मैं आपकी ही बात कहने जा रहा हूं कि सरकार जो अपना अंश उसमें लगाती है उसकी हिफाजत व सुरक्षा के लिये आप उसको मतदान का अवसर दें, यही हमारा संशोधन है । इसको आप स्पष्ट कर दें, आपने कहीं नहीं कहा है कि वह मतदान कर सकता है । इसमें आप स्पष्ट रूप से दो में से एक को चाहे सरकारी को चाहे गैर सरकारी को मतदान का अधिकार दे दें लेकिन चुनाव से सम्बद्ध मामलों में मतदान करने, प्रत्याशी होने, प्रस्तावित तथा समर्थित करने का अधिकार न दें ।

*श्री बनारसीदास---

अधिष्ठाता महोदय, यदि आप खंड ३४(ग) को देखें जिसमें लिखा है---किसी सहकारी समिति के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

दी हो तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्तियों को, उसके सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के निर्वाचन से सम्बद्ध मामले में मतदान नहीं करेगा। यह साफ लिखा है कि गैर सरकारी व्यक्ति मतदान में भाग लेगा। चुनाव के अतिरिक्त गवर्नमेंट सर्वेन्ट और नानआफिशियल दोनों मत देंगे लेकिन चुनाव में केवल नाम नानआफिशियल मत देगा। लेकिन यह कहना कि प्रस्ताव भी न कर सकेगा या समर्थन भी न कर सकेगा, यह अनुचित लगता है। फिर गवर्नमेंट का नाम निर्देशित व्यक्ति तो एक ही होगा जब कि एक १० रुपये का शेयर होल्डर वहां का अध्यक्ष भी बन सकता है लेकिन उसको नाम निर्देशित को चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३४(१)(ग) के अन्त से "किन्तु सरकारी....नहीं करेगा", निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर अधोलिखित लिख दिया जाय :

"नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी एक को ही, जिसे सरकार प्राधिकृत करे, बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। परन्तु चुनाव से सम्बद्ध मामलों में मतदान करने, प्रत्याशी होने, प्रस्तावित अथवा समर्थित करने का अधिकार नहीं होगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में 'दो तिहाई' के स्थान पर 'एक पंचमांश' रख दिया जाय।"

श्रीमन्, जहां तक सहकारिता का संबंध है उसका उद्देश्य है कि चाहे कितने ही शेयर क्यों न हों, कितना ही रुपया कोई सहकारी समिति में क्यों न लगाये, लेकिन उसका मत एक ही होगा। धारा ३० में भी माननीय मंत्री जी ने लिखा है "सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत प्राप्त होगा।" उसके बाद फिर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो चुनाव कमेटी, फेडरल को छोड़कर रखी है, उसमें भी यह है—

२२—व्यक्ति विशेष सदस्य—(क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से जो उसके १/५ से अधिक न हो और जो नियत किया जाय, अधिक धारित करेगा, और

(ख) न पांच हजार रुपये से अधिक अंकित मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उनमें किसी हित का दावा करेगा।

श्रीमन्, आप देख रहे हैं बाहरी लोग जो पब्लिक के आदमी हैं उन पर माननीय मंत्री जी यह पाबन्दी लगा रहे हैं कि १/५ से ज्यादा शेयर न खरीद सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने खंड २० में यह उसूल बनाया है कि चाहे जितने शेयर हों लेकिन वोट एक ही होगा लेकिन यहां क्या बात है कि सहकारिता समिति के बजाय सरकारी समिति बना रहे हैं। जब २/३ शेयर आप खरीद लेंगे तो २/३ हिस्से आपके होंगे तो यहां आपका २/३ वोट हो गया। यह सहकारिता का आधार नहीं, सहकारिता का आधार है। मैं चाहूंगा कि सरकार अब तो अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेंटेलिटी बदल दे। मैं सरकार का इस बिल के उद्देश्य और कारणों की तरफ फिर ध्यान दिलाऊंगा। आपकी कथनी और करनी में भेद है। आप यहां जो ऐलान करते हैं उसके अनुसार आप अपना आचरण भी रखें। लेकिन आप उद्देश्य और कारण और रखते हैं और करते कुछ और हैं। यह बिल-कुल गलत बात होगी और सदन को गुमराह करने की बात है उद्देश्य और कारणों में ऐसी बातें हैं; जो कि मैं अगले संशोधन में मंत्री जी के सामने रखूंगा और पौल खोलूंगा उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल यही कहूंगा कि हमेंशा उनका उद्देश्य होना चाहिये कि सहकारी समिति, सरकारी समिति न हो जाय। इस पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये। दूसरे जो यह समितियां हैं उनमें उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है।

महाराष्ट्र के ऐक्ट के खंड ६ में यह दिया हुआ है कि फेडरल सोसाइटी के अलावा महाराष्ट्र में जितनी सोसाइटीज होंगी उनके सदस्य ऐसे लोग ही हो सकेंगे जो एक परिवार के नहीं होंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा दस आदमी रखे जा सकते हैं और जो उस समिति के क्षेत्र में रहते हों। हमारे यहां एक चीज यह हुई है कि जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है उनमें कोई भी चेक नहीं है, खानदान के नाबालिग जितने भी मेम्बर हैं, जैसा कि सीलिंग ऐक्ट में हुआ कि सारी जमीन एक खानदान मिलकर खा गया और कोई जमीन हाथ नहीं लगी। इसी तरह से इस विधेयक में भी एक ही परिवार वाले मिलकर सहकारी समिति बना लेंगे। इससे यह आन्दोलन ही खत्म हो जायगा। मैं मंत्री जी को चेतावनी दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये आप कोई न कोई चेक निकालें, महाराष्ट्र के लोग मूर्ख नहीं हैं जो उन्होंने इस तरह से चेक किया है। सहकारिता का अर्थ यह नहीं है कि घर के लोग ही कोई समिति चलायें, सहकारिता का मतलब यह है कि विभिन्न परिवारों के लोग मिलकर सोसाइटी बनायें और इस आन्दोलन को चलायें। इस तरह से तो घर के आदमियों के नाम से कोई भी पूंजीपति सहकारिता के नाम पर काम कर सकेगा। अच्छा हो कि कई परिवार मिलकर समिति बनायें और आपस में कोआपरेट करें और कोई ऐसा काम न रह जाय कि जो पैसे की कमी के कारण न हो सके। एक ओर तो आपने परिवार की कोई रोक नहीं लगायी और जहां तक सरकारी समितियों का सम्बन्ध है और जहां आप की पूंजी ६० प्रतिशत होगी या ज्यादा होगी वहां आपने केवल दो तिहाई रखा है। इस तरह से आप सहकारिता की भावना को ही समाप्त कर रहे हैं। जैसे आपने पांचवें हिस्से की रुकावट लगाई है कि कोई शेयर नहीं खरीदेगा इसलिये यहां भी आप को कोरम पूरा करने की बात रखनी चाहिये। अधिकतर सब जगह एक बटा पांच से कोरम पूरा हो जाता है, इसलिये कोरम पूरा होने के लिये जितने वोट की जरूरत है उतना ही रखें वही काफी होगा। इसी खयाल से मैंने एक बटा पांच रखा है। मंत्री जी की सब लोग तारीफ करते हैं कि उनका सहकारिता में इंटरेस्ट है लेकिन अगर वह इस तरह से सरकारी समितियां बनायेंगे तो उचित न होगा और इस से सहकारिता की जो रुचि है उसमें ही अन्तर पड़ जायगा।

*श्री बनारसीदास--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह ने बड़े विस्तार के साथ साधारण विवाद में इस बात पर जोर दिया था और फिर उसी के लिये इतना कष्ट किया लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम उनके संशोधन को मान लें तो प्रदेश में न तो उससे सहकारिता का कोई हित होगा और न कोई शुगर फैक्टरी या स्पिनिंग फैक्टरी सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित हो सकेगी। जैसे चुर्क सीमेंट फैक्टरी, या प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, जिसमें सरकार का एक-एक करोड़ रुपया लगा हुआ है तो गवर्नमेंट खुद ही अपना मैनेजमेंट करे बजाय कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्दर करे। इधर तो माननीय कमला सिंह जी आये दिन प्रश्न किया करते हैं कि फलां सोसाइटी फेल हो गयी है, फलां सोसाइटी में गबन हो गया है और यहां कहते हैं कि सरकार का कुछ भी हाथ न हो। किसी भी प्रदेश के अन्दर यह नहीं है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और यदि राज्य सरकार द्वारा अंश-दान की हुई अंश-पूंजी सहकारी समिति की कुल अंश-पूंजी की साठ प्रतिशत या उससे अधिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई न होगी। सरकारी व्यक्ति चेयरमैन हो सकता है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग ४ साल के अन्दर यदि पूंजी में ऐसा अंश घटाकर ५० प्रतिशत से कम हो जाने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि सरकार १-१ करोड़ रुपया लगादे और उसे १०-१० या २०-२० रुपये वाले शेयर होल्डर्स को सुपुर्द कर दे तो यह कोआपरेटिव आन्दोलन के प्रसार के लिये हितकर न होगा। मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि 'दो तिहाई' के स्थान पर 'एक पंचमांश' रख दिया जाय। मुझे ताज्जुब है कि भाई कमला सिंह जैसे व्यक्ति भी इस प्रकार का सुझाव दें। हमने इसमें ५ वर्ष का समय केवल प्रोत्साहन देने के लिये रखा है। मद्रास में कोई प्रतिबन्ध न हो लेकिन अगर मैं इसको मान लेता हूं तो कोई शुगर फैक्टरी नहीं लगने वाली है पूर्वी जिलों में।

श्री कमलासिंह यादव---

यदि माननीय मंत्री जी एक शुगर फैक्टरी लगवा देंगे तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा।

श्री बनारसीदास---

कोआपरेटिव की शुगर फैक्टरी गाजीपुर में भी लगवाने का प्रश्न विचाराधीन है। बलिया में शुगर फैक्टरी लगवाने का प्रश्न विचाराधीन है, जहां पर कोई कारखाना नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि कोई स्टेट ऐसी नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रुपया इस तरह से एडवान्स या इनवेस्ट न करती हो। श्रीमन्, मेरे पास मद्रास का विधेयक है जिसकी धारा ४४, ४५ और ४६ में दिया हुआ है कि इनवेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट इन रजिस्टर्ड एशोसियेशन्स। इसको, श्रीमन्, पढकर मैं नहीं सुनाना चाहता हूं क्योंकि व्यर्थ में समय बरबाद होगा। हर स्टेट में यह होता है। मेरी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट यह है कि मेरा संशोधन चाहे गलत हो या सही हो, आप गाजीपुर में एक सरकारी चीनी मिल लगवा दें तो मुझे इस संशोधन को वापिस लेने में कोई एतराज न होगा।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के प्रतिबन्ध की चौथी पंक्ति में "दो तिहाई" के स्थान पर "एक पंचमांश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के प्रतिबन्ध की पांचवीं पंक्ति में शब्द "सरकारी सेवक" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"असरकारी व्यक्ति"

जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी देखें उद्देश्य और कारण के खंड २ में दिया हुआ है–"सहकारी समिति के प्रबन्ध में गैर सरकारी व्यक्तियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी समितियों की प्रबन्धक कमेटी के सभापति का निर्वाचन कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाय।" इसी उद्देश्य और कारण के पैरा ९ में दिया हुआ है सहकारी आन्दोलन के उद्देश्य के रूप में लोक तंत्रीयकरण और अशासकीयकरण को ध्यान में रखते हुए विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संघटन करे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी डेमोक्रेसी इसके तहत में कहां गयीं जब आप खुद नामिनेट करने जा रहे हैं सभापतियों को। खंड ३० के उपखंड १ में दिया हुआ है—'प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति तथा एक उप सभापति होगा जो नियमों तथा उपविधियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित होंगे। माननीय मंत्री चूंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसे चीनी मिल है, सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें माननीय मंत्री जी को अधिकार होना चाहिये भले ही लोकतांत्रिक विचारधारा कुछ भी हो और उनको नामिनेट करने की वहां पावर होनी चाहिये। लेकिन मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि तमाम सरकारी अधिकारियों को अध्यक्ष बना दें। फिर उपाध्यक्ष कौन होगा इस पर माननीय मंत्री जी चुप हैं। जब माननीय मंत्री जी का यह विश्वास है कि कोई भी सहकारी समिति हो उसका अध्यक्ष नान आफिशियल होना चाहिये तो मैं नहीं समझ पाया कि यहां कौन-सी ऐसी प्रेरणा उनको मिल गयी कि सरकारी अधिकारियों को वे अध्यक्ष का पद देने जा रहे हैं। जब ऐसा वह करने जा रहे हैं तो उद्देश्य और कारण में जो २(१) में लिखा है उसे वह काट दें।

धारा ३० के अन्तर्गत सहकारी समितियों के नियमों के अन्तर्गत आपने उनको सभापतियों को निर्वाचित करने की बात रखी है और यहां पर माननीय मंत्री जी नाम निर्दिष्ट करने की बात रख रहे हैं तो क्या कोई रिटायर्ड मिनिस्टर नहीं मिला या कोई भी साथी नहीं मिला जिसको वह नामिनेट कर सकते। हमने बराबर यह देखा है कि किसी आदमी को अगर वह यहां खुश नहीं कर सकते तो उसको कहीं न कहीं बैठा देते हैं और उसमें मुझे एतराज नहीं है। इसमें शायद मुझे भी मौका मिल जाय जिसकी, कि वैसे उम्मीद नहीं है इसलिये कम से कम नान आफीशियल्स से आपको क्या दुश्मनी है? इसलिये योग्य आदमी जो आपका प्रबन्ध अच्छी तरह से कर सकें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। आपको रिटायर्ड जजेज और पब्लिक के योग्य आदमी मिल सकते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकारी सेवक रखना उचित नहीं होगा।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने यदि अपने मित्र से सलाह कर ली होती तो शायद वे ऐसा संशोधन न लाते। अगर हम ऐसा रखते तो फिर कहते कि एक चरागाह बनाई जा रही है राजनीतिक व्यक्तियों के लिये जो चुनाव में हार गये हैं। अगर हम यह रख देते कि गैर सरकारी व्यक्ति चेयरमैन होगा तो माननीय कमलासिंह और विजयसिंह जी ही कहते कि यह चरागाह राजनीतिक व्यक्तियों के लिए बनाया जा रहा है। अन्य व्यक्ति कहते कि राजनीतिक कार्यों के लिये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिये आपसे आशंकित हो कर हमने यह व्यवस्था की कि जहां तक होगा गवर्नमेंट सरवेंट को रखेंगे। इसमें हमने एक पावर ली है। ऐसा नहीं है कि नान आफीशियल हो ही नहीं सकते। यह तो ऐसी चीज है जैसे एक समय कुछ देव दानव प्रजापति के पास गये। उन्होंने "द" शब्द का प्रयोग किया। कुछ लोगों ने उससे दमन, कुछ ने दया और कुछ ने दान समझा इसमें कथनी और करनी का सवाल नहीं है बल्कि यह अपनी-अपनी समझ का सवाल है। यह तो साधारण स्थिति के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]
हैं। अगर हम सहकारिता के पक्ष में न होते तो सरकारी फैक्टरी बनाते। हमारे पास ज्यादा पूंजी कहां है। हम चाहते हैं कि आप लोग फैक्टरी खड़ी करें। हम तो प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

*श्री कमला सिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने एक बात कही कि वे सरकारी अधिकारियों को किसी पद पर खड़े होने का हक नहीं दे रहे हैं और इस समय सरकारी और असरकारी दोनों को रखना चाहते हैं। अगर कहीं लेशमात्र भी कोई कह दे कि असरकारी लोगों को रखने की गुंजाइश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इसमें लिखा है कि "धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी किसी सरकारी सेवक को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।" अगर आप कहीं भी दिखा दें तो मैं मान लूंगा।

*श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की हुई पूंजी सहकारी समिति की कुल अंश-पूंजी की ६० प्रतिशत या उससे अधिक हो तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई तक सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी किसी सरकारी सेवक को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह हो गया कि गैर सरकारी व्यक्ति वंचित नहीं किये गये क्योंकि पहले ३० में प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसको हटाने की दृष्टि से रखा गया है कि किसी बात के रहते हुए भी उसका नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। उसको नामजद किया जा सकता है। इसके मानी यह हैं कि अगर गवर्नमेंट सरकारी को करना चाहती है तो कर दे। गैर सरकारी का तो है ही।

श्री रामायणराय---

माननीय अध्यक्ष का यह आदेश था कि कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव था उस पर आप दो बजे मत ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, जिस बात की ओर माननीय रामायण राय जी ने ध्यान दिलाया। लेकिन मैं ३४ खंड पूरा कर लेने के बाद, अभी उसको ले लूंगा।

*श्री कमलासिंह यादव---

समझने की बात है, जो उल्टा समझ गये। खंड ३० में यह दिया हुआ है कि प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति तथा एक उप सभापति होगा जो नियमों तथा उपविधियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित होंगे। इसमें दिया हुआ है कि धारा ३० के होते हुए भी यानी निर्वाचन के द्वारा होते हुए भी सरकार किसी असरकारी को नामजद कर सकती है। इस तरह से सरकार को अधिकार होता है नामिनेशन का और वहां एलेक्शन की बात है। माननीय मंत्री जी जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, जो अभी आपने स्पष्ट किया है वह नहीं चाहते कि सरकारी आदमी इस स्थान पर रहे और असरकारी व्यक्तियों को करना चाहते हैं, वह नहीं पूरा होता। अपने डिपार्टमेंट से पूछ लें, सरकारी और असरकारी दोनों को रखने का प्रबन्ध कर दें। अगर शाब्दिक संशोधन आ जाय तो मुझे ऐतराज नहीं है। असरकारी लोगों को रखने की वहां कोशिश करें। सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए असरकारी लोगों को रखना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने भयभीत हो कर ऐसा रख दिया । भयभीत होकर गलत काम करने के लिए कोई नहीं कहता । सुप्रीम कोर्ट का जिस वक्त मामला आया, मेरी पार्टी के सब लोग खिलाफ थे लेकिन मैंने जो सही बात थी वही किया । किसी से भयभीत हो कर कानून बनाना तो गलत बात है । एक योग्य व्यक्ति को वहां आना चाहिये जो ठीक से अनुशासन रख सके। इसके लिए जरूरी नहीं है सरकारी अफसर ही हो । असरकारी व्यक्तियों को भी मौका दिया जाय । ऐसे लोग जब आयेंगे तभी सहकारी आन्दोलन सफल हो सकेगा । इसी विचारधारा से आप इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री बनारसीदास--

यदि वह चाहते हैं तो जो (ग) का प्रतिबन्ध है, उसमें यह शब्द बढ़ाये जा सकते हैं संशोधन के रूप में ।

"·····और धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी अथवा गैरसरकारी व्यक्ति को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा····।" किन्तु श्रीमन्, यह प्रतिबन्ध (ग) जो है उसमें होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप पूरे संशोधित संशोधन को स्पष्ट रूप से कह दें।

श्री बनारसीदास--

संशोधित रूप में इस प्रकार होगा– "प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की हुई अंश-पूंजी सहकारी समिति की कुल अंश पूंजी की साठ प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई तक सदस्य नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी अथवा गैरसरकारी व्यक्ति को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा ।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) के भाग (ग) का प्रतिबन्ध निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय– "·····और धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी अथवा गैरसरकारी व्यक्ति को प्रबन्ध कमेटी के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा···।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं ।

"खंड ३४(१) का प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटा दिया जाये । जो हमारे सभी भ्रम थे, जिस समय लोग कहते हैं कि जनसंघ वाले सहकारिता में विश्वास नहीं करते हैं, तो उस समय मेरा यही कहना है कि इसलिये उसे नहीं मानते हैं कि सहकारिता के नाम सरकारिता आने वाली है । इस पूरे प्रतिबन्ध को माननीय मंत्री जी देखेंगे तो जहां पर हम ६० प्रतिशत पूंजी लगा देते हैं, वहां पर दो तिहाई अवश्य रहेंगे । तो कौन सी सहकारिता चलने वाली है । सरकारी लोग हैं तो सहकारिता रही कहां ? जहां पर आप पूंजी लगा देते हैं वहां पर २ व्यक्ति तो आप पहले से ही नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें से एक सरकारी होगा और एक गैरसरकारी जो आपके धन की वहां पर सुरक्षा करेंगे । तो यहां पर हमारी सहकारिता बेनकाब हो जाती है । आप चाहते तो बहुत हैं कि सहकारिता को प्रोत्साहन दें, किन्तु यदि आपने सभी में ६० प्रतिशत लगा दिया तो सभी सरकारी होंगी । यदि आप सभी में ६० प्रतिशत लगा दें तो आपको ऐसा करने से कौन रोकने वाला है । आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप सरकारी बना देना चाहेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि संशोधन को थोड़े संशोधित रूप में सरकार ने मान लिया है, इसे आप सिर्फ प्रस्तुत कर दें, ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध न रखें कि जिससे सहकारिता की जगह सरकारिता आ जाये।

श्री रक्षपाल सिंह--

श्रीमन्, इस प्रतिबन्ध के रखे जाने के बाद संभवत; २ बातें जो पहले के प्राविजन में हैं उनकी उल्टी गुंजायश हो जायेगी। एक तो २० के अन्दर यह है कि चाहे किसी सदस्य की कितनी भी पूंजी हो उसका एक वोट रहेगा लेकिन सरकार ने अपने लिये दो तिहाई सदस्यों की व्यवस्था कर रखी है जब उसकी पूंजी हो और दूसरे ३० में सभापति को यह नामनिर्दिष्ट कर देंगे। जो अधिनियम में आप रख चुके हैं उसके यह विरोध में जायगा और अगर हाई कोर्ट में पहुंच गया तो इन्वैलिस्ड हो जायगा।

श्री बनारसीदास--

जो मैं कह चुका हूं उससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३४(१) का प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अच्छा हो कि जो खंडों में संशोधन हैं उन पर आप मत ले लें और बाद में जब समय बच जायगा तो जिन लोगों को तीसरी रीडिंग में खंडों पर विरोध करना होगा, कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य स्वयं इसका ध्यान रखेंगे। मैं कोई व्यवस्था नहीं देता। उसके लिये निष्कर्ष आप स्वयं निकाल लें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

अब माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा था उस पर मत लेना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों तथा कार्यों के संबंध में विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को आज दी गयी है, सहमत है:--

(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के अनुमोदन के संकल्प पर विचार--दिनांक २ व ६ सितम्बर, १९६५ को प्रत्येक दिन सायंकाल ६ बजे तक।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार दिनांक २ व ६ सितम्बर १९६५ को प्रत्येक दिन सायंकाल ६ बजे तक ।

(३) वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ३ सितम्बर, १९६५ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (क्रमागत)

खंड ३५

३५—(१) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी गयी सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश देकर प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियत परिस्थितियों में समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाना संभव नहीं है, तो निबन्धक के लिये समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगा ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही करते समय, निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो, वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरान्त कार्य करना बन्द कर देगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यों के प्रबन्ध के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त न की जाये तो उसे पुनः स्थापित किया जायगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने में सम्मिलित की जायगी ।

(३) यदि निबन्धक ने उपधारा (१) के अधीन प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त कर दी हो तो वह उसके स्थान पर निम्नलिखित को एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये, जो अवक्रमण आदेश में निर्दिष्ट की जायगी, नियुक्त कर सकता है:—

(क) एक नयी कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य हों, अथवा

(ख) एक अथवा अधिक प्रशासक जिसका या जिनका समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं हो :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है, किन्तु एक बार में बढ़ायी गई अवधि ६ महीने से अधिक न होगी और बढ़ायी गयी कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी ।

(४) निबन्धक को उपधारा (३) के खन्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त कमेटी अधवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को स्वमति से उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा ।

(५) उपधारा (३) और (४) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को, किसी ऐसे निदेश के अधीन रहते हुए जो निबन्धक समय-समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का [और ऐसे का सभी कार्य करने का] अधिकार होगा [जो समिति के हित में इष्टकर समझे जायं] और वे इस अधिनियम , नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिये प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे ।

(६) उपधारा (३) के अधीन निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (३) और (४) के अधीन नियुक्त कमेटी या प्रशासक अथवा प्रशासकगण इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था इस निमित्त करेंगे कि वह उक्त अवधि व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध अपने हाथ में लें ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिल मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "खन्ड ३५ (१) का वर्तमान प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने से पहले निबन्धक वित्त पोषक बैंक, यदि कोई हो, से परामर्श करेगा ।"

वैसे कहना तो बहुत था लेकिन समय नहीं है इसलिये केवल इतना कहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एक कमेटी जो इस कोआपरेटिव ला के संबंध में बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ८१ पर लिखा है, उसे पढ़ देता हूं---

Supersession of Committee—9 (4) Before taking any action under sub-section (1) in respect of a Co-operative Society, the Registrar shall consult any financial institution to which it is indebted."

इससे स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार के लिये उस बैंक से राय लेनी चाहिये जिससे उक्त समिति ने कर्जा ले रखा है इसके पहले कि उसको वह अवक्रान्त करने के लिये कदम उठावे। कहना तो अधिक था लेकिन समय कम है इसलिये इतना ही कह कर मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

श्रीमन्, वित्तपोषक बैंक तो कई समितियों से संबंध रखेगा। पी० सी० एफ० कंज्यूमर्स स्टोर्स से, मार्केटिंग सोसाइटियों से सभी से संबंध उसका रहेगा और वह सबको ऋण भी देगा। तो कितने ही आदमी ऐसे हो सकते हैं जो इसमें आ जायेंगे जिनको वह ऋणी होगी। इसलिये बड़ी भारी कम्पलीकेशन्स पैदा हो जायंगे । इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

कल माननीय मंत्री जी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आज मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है उसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। बीसवीं स्टैन्डिंग एडवाइजरी कमेटी आन एग्रीकलचर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा गया है कि जहां पर सेन्ट्रल बैंक होगा वहां पर स्टेट बैंक नहीं होगा। इस विधेयक में हम यह देख रहे हैं कि बराबर दूसरे बैंक भी काम कर रहे है । इस तरह से इसमें बड़ा विरोधाभास पैदा हो जायगा। जैसा कि जगदीश प्रसाद जी कह रहे हैं कि यदि वित्त पोषक बैंक से राय ले ली जाय तो वह अनामाली कम हो सकती है जो कि इसमें आगे चलकर पैदा हो सकती है। इस-लिये जो राय जगदीश प्रसाद जी ने रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज कर दिया कि यह हमको स्वीकार नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें समय अधिक लग जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद—

अगर मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रक्षपालसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३५ के उपखण्ड (२) के बाद लिखी प्रतिबन्धात्मक कर्णिका के पूर्व (अ) लिख दिया जाय तथा कर्णिका के बाद अधोलिखित अंश (ब) बढ़ा दिया जाय :

"(ब) यदि समिति निबन्धक के निलम्बन अथवा अवक्रान्त आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह १५ दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध आपील इस उद्देश्य के लिये गठित एक न्यायाधिकरण के सम्मुख कर सकेगी। इस बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा उसे 'स्थगन आदेश' भी देने का अधिकार होगा।

श्रीमन्, ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब समिति के स्थगित किये जाने की बात हो ठीक है। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है रजिस्ट्रार के मिले अधिकारों का दुरुपयोग हो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उसके लिये अपील की व्यवस्था हो। तो ऐसी व्यवस्था किये जाने के लिये यह संशोधन है और आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने दिन तक आप इसको डिजाल्व कर रखेंगे। टाउन एरिया और म्युनिसिपल एरिया में दो वर्ष के लिये मैक्सिमम रखा गया है, लेकिन उनको तीन, चार साल तक डिजाल्व रखा जाता है। तो इस पावर का रजिस्ट्रार दुरुपयोग करेगा। चूंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है इसलिये इसका मैं घोर विरोध करता हूं और समझता हूं कि इस तरह की पावर बिलकुल नहीं दी जानी चाहिये।

श्री बनारसीदास—

इस रजिस्ट्रेशन के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा जिसकी व्यवस्था धारा १९ में की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (२) के बाद लिखी प्रतिबन्धात्मक कर्णिका के पूर्व (अ) लिख दिया जाय तथा कर्णिका के बाद अधोलिखित अंश (ब) बढ़ा दिया जाय।

[श्री अधिष्ठाता]

"(ब) यदि समिति निबन्धक के निलम्बन अथवा अवक्रान्त आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह १५ दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अपील इस उद्देश्य के लिये गठित एक न्यायाधिकरण के सम्मुख कर सकेगी। इस बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा उसे 'स्थगन आदेश' भी देने का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति से "एक वर्ष.... निर्दिष्ट की जायगी।" तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय, तथा उसके स्थान पर अधोलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अवक्रान्त करने की अवधि समिति अगली जनरल मीटिंग की तिथि से आगे नहीं बढ़ेगी तथा इस बैठक में विधिवत् निर्वाचन करा दिया जायगा।"

श्रीमन्, इसका आशय यह है कि यदि सरकार किसी समिति को समाप्त करे तो उसे नया चुनाव कराने तक से अधिक समय नहीं लगाना चाहिये। यह बड़ा आवश्यक है और आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—

यह तो हमारे नियमों में है। आप देखें उपधारा २ में ही यह दिया हुआ है कि पहली बार बढ़ायी हुई अवधि ६ माह होगी और कुल बढ़ाई हुई अवधि १ वर्ष से अधिक न होगी। यह दिया हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसे वापस ले रहे हैं?

श्री रक्षपालसिंह—

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति से "एक वर्ष... निर्दिष्ट की जायगी।" तथा प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय, तथा उसके स्थान पर अधोलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अवक्रान्त करने की अवधि समिति की अगली जनरल मीटिंग की तिथि से आगे नहीं बढ़ेगी तथा इस बैठक में विधिवत् निर्वाचन करा दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ का प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटा दिया जाय। मान्यवर, इस खंड में प्रबन्ध कमेटी के अवक्रमण और निलम्बन का अधिकार है।

मान्यवर, जब किसी समिति को अवक्रान्त करना है या निलम्बित करना है तो जरूरी है कि उसके सारे पहलुओं पर विचार कर लिया जाय कि उस पर किसी राजनीतिक दबाव से, किसी और आधार पर या व्यक्तिगत आरोप के कारण उसका अवक्रमण तो नहीं किया जा रहा है।

इसमें स्पष्ट है कि अगर "निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है" तो चूक शब्द ऐसा है जो सदैव सम्भावित है कि हर एक से, बड़े-बड़े लोगों से चूक हो जाती है। तो अगर समिति से चूक हो जाती है तो उसको एक अवसर देना चाहिए स्पष्टीकरण का। अगर कोई कमेटी जानबूझ कर हानि पहुंचाती है या समुचित रूप से कोई कार्य नहीं करती है और समान्य बैठक में लोग नहीं आते हैं तो उसके लिए स्पष्टीकरण का मौका तो होना ही चाहिए। हो सकता है कि बारिश की वजह से या अन्य कारणों से उपस्थित न हो सकें। प्रजातंत्र में अगर कोई बात हमसे संबंधित है तो हमें स्पष्टीकरण का मौका तो होना ही चाहिए अगर एक बार आपने मीटिंग बुलाई, सदस्य लोग इकट्ठे नहीं हुए तो दूसरा अवसर दीजिये, तीसरा अवसर दीजिये स्पष्टीकरण करने का। इसलिए निबन्धक को पूर्ण अधिकार न देकर सामान्य बैठक बुलाना और मौका देना आवश्यक है। इसलिए इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

श्री बनारसीदास—

इसमें जैसा लिखा है कि "नियत परिस्थितियां" तो जब अधिनियम बनायेंगे तो परिस्थितियां नियत की जायेंगी और उसी के अनुसार रजिस्ट्रार अमल करेंगे।

श्री विजयसिंह—

तो हम समझें कि मंत्री जी ने हमारे संशोधन को मान लिया है?

श्री अधिष्ठाता—

आप जो चाहें समझें।

प्रश्न यह है कि खंड ३५ का प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६—३७

अभिलेख आदि कब्जे में लेना

३६--(१) यदि धारा ३५ के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जाय अथवा यदि धारा ७२ के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जाय और प्रबन्ध कमेटी के बहिर्गामी सदस्य, समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा ३५ की उपधारा [(२) और (३)] (२), (३) और (४) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट को, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, मैजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायगी।

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में निबन्धक के आपातिक अधिकार

३७—(१) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि सहकारी समिति की बहियों तथा अभिलेखों में अन्तक्षेप किए जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और सम्पत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुष्प्रयोग किए जाने की सम्भावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द कर देंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता देगा।

खण्ड ३६–३७

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३६ तथा ३७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८–४३

सहकारी समिति के अधिकारी का हटाया जाना

३८—(१) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या उसका पालन नहीं किया है, या पदधारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति से ऐसे अधिकारी को, निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाए जाने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कोई पद धारण करने से अनर्हित भी करने के लिए वह कह सकता है, जिसके उपरान्त समिति सम्बद्ध अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे तथा जिनकी संसूचना सम्बद्ध अधिकारी तथा समिति को दी जायगी, हटा सकता है, या हटाने के साथ-साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकता है।

सहकारी समिति का कतिपय परि सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा।

३९—प्रांविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, १९२० अथवा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ अथवा तत्समय प्रचलित भौमिक अधिकार विषयक किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, [कोई] किसी ऋण या अदत्त मांग का,

जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरुद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुए जो समिति द्वारा ऋण दिए जाने के पूर्व, न कि उसके पश्चात् , उसके (सरकार के) द्वारा दिए गए ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के सम्बन्ध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने योग्य कोई धनराशि हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभार होगा :

(क) यदि उक्त ऋण या मांग बीज, खाद, श्रमिक, निर्वाह, पशुओं के लिए चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के जो कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के लिए प्रासंगिक हो, सम्भरण के सम्बन्ध में अथवा उनके साधनों की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर;

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो यथास्थिति, उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर;

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु अथवा अन्य पशुधन के सम्भरण या उनके क्रय के साधनों की व्यवस्था करने, या कृषि उपकरणों, परिवहन सज्जा (transport equipment) या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा संत्रारण करने, या फार्म हाउस या पशु अथवा अन्य पशुधन के लिए ओसारा (शेड) बनाने, मरम्मत या क्रय करने अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या क्रय करने के सम्बन्ध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से ऐसे सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार क्रय किए गए पशु, पशुधन पर भी अथवा इस प्रकार क्रय किए गए, मरम्मत किए गए अथवा संधारित या बनाए गए सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या ओसारा पर, और यदि ऋणगृहीता क्षेत्रपति हो तो तब उसकी भूमि पर भी, ऋण की अन्तिम किस्त प्रतिदेय होन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय;

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंभ मशीनों, कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भूगृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनक क्रय क निमित्त ऋण क सम्बन्ध म देय हो, तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया गया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर,

(ङ) यदि उक्त ऋण की मांग की भूमि के क्रय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिए गए किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर [जो ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा] क्रय या विमोचित की गयी हो;

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसी मकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिए गए किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो, तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार, क्रय, निर्मित या सम्भरित किया गया हो, और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिए अथवा भूमि पर सुधार करने के लिए अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिए या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों का क्रय के लिए, लिए गए ५०० रुपए या उससे अधिक के ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जिसका उद्धार , संरक्षण, सुधार, करना हो या जिसे तैयार करना हो और उस भूमि पर जिसके प्रयोग के लिए उपकरणों या मशीनों का क्रय करना हो और पशु क्रय करने की दशा में ऋण ग्रहीता (borrower), की किसी भूमि पर;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ-साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा उसको देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिग्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती

४०—(१) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें, सहकारी समिति का कोई सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवा योजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवा योजक द्वारा उसे देय हो, उक्त अनुबन्ध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिए समिति को इस प्रकार की गयी कटौती की धनराशि देने के लिए सक्षम होगा।

(२) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर [सेवा नियोजक] सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे ,उपधारा (१) के अधीन निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार की गई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(३) यदि सेवायोजक, बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (२) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गयी कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का, जितनी कि उसने यथास्थिति, कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा।

सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई

४१—सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गयी धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उस सदस्य या उसके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का, जिससे सहकारी समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्तपोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि (reserve fund) के रूप में जमा की गयी किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिए गए ऋण की कुल धनराशि में बैंक का अंश ७५ प्रतिशत से कम हो, और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसी धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

अंश या हित की कुर्की न हो सकेगी

४२—धारा ४१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपागत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा और न बेचा जा सकेगा और ऋणशोधाक्षमता (इन्सालवेंसी) से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन कोई सरकारी अभ्यर्पिती या आदाता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर उसका कोई दावा होगा।

संलेखों के अनिवार्य निबन्ध से मुक्ति

एक्ट संख्या १६, १९०८

४३—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट , १९०८ की धारा १७ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी—

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से सम्बद्ध कोई संलेख, भले ही समिति की परिसम्पत्तियां पूर्णतः अथवा अंशतः अचल सम्पति के रूप में हों, या

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋणपत्र, जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी (holder) को ऐसे निबन्धित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति ने अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णतः या अंशतः न्यासधारियों को ऐसे ऋणपत्रधारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बन्धक या हस्तान्तरित कर दिया हो, या अन्यथा संक्रमित कर दिया हो अचल सम्पत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, घोषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो, या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किए गए किसी ऋणपत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संक्रमण।

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) के बाद एक निम्न प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक के निर्णय के विरुद्ध उस अधिकारी को न्यायाधिकरण के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु अपील करने का अधिकार होगा।"

मान्यवर, यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकारी के हटाये जाने का प्राविधान है। अधिकारी चाहे थोड़े समय रहे या ज्यादा समय रहे, अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है वहां यह लागू होता है। पर हमको दूसरा भी पहलू देखना पड़ता है। अगर सामान्य रूप से हटाया जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कार्य नहीं करता है, अपने बड़े अफसर के हुक्म को नहीं मानता है, आदेश का पालन नहीं करता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हटाने का प्राविधान है। लकिन इसमें निबन्धक को हटाने का एकाधिकार जो दिया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

(इस समय २ बज कर ३४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

[श्री विजयसिंह]

इसलिये इस खंड में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ने के लिये अपना प्रस्ताव रखा है कि उसको न्यायाधिकरण के सामने जाने का अधिकार होना चाहिये, अपील का अधिकार होना चाहिये। निबन्धक को ही एकाधिकार नहीं होना चाहिये। दूसरे जो इसमें यह रखा है कि ३ वर्ष तक उसको वहां किसी पद पर नहीं रखा जायेगा, यह भी बहुत ज्यादा सजा हो जायगी। इसलिये सुनवाई का अवसर उसे मिलना ही चाहिये। धारा ३८ के सम्बन्ध में कहीं भी अपील का प्राविधान नहीं है। उसी के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है। आशा है मंत्री जी उसे मान लेंगे।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन् धारा ९८ के अन्दर अपील करने का प्राविजन है। इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) के बाद एक निम्न प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक के निर्णय के विरुद्ध उस अधिकारी को न्यायाधिकरण के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु अपील करने का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह ह कि खं० ३८ से ४३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४४

सरकार द्वारा सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देना

४४—(१) राज्य [में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) सामान्य रूप से सहकारी समितियों, या किसी भी वर्ग की सहकारी समितियों के विकास में सहायता देने के उद्देश्य से, सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति की अंशपूंजी (share capital) में उसकी सहमति से सीधे अभिदान कर सकती है।

(ख) तदर्थ बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए राज्य स्तर की किसी सहकारी समिति को (जिसे इस अध्याय में आगे "शीर्ष समिति" कहा गया है) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों में अंशों के क्रय के लिए धन दे सकती है।

(३) किसी प्रतिकूल अनुबन्ध के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसी सहकारी समिति के अंशों पर लाभांश उस दर से उच्चतर दर पाने की हकदार न होगी जिससे ऐसा लाभांश समिति के किसी अन्य अंशधारी को देय हो।]

(३) राज्य सरकार, किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दर से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४४ के उपखंड (३) में द्वितीय पंक्ति में "उस दर" तथा "पाने" के बीच से "से" शब्द हटा कर "के आधे" शब्द रख दिये जायं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो प्राविधान रखा है वह देखने में तो ठीक है, पर मान्यवर आपकी शेयर कपिटल बहुत होगी और जो शेयर कैपिटल वे रहे हैं उससे आप एक फंड में उसे जमा करा रहे हैं धारा ४५ के अन्तर्गत प्रमुख राज्य भांगिता निधि मे जो एक फंड है। यह आपकी दूसरी निधि है। इसके जमा करने का कालम व हेड अलग होता है यह अंश पूंजी में नहीं आती जब आपके फंड में चला जायेगा तो आप लाभांश पाने के अधिकारी नहीं हैं। जब आप फंड में जमा करते हैं, अगर उस कालम में वह चला जाता है तो वह हमारी अंश पूंजी में नहीं आता है। जो लाभांश मिलता है वह अंश पूंजी के आधार पर मिलता है। इस नियम के अन्तर्गत अंशधारियों के अनुसार उचित भी है कि सरकार को भी लाभांश प्राप्त होना चाहिये परन्तु आपकी मंशा तो यह है कि लाभ केन्द्रीय समिति को ही ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाय। कम से कम आप यह तो देखते हैं कि हमारी छोटी-छोटी समितियां तो चलती रहें। आप केवल सम्पोषण के लिये वह वित्त पूंजी देखते हैं। अगर उसी रूप में देखते हैं तो आधा लाभांश ले लें। क्योंकि आप यदि उतना ही अंश लेंगे तो बहुत बड़ी धनराशि लाभांश की आप बढ़ा लेंगे समिति के सदस्यों के बराबर का लेंगे। समितियों को कोई फायदा नहीं होगा।

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विजय सिंह ने कहा गवर्नमेंट इसके अन्दर ब्याज नहीं ले रही है। इसके अतिरिक्त भी यह व्यवस्था की गई है कि गवर्नमेंट जो भी रुपया होगा उसमें तीन प्रतिशत देगी और बाकी जो उसको लाभ होगा वह उसको दूसरे फंड्स के अन्दर जैसे कि क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड, बैकवर्ड रिलीफ फंड या इस तरह के रिलीफ ऐंड गारन्टी फंड है, में देगी ताकि सोसाइटीज की स्थिति अच्छी हो। इस तरह से गवर्नमेंट का कोई मंशा लाभ का नहीं है बल्कि उसको नियंत्रित करने का है। सात-आठ परसेन्ट का लाभांश हो तो गवर्नमेंट उससे आधे से भी कम लेगी।

श्री विजयसिंह—

आप निधि में जमा करेंगे तो उस फंड में चला जायेगा। तो आपको मिलना वाजिब है या नहीं।

श्री बनारसीदास—

हम जो देंगे वह यू० पी० कोआपरेटिव फंड में जमा हो जायेगा और हम उसका लाभांश लेंगे। इस तरह से वह समिति अपैक्स रूल्स से गवर्न हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

विजय सिंह जी, क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री विजयसिंह—

वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४४ के उप खंड (३) में द्वितीय पंक्ति में 'उस दर' तथा 'पाने' के बीच से 'से' शब्द हटा कर 'के आधे' शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४५–६३

प्रमुख राज्य-भागिता-निधि

४५—(१) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा ४४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाय, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "प्रमुख राज्य-भागिता-निधि" कहा जायगा ।

(२) शीर्ष समिति "प्रमुख राज्य-भागिता-निधि" का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं—

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय;

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना जिससे कि वह समिति (जिसे आगे इस अध्याय में "केन्द्रीय समिति" कहा गया है) सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों (के जिन्हें आगे इस अध्याय में "प्रारम्भिक समितियां" कहा गया है) अंश क्रय कर सके;

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना;

(घ) ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हें राज्य सरकार उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णतः पूरा होने के पश्चात् अनुज्ञात करे ।

सहायक राज्य-भागिता-निधि

४६—(१) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "सहायक राज्य-भागिता-निधि" कहा जायगा ।

(२) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य-भागिता-निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं—

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय;

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना ।

अंशों के क्रय के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन

४७—प्रमुख राज्य-भागिता-निधि या सहायक राज्य-भागिता-निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायगा ।

कतिपय अंशों के सम्बन्ध दायित्व का सीमित होना

४८—यदि किसी सहकारी समिति में—

(क) राज्य सरकार द्वारा; या

(ख) प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से शीर्ष समिति द्वारा; या

(ग) सहायक राज्य–भागिता–निधि से केन्द्रीय समिति द्वारा अंश क्रय किए जायें,

तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य (Nominal value) तक सीमित रहेगा ।

लाभांश की धन-राशि पर निर्बन्धन

४९—शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य-भागिता-निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किए हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य-भागिता-निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किए हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होंगी जो सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाय और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षति-पूर्ति

५०—(१) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से क्रय किए जायें, समापित या विघटित हो जाय तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किए हों ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा परन्तु राज्य सरकार यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी।

(२) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य-भागिता-निधि से क्रय किए जायें, समापित या विघटित हो जाय तो, न तो राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरुद्ध जिसने अंश क्रय किए हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर, केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य-भागिता-निधि में जमा कर दिया जायगा।

अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण

५१—(१) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से क्रय किए गए अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायगा।

(२) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य-भागिता-निधि से क्रय किए गए अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायगा और तत्पश्चात् उसे शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायगा, जो उसे प्रमुख राज्य-भागिता-निधि में जमा कर देगी।

(३) उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को किया जायगा।

(४) उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार अपने द्वारा धारा ४४ के अधीन शीर्ष समिति को दिए गए धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य-भागिता-निधि तथा सहायक राज्य-भागिता-निधि का निस्तारण

५२—(१) यदि कोई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य-भागिता-निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा।

(२) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य-भागिता-निधि स्थापित की हो समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य-भागिता- निधि को किया जायगा तथा उसके नाम में जमा किया जायगा जिससे कि उसने धारा ४५ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया।

प्रमुख राज्य-भागिता-निधि तथा सहायक राज्य-भागिता-निधि परिसम्पत्तियों के भाग न होंगे

५३—प्रमुख राज्य-भागिता-निधि या सहायक राज्य-भागिता-निधि के नाम में जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति की परिसम्पत्तियों का भाग न होगा।

धन की व्यवस्था करने के लिए निर्बन्धन और शर्तें

५४—इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह धारा ४५ में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी;

(ख) कोई भी शीर्ष समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य-भागिता-निधि से धारा ४६ की उपधारा (२) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी।

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां

५५—तदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार—

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (ऐडवान्स) दे सकती है;

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है;

(ग) किसी सहकारी समिति को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिसमें राज सहायताएं भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता दे सकती है।

इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों को अभिभूत करेंगे।

५६—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निधियों का विभाजन नहीं होगा

५७—इस अधिनियम में विशेष रूप से की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में, या अन्यथा वितरण नहीं किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिए की हों उपविधियों में दिए गए मान के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

शुद्ध लाभ का निस्तारण

५८—(१) सहकारी समिति किसी भी सहकारी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से—

(क) ऐसी धनराशि जो २५ प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित करेगी, जो रक्षित निधि कहलाएगी; और

(ख) कम से कम इतना प्रतिशत जो नियत किया जाय, नियमों के अधीन और उनके अनुसार स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगी;

(२) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो निबत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात्—

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर ९ प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान;

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों, बोनस का भुगतान;

(ग) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि या किसी अन्य निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जायं, सघटन या उसमें अंशदान;

(घ) चेरिटेबुल एनडाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, की धारा २–क में यथा पारिभाषित किसी "Charitable Purpose" पूर्त प्रयोजन के लिए ५ प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान;

(ङ) उपविधियों में निर्दिष्ट सीमा तक और रीति से समिति के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान; और

(च) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

(३) तदर्थ बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निबन्धक किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है, या ऐसी निधि में अंशदान के प्रतिशत को कम कर सकता है, जैसा कि उपधारा (१) और (२) में उल्लिखित है, या उपधारा (२) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है।

निधियों का विनियोजन

५९—नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है—

ऐक्ट संख्या २, १८८२

(क) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, १८८२ की धारा २० में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में; या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में; या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार से जो नियत किया जाय।

उधार लने पर निबन्धन

६०—सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायं या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जांय।

ऋणों पर निबन्धन

६१—(१) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक के उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है।

(३) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी सहकारी समिति द्वारा अचल सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देने का सामान्यतः या विशेषतः प्रतिषेध कर सकती है या निर्बन्धित कर सकती है।

सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बन्धन

६२--धारा ६० और ६१ में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहेंगे जो नियत किए जायें।

अंशदायी भविष्य निधि

६३--(१) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किए जायें वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें समिति की उप-विधियों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किए गए सभी अंशदान जमा किए जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित अंशदायी भविष्य निधि--

(क) समिति के कारोबार के लिए प्रयोग में नहीं लायी जायगी;

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी;

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी; और

(घ) धारा ४१ के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग का भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजराई के अधीन न होगी।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४५ के उपखण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "का" और "निम्नलिखित" के बीच "जहां तक सम्भव हो" रख दिया जाय और द्वितीय पंक्ति में शब्द "किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं" हटा दिया जाय।

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्टैंडिंग ऐडवाइजरी कमेटी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पर है, की रिपोर्ट जो १९६३ में प्रकाशित हुई है, की ओर आकर्षित करता हूं। उसमें श्रीमन्, यह लिखा है—

"It has been stated that by the end of the Third Five-Year Plan, period, the entire State shall be covered by Service Co-operatives..."

तो इस तरीके पर जहां उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रिजर्व बैंक आफ इंडिया की यह रिपोर्ट है और वहां सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक सारे स्टेट में सर्विस कोआपरेटिव्स हो जायेंगी और जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसकेखण्ड में प्राइमरी सोसाइटीज की बात कही गई है जैसा कि इसके उपखण्ड (ख) में दिया गया है। उसमें दिया है कि "किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी हों धन दे जिससे कि वह समिति (जिसे आगे चलकर इस अध्याय में केन्द्रीय समिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा गया है।) सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हें आगे इस अध्याय में "प्रारम्भिक समितियां" कहा गया है) अंश क्रय कर सकें"।

श्रीमन्, प्राइमरी सोसाइटियों का जिक्र इसमें किया गया है और जबकि सारे उत्तर प्रदेश में सर्विस कोआपरेटिव्ज का रूप यह ले लेंगी, तो उस वक्त हमें दिक्कत होगी क्योंकि कानून के अन्दर जो नाम दिया गया है उसी को दे सकेंगे दूसरी सोसाइटीज को दे नहीं सकेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कह रहा हूं कि इस विधेयक के अन्दर आप ऐसा प्राविधान कर दें कि जहां तक सम्भव हो, अगर यह शब्द शामिल कर दें तो उस वक्त ऐसी सोसाइटीज का भले ही नाम बदल जाय लेकिन आप सहायता दे सकेंगे। आपने जो सिद्धांत रखा है वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसे कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि प्राइमरी सोसाइटीज जब सर्विस कोआपरेटिव्ज में परिवर्तित हो जायंगी तो कम से कम यह दिक्कत न पैदा हो और आप उनको भी इमदाद दे सकें। अगर आप इसको इस वक्त नहीं करते हैं तो आपको दोबारा फिर इसके लिए संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसी स्टेज पर हम इस विधेयक को ऐसा कर दें कि "जहां तक सम्भव हो" शब्द उसमें जोड़ दें "और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं" यह शब्द हटा दें। इसमें डिस्क्रीशन तो सरकार का रहेगा क्योंकि अपेक्स सोसाइटीज जो हैं वह एक खास परपज के लिए हैं, यह शेयर होल्डर्स की मदद के लिए हैं। तो मैं नहीं कहता कि आपका जो उद्देश्य है उसमें परिवर्तन हो लेकिन प्राइमरी और सर्विस कोआपरेटिवव्ज का झगड़ा आगे चलकर लगेगा तो सर्विस कोआपरेटिव्ज को जो मदद आप दें वह कानून के खिलाफ न हो, इसलिए मैंने यह रखा है कि "जहां तक सम्भव हो" शब्द जोड़े दिये जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, कमला सिंह जी ने देखा होगा कि यह निधि ऐसी होती है कि इसमें अगर हम यह लिख दें कि जहां तक सम्भव हो, तो इसका काफी बड़े पमान पर दुरुपयोग भी हो सकता है और जैसी आपकी मंशा है इसमें तो क, ख, ग, घ, जितने भी खण्ड हैं उनके अन्तर्गत हर समिति आ जाती है। इसलिए जहां तक सम्भव हो शब्द जोड़ने से उसमें दुरुपयोग की सम्भावना है, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४५ के उपखण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "का" और "निम्नलिखित" के बीच "जहां तक सम्भव हो" रख दिया जाय और द्वितीय पंक्ति में शब्द "किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं" हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४५ से ६३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६४–६९

६४—(१) निबन्धक' अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों के लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसन तदर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

(२) उपधारा (१) के अधीन लेखा परीक्षा में बीतकाल (overdue) ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, रोकड बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मल्यांकन भी सम्मिलित होगा ।

(३) निबन्धक या उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसमें या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की, या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी सभी बहियों, लेखा, लेख्यों, पत्रादि, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हों या जो इनके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है ।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहार और कार्य संचालन के संबंध में ऐसी सूचना देगा जिसको निबन्धक या उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे ।

निबंधक द्वारा जांच

६५--(१) निबन्धक स्वतः या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संघटन, कार्य-संचालन, और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना-पत्र पर की जायगी--

(क) सहकारी समिति जिससे संबंधित समिति संबद्ध (affiliated) हो;

(ख) समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य;

(ग) समिति की प्रबन्ध कमेटी के अधिकांश सदस्य।

(३) निबन्धक या उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे; अर्थात्

(क) यह सभी समयों पर समिति को, या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखे, लेख्यों, पत्रादि, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और ऐसे व्यक्ति को , जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां लेखे, लेख्य, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्ति हो या जो उनके लिये उत्तरदायी हो उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहूत कर सकता है;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर

उपस्थित होने के लिये आहूत कर सकता है, और शपथ पर उसका बयान ले सकता है;

(ग) वह ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गयी हो, समिति के अधिकारियों से समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निर्देश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करें या न बुलाएं तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा; और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है ।

(४) खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन बुलायी गयी किसी बैठक को, समिति की उपविधियों के अधीन, यथास्थिति, सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उन्हीं उपविधियों द्वारा विनियमित होगी ।

(५) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाय तो निबन्धक जांच का परिणाम समिति को संसूचित करेगा और उस दशा में जब उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने पर जांच हुई हो तो प्रार्थना-पत्र देने वाली सहकारी समिति को भी जांच का परिणाम संसूचित करेगा ।

सहकारी समिति की बहियों और सम्पत्ति का निरीक्षण

६६—(१) निबंधक स्वतः या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, समिति की बहियों, नकदी तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी, निबन्धक का यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर वह अदा नहीं की गयी है ।

(२) निबंधक किसी ऐसे निरीक्षण का परिणाम निम्नलिखित को संसूचित करेगा :—

(क) जब वह स्वतः निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख) जब किसी ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर निरीक्षण करे तो ऋणदाता और समिति को ।

जांच का व्यय

६७—यदि धारा ६५ के अधीन जांच की जाय, अथवा ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर धारा ६६ के अधीन निरीक्षण किया जाय, तो निबंधक व्यय का अथवा व्यय के उतने भाग का, जो वह उचित समझे, सहकारी समिति, जिससे संबंधित समिति संबद्ध हो, समिति, सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है :—

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश

में व्यय का देनदार ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो,

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जाय ।

अधिभार

६८--(१) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा-परीक्षा, जांच, निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इन समितियों के संघटन या प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया हो या सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचायी है या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रक्खा है तो निबन्धक स्वत: अथवा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का निदेश दे सकता है--

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य-लोप के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायगी ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जांच की जाय तो निबन्धक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे, सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुकतान करने, जिसे निबंधक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है ।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्वक रोक रखने के लिये अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति मे किसी पद पर बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा ।

त्रुटि सुधार का आदेश देने का निबन्धक का अधिकार

६९--यदि धारा ६४ के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा ६५ के अधीन की गयी जांच अथवा धारा ६६ के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुस्थित रूप में कार्य नहीं कर रही है अथवा उसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण है तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश दे सकता है जिससे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों को, आदेश में निदिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निदिष्ट की जाय ।

श्री विजयसिंह--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६४ के उपखंड (१) के 'निबन्धक, अथवा' शब्द निकाल दिये जायं ।

माननीय, यह संशोधन बहुत आवश्यक है । आपको पूर्वकालीन चक्रवर्ती नरेशो की वृत्ति नीति को बताता हूं महाभारत के द्वितीय सभा पर्व में महामुनि नारद ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि जो आपका प्राइवेट खर्च हो, हास विलास अथवा अन्य रास रंगो में व्यय हो, चाहे मंत्रिमंडल का व्यय हो, चाहे सदस्यों का व्यय हो, उसको कभी आप अपने मंत्रियों परिवार के लोगों तथा किसी सभासद को भी न बतायें यहां तक कि अपनी पत्नी को भी न बतायें ऐसी सुन्दर योग्य राजनीति में वर्णित, है, तो अगर वही हिसाब है सरकार का कि अपने सारे खर्च व्यक्तिगत या और जो भी हों, नारद मुनि के कहने के अनुसार उसे वह बताना नहीं चाहते हैं तब तो दूसरी बात है । जनता से जो पैसा जमा हुआ है यदि उसके एक एक पैसे के हिसाब की जांच ठीक से न की जाय तो यह राज्य सरकार के हित में भी ठीक नहीं बैठती है और यह किसी के भी हित में नहीं है । माननीय निबन्धक को सभी अधिकार प्राप्त हैं । सम्पूर्ण प्रभुत्व सत्ता है । न्यायाधीश भी पूरे विभाग का वही है । उनके द्वारा लेखा परीक्षक रखा हुआ जो उनके नीचे होगा और उनके द्वारा नियुक्त होगा वह कैसे ठीक से जांच करके गबन की रिपोर्ट दे सकता है ? सरकार का पैसा उसमें है, इसलिये आवश्यक है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी जन्च करें । निबन्धक का तो नाम इसमें होना ही नहीं चाहिये था । एक तो इंटरनल आडिट होना चाहिये और दूसरा एनुअल आडिट जिसमें सरकार के ही लोग होने चाहिये । तभी गबन कुछ रुक सकता है । इसलिये में आशा करता हूं कि जनहित में माननीय मंत्री इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्दोष है । अगर यह संशोधन नहीं माना जाता तो बड़ा ही अनर्थ और अपमानजनक होगा । मालूम होता है कि यह बिल निबन्धक द्वारा ही तैयार किया गया है । इसीलिये निबन्धक अथवा रखा गया है । इस प्रकार राज्य सरकार के समकक्ष निबन्ध को रखा गया है । यह राज्य सरकार के लिये स्वयं भी और इस सदन के केलिये अपमानजनक है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे ।

श्री रक्षपालसिंह--

निबन्धक का उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, इसलिये उसे निबन्धक के एकाउन्ट्स की खराबी देखने का अधिकार देना ठीक नहीं है । मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो जन-हित में है ।

*श्री कमलासिंह यादव--

निबन्धक इसलिये रखा है कि उसका कन्टोल इस पर रहे । अगर आडिट स्वतंत्र नहीं होगा तो जैसा रिपोर्ट रजिस्ट्रार चाहे वैसी लिखी जायगी । धारा ४५ में मैंने संशोधन रखा था और मंत्री जी ने माना था कि गबन बहुत होता है । उस गबन को रोकने के लिये ही यह संशोधन रखा गया है । सहकारी विभाग के आडिटर्स निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकते हैं । राज्य सरकार का पैसा सहकारी समितियों में लग रहा है तो उसकी आडिटर जांच करे । एक समय आवेगा जब कि प्राइमरी और सभी कोआपरेटिव सोसाइटियों में राज्य सरकार का हिस्सा होगा । इसलिये जरूरी है कि आडिट पर हमारा अंकुश हो । पी० ए० सी० ने इनका हिसाब मांगा तो इन्होंने नहीं दिया और कह दिया कि ये प्राइवेट संस्था हैं । इसलिय जरूरी है कि इनकी वार्षिक आडिट रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये । हमारा कंट्रोल उस पर होना चाहिये । मैं

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को अस्वीकार करने की भूल नहीं करेगी। इससे बहुत नुकसान हो जायगा। इसलिये जरूरी है कि यह संशोधस मान लिया जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। और सरकार का मकसद गबन को कायम रखना ही हो तो कमलासिंह जी को क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, धारा ३ की उपधारा (२) के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबंधक को सहायता देने के लिये अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है आडिट का अधिकार हमारे प्रदेश में वित्त विभाग को दिया गया है। उसके द्वारा ही आडिट की व्यवस्था होती है। जहां तक पी० ए० सी० और सदन के सामने आडिट रिपोर्ट आने का सवाल है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। केवल प्रक्रिया नियमावली में परिवर्तन करने की बात है। उसमें अगर परिवर्तन कर दिया जाय तो आडिट की रिपोर्ट सदन में भी आ सकती है। और पी० ए० सी० भी उसके ऊपर गौर कर सकती है। धारा ३ के अनुसार हमें आडिट को पृथक नहीं करना चाहिये जब कि यहां आडिट पृथक है।

श्री मैनेजरसिंह—

आप माननीय विजय सिंह जी के संशोधन को मान लें क्योंकि राज्य सरकार और निबन्धक को एक समान स्तर पर रखना उचित नहीं प्रतीत होता। माननीय मंत्री जी की बात को सुन कर इसमें विरोधाभास मालूम होता।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया, धारा ३ (२) के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबंधक को सहायता देने के लिये अन्य व्यक्तियो को भी नियुक्त कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है। तो हमने अपने प्रदेश के अन्दर रजिस्ट्रार का अधिकार उद्योग संचालक को दे रखा है, केन कमिश्नर को दे रखा है, फाइनेंस विभाग को आडिट के सम्बन्ध में अलग से अधिकार दे रखा है और अन्य व्यक्तियों को भी जहां जो आवश्यकता होगी, जैसे दूध की व्यवस्था चलेगी, उनको भी अधिकार दे सकेंगे। हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में आडिट का काम भी रजिस्ट्रार ही करता है। रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट आफ इंडिया सबने सिफारिश की है कि आडिट को पृथक नहीं करना चाहिये रजिस्ट्रार से लेकिन हमने अपने राज्य के अन्दर उसको पृथक किया है आडिट के हित की दृष्टि से। जैसा कि आपको मालूम है कि धारा ३ के अनुसार राज्य सरकार को पावर है और आज हमारे यहां उसके ऊपर अमल हो रहा है। इसमें कोई विरोधाभास की बात नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजयसिंह—

जब माननीय मंत्री जी भी वही चाहते हैं तो फिर इस निरर्थक शब्दावली को क्यों रखने जा रहे हैं ? सरकार को चाहिये कि वह उस अधिकार को अपने हाथ में ले ले। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस खंड में से "निबन्धक अथवा" शब्द हटा दिये जायं ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६४ के उपखंड (१) के "निबन्धक अथवा" शब्द निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ६४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त लेखा परीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उनका सत्र चल रहा हो, रखा जायगा ।"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि उनको कोई एतराज नहीं है यदि सदन के अन्दर भी इसकी रिपोर्ट आ सके । तो जब खुद ही उन्होंने अपनी यह भावना व्यक्त की है तो मैं समझता हूं कि उनकी राय इस संशोधन के विपरीत नहीं होगी और माननीय मंत्री जी अवश्य इसको स्वीकार करेंगे । जब सरकार का रुपया इसमें लगाया जा रहा है तो सदन को अधिकार होना चाहिये कि यहां उस पर विवाद भी हो सके और सदन के अन्दर हम उसको देख भी सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं सदन का समय न लेकर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, वे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बनारसीदास—

जैसा कि मैंने पहले भी कहा प्रक्रिया नियमावली में आप संशोधन करा लीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन माननीय कमलासिंह जी चाहते हैं कि जिस चीज का जहां स्थान न हो वहां उसे रख दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर नियमावली में संशोधन करने की बात है तो उसे आप करा लीजिये ।

श्री बनारसीदास—

सदन की जो प्रक्रिया नियमावली है उसमें संशोधन करने की बात है ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६४ के उपखंड (३) से शब्द 'निबन्धक" तथा द्वितीय पंक्ति में "या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द हटा दिये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विजयसिंह]

श्रीमन्, जो महत्व अधिनियम का होता है वह नियमों का नहीं होता है इसलिये मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को विधेयक से हटा दिया जाय । क्योंकि जब अधिनियम बन जायगा तो इसका महत्व दूसरा हो जायगा और नियमों में केवल दूसरा होगा । यह विचार करने की बात है क्योंकि अभी तो माननीय मंत्री जी उस विभाग के मंत्री हैं, इसलिये उसको ठीक से चला ले जायेंगे लेकिन आगे चल कर पता नहीं यह विभाग किसके पास पहुंच जाय । तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने ही यह ठीक हो जाय ताकि आगे किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके ।

श्री बनारसी दास--

मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६४ के उपखंड (३) से शब्द "निबंधक" तथा द्वितीय पंक्ति में "या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द हटा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, मैं आगे वाले संशोधन को पेश नहीं करना चाहता ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ६४ से लेकर ६९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७०--७७

विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं

७०--(१) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के संबंध में, समिति के वेतन भोगी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी आनुशासिक कार्यवाही से संबद्ध विवाद भिन्न, कोई विवाद--

(क) सदस्यों, भूतपर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व, सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति और समिति उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिदिष्ट किया गया है, अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्त्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्त्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच; अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति की किसी भूतपूर्व, कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्त्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्त्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच; अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समितियों के बीच उत्पन्न हो

तो वह इस अधिनियम और नियमों के पूर्व उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये

निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के संबंध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा ।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के संबंध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और यह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय, चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों ;

(ख) प्रतिभू द्वारा मुख्य ऋणी के विरुद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के संबंध में जो उसे मुख्य ऋणी द्वारा देय हो, कोई धनराशि मुख्य ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं ;

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिये दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, अभिकर्त्ता अथवा कर्मचारी से पहुंची हो, जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व या मृत सदस्य, अधिकारी, अभिकर्त्ता या कर्मचारी भी है, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचायी गयी हो या सामूहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं ; तथा

(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सबद्ध सभी विषय और पदाधिकारियों (office bearers) के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी ।

(३) यदि यह प्रश्न उठे कि इस धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के संबंध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश

७१—(१) धारा ७० की उपधारा (१) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोई हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है; अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिये अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है; अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिये ऐसे मध्यस्थ मंडल को अभिदिष्ट कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे ।

(२) निबन्धक उपधारा (१) के खन्ड (ख) या (ग) के अधीन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है, और उसे दूसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है ।

(३) निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मंडल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्याय के हित में ऐसे विवादकालीन आदेश (interlocutory order) जिनके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(४) इस धारा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मंडल द्वारा दिया गया निर्णय, आगे अभिनिर्णय कहा जायगा ।

(५) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय ।

सहकारी समितियों का समापन

७२—(१) यदि धारा ६५ के अधीन जांच हो जाने, अथवा धारा ६६ के अधीन निरीक्षण कर लिये जाने के पश्चात् अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये , तो वह उसके समापित कर दिये जाने का आदेश दे सकता है :—

(२) निबन्धक स्वतः तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो नियत किया जाय निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है:—

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो; अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा ६ द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिये व्यवस्थित है; अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो; अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा ७ की उपधारा (१) के खन्ड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो ।

परिसमापक

७३—(१) यदि निबन्धक ने धारा ७२ के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है ।

(२) नियुक्त होने पर, परिसमापक ऐसी सभी संपत्ति, सामान और अभियोज्य दावों (actionable claim) को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपनी अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावों को हानि या ह्रास और क्षति रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे । परिसमापक ऐसी सभी संपत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ।

(३) यदि धारा ७२ के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरुद्ध धारा ९८ के अधीन अपील की गयी हो तो परिसमापक, परिसमापन संबंधी आगे की कार्यवाही तब तक के लिये रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (२) में उल्लिखित संपत्ति, सामान और अभियोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में रखे रहेगा और

उसका उक्त उपधारा में अभिविष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा ।

(४) यदि सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाय तो समिति की संपत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे ।

परिसमापक के अधिकार

७४—(१) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिसके संबंध में समापन का आदेश दिया गया हो, संपूर्ण परिसम्पत्तियां धारा ७३ के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेंगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और परिसमापक को ऐसी परिसंपत्तियों को बेचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा ।

(२) ऐसे परिसमापक को, निबन्धक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यह भी अधिकार होगा कि वह—

(क) अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका प्रतिवाद करें ;

(ख) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय-समय पर उस अंशदान की, जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय भी है, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परि-सम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो ;

(ग) उस समय को निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीस दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दें;

(घ) सहकारी समिति के विरुद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनिम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्णय करे ;

(ङ) सहकारी समिति के विरुद्ध दावों का भुगतान उनकी पारस्परिक पूर्वता, यदि कोई हो, के क्रमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा-पूरा अथवा अनुपाततः, जैसा कि समिति की परिसंपत्तियों के अनुसार संभव हो, करे, और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक से तथा उसके (परिसमा-पक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी भी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायगा ;

(च) यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे ;

(छ) समिति की परिसंपत्तियों के संग्रह और वितरण के संबंध में ऐसे निदेश दे जो उसे समिति के कार्यों के समापन के लिये आवश्यक प्रतीत हों ;

(ज) अध्याय ९ के अन्तर्गत आने वाले विवादों के मध्यस्थ निर्णय के लिये अभिदिष्ट कराये तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में जिसमें समिति एक पक्ष हो, समिति का प्रतिनिधित्व करे ;

(झ) समिति के लाभप्रद समापन के लिये जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करे ;

(ञ) ऋणदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिनका कोई दावा हो अथवा जो यह अभिकथन करें कि उनका दावा है, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबन्ध करे; और

(ट) सभी आहूतियों (calls) अथवा आहूति और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के संबंध में जो परिणामतः ऋण में परिवर्तित हो सकते हों तथा वर्तमान अथवा भावी, निश्चित या घटनापेक्ष सभी दावों के संबंध में, जो समिति तथा अंशदायी अथवा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने ऊपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हों या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के संबंध में जो किसी भी रूप में परिसंपत्तियों से या समिति के समापन से संबंधित हों अथवा उन पर प्रभाव डालते हों, ऐसी शर्तों पर जो तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहूति, दायित्व, ऋण या दावे के उन्मोचन के लिये कोई प्रतिभूति लें और उसके संबंध में पूर्ण उन्मुक्ति दे ।

(३) जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबंधक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबन्धक निदेश दे, जमा करेगा ।

(४) ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (२) के अधीन समिति की परिसंपत्तियों के लिये अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) या समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हो, वसूली के लिये परिसमापक की प्रार्थना पर निबंधक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।

(५) कोई ऋण या दावा जो उपधारा (२) के खन्ड (क) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इस अधिकार को बाधित न करते हुए कि वह पर्याप्त कारण बताये जाने पर उपर्युक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दे, उन्मोचित समझा जायेगा ।

समापन और विघटन के मामलों में वाद पर रोक

७५—इस अधिनयम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन से संबंधित किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा और यदि समापन का कोई आदेश दे दिया गया हो तो समिति के विरुद्ध निबन्धक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

सहकारी समिति के निबन्धन का रद्द किया जा

७६—यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के संबंध में जिसे धारा ७२ के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की यह राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी ऐसी सहकारी

समिति के जिसके लिये कोई परिसमापक धारा ७३ के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धक समिति के निबन्धन को रद्द करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गयी समझी जायगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान न रहेगी।

सहकारी कृषि समितियों का निबन्धन

७७–(१) यदि दस अथवा अधिक व्यक्ति जो––

(क) किसी मंडल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि का समुच्चय करना चाहते हों, अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मंडल में क्रय द्वारा, पट्टे पर या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों,

कृषि, उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से संबंधित किसी प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ-साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे "सहकारी कृषि समिति" कहा गया है) यदि वह धारा ७ की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियाएं समिति के सदस्यों द्वारा की जानी हों तो, इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबंधित की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, भूमि के एक ही मंडल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मंडल का अभिदेश उन मंडलों का अभिदेश समझा जायगा जिनमें सदस्यों द्वारा धृत या प्राप्त किये जाने के लिये वांछित भूमि स्थित हो।

(२) निबन्धक, निबन्धन प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जायें, कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, भिजवायेगा, जो नियत की जाय।

श्री विजयसिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७० के उपखण्ड (१) के भाग (घ) की पांचवीं और छठवीं पंक्ति में शब्द 'कोई' और 'न' हटा दिये जायं तथा शब्द 'कोई' के स्थान पर शब्द 'भी' जोड़ दिया जाय।

श्रीमन्, इसमें विवाद संबंधी बात है। विवाद किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसके संबंध में यह खन्ड रखा गया है। उसमें कहा गया है कि वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के संबंध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षत्राधिकार प्राप्त न होगा।"

इसमें कोर्ट को बिलकुल खत्म कर दिया गया है। इसमें आप न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी आपको कोर्ट को तो रखना ही चाहिये। यद्यपि न्यायाधिकरण के बारे में भी मुझे बहुत कुछ कहना है, वह समय पर कहूंगा लेकिन कोर्ट को यहां भी आपको बन्द नहीं करना चाहिये।

श्री बनारसीदास---

अगर इसको मान लिया जायगा तो इतने विवाद पैदा हो जायेंगे जो कभी खत्म नहीं होने वाले। यह बिलकुल व्यावहारिक संशोधन नहीं है, इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ७० के उपखण्ड (१) के भाग (घ) की पांचवीं और छठवीं पंक्ति में शब्द "कोई" और "न" हटा दिये जायं तथा शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "भी" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विजयसिंह---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७० के उपखण्ड (३) में तृतीय पंक्ति में शब्द "अंतिम" और "होगा" के बीच में शब्द "न" जोड़ दिया जाय तथा अंतिम पंक्ति से शब्द 'नहीं' हटा दिया जाय।

मान्यवर, संबंध तो उसी खण्ड का चला आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने केवल यह कहा कि कोर्ट को अधिकार देने से विवाद बढ़ जायेंगे। यह मैं मानता हूं कि निबंधक को अधिकार दिये गये हैं और न्यायाधिकरण को भी दिये गये हैं लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई भी अधिकार हो जाते तो अच्छा था। बहुत से ऐसे मामले मेरे सामने हैं जिनमें वर्षों हो गये लेकिन आजतक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर आपके यहां कुछ तय नहीं होता है तो उसको छूट होनी चाहिये कि वह कोर्ट में चला जाय और वहां से तय करा ले। न्यायाधिकरण को आप अन्तिम क्यों रख रहे हैं, आप कोर्ट को भी अधिकार दीजिये।

श्री बनारसीदास---

इसका अर्थ यह होगा कि अगर कोई आदमी कोर्ट की तरफ चला गया तो ८-८ साल तक कोई फैसला होगा ही नहीं और फिर समिति का गठन ही न हो सकेगा। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई विवाद है तो उसमें निर्णय निबन्धक करेगा और न्यायालय को आपत्ति न होगी। आप की यह चीज सुविधापूर्वक चले इसीलिये यह किया गया है, फिर अपील का अधिकार तो इसमें है ही।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ७० के उपखण्ड (३) में तृतीय पंक्ति में शब्द "अंतिम" और "होगा" के बीच में शब्द "न" जोड़ दिया जाय तथा अंतिम पंक्ति से शब्द "नहीं" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ७० से ७७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय---

जिन खण्डों का विरोध किया जाना है वह बाद में सब एक साथ ले लिये जायं।

खंड ७८---८५

निबन्धन की कतिपय अपेक्षाएं

७८---कृषि समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे---

(क) अधिकार-अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्याएं तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो;

(ख) धारा ७७ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा में, केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनाएं;

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें।

निबन्धन के परिणाम

७९—(१) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा ७७ के अधीन निबंधित हों तो मंडल की उस समस्त भूमि के संबंध में जिसे कोई सदस्य चाहे भूमिधर के रूप में या सीरदार के रूप में धारण किये हो सिवाय उसके आसामी के कब्जे की भूमि के और वह भी उस समय तक जब तक वह असामी उसे इस प्रकार धारण किये रहे, यह समझा जायगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चली गयी है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि का इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार धारित करेगी और धारा ७७ की उपधारा (१) में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र गृह (farm house) बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र गृह से संलग्न ऐसी भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिये सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करें।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो तो उक्त जोत में उसके अंश के संबंध में, जब तक कि उक्त जोत के समस्त सहांशी (Co-sharer) ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायगा कि वह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बटवारा न करा ले अथवा जब तक उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जाय ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में दी गयी किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि किसी भूमिधर अथवा सीरदार का उस भूमि में, जो उसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रुप में दी हो, हित, धारा ८२ में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, निहित नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण—(१) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत बाग–भूमि अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या, सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से संबंधित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन में सहायक किसी कुटीर के विकास के लिये किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के भी लिये धारण किये हों, यदि वह प्रयोजन समिति के प्रयोजन में से भी एक हो।

(२) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गयी भूमि का कोई निस्तारण (Disposition) करने का हकदार न होगा।

(३) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य जो उस सहकारी कृषि समिति को अपने द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि का भूमिधर हो, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६९ में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी भूमि का वसीयत द्वारा निस्तारण कर सकता है तथा सहकारी कृषि समिति की अनुज्ञा से उसका अन्य प्रकार से भी निस्तारण कर सकता है।

(४) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे आभारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

(५) सहकारी कृषि समिति के निबंधित हो जाने के दिनांक से, उप धारा (१) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के संबंध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अबवाब, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी, उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं। समिति द्वारा सदस्य की ओर से इस प्रकार भुगतान की गयी किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(६) १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों, भूमि तथा उसके धारक (holder) पर प्रवृत्त रहेंगे।

सदस्य का पागल हो जाना

८०—यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो वह अपने अभिभावक (curator) के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानों वह स्वयं सदस्य हो।

नये सदस्यों का प्रवेश

८१—(१) कोई व्यक्ति, जो उस मंडल का, जिसमें सहकारी कृषि समिति बनायी गयी हो, निवासी हो या जो उसमें बसने का बिचार करता हो या उसमें खेती करता हो, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो।

(२) कोई अवयस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक (curator) के माध्यम से उस मंडल में किसी सहकारी कृषि समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अवयस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानो वह स्वयं सदस्य हो।

(३) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मंडल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायगी और धारा ७९ के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव

८२—(१) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय, तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि उसे लौटा दी जायेगी, अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता (compactnes)

बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की कोई अन्य भूमि दे दी जायगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनिमय के लिये प्राप्त कर ली गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि में अपने द्वारा किये गये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो, अथवा जो उत्पादन में सहायक हों:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटाई जाने वाली भूमि धारा ८६ के उपबन्धों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बन्धक के अधीन हो तो समिति, बहिर्गामी सदस्य की भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे प्रबन्धक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बन्धक कर्त्ता समिति द्वारा बन्धक धन की आनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को बन्धक से छोड़ देगा, भले ही संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (Transfer of property Act. 1882) में कोई प्रतिकूल बात दी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि समिति और बहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से, समिति, ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गयी भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति का किसी अन्य सदस्य को, उपधारा (१) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को दी गयी भूमि विनिमय में रक्खी गयी भूमि में वही अधिकार, यदि कोई हों, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गयी भूमि में समिति या सदस्य के थे, भले ही १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६१ में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

(३) कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य संपत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हो ।

१९५२ ई० का उत्तर देश अधिनियम सं०

दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे

८३—यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो, मृत्यु हो जाय, तो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन उसके दायाद ऐसी भूमि के संबंध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायाद अवयस्क या पागल हो, तो यथास्थिति, उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मानो वह स्वयं सदस्य हो ।

सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी

८४—(१) प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी (consolidation) के लिये कार्यवाही करे ।

(२) सहकारी कृषि समिति परगना के प्रभारी सहायक कलेक्टर को अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकती है जिसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे जो नियत किये जायें ।

(३) सहायक कलेक्टर, केवल उस दशा को छोड़ कर जब वह ऐसा करना इष्टकर न समझे जिसके कारणों को वह अभिलिखित करेगा, भूमि की चकबन्दी के लिये आदेश देगा। एतदर्थ वह मंडल के भीतर भूमि के विनिमय (Exchange) का निदेश भी दे सकता है।

(४) भूमि के विनिमय का निदेश देते समय सहायक क्लेक्टर, जहां तक संभव हो, विनिमय में उतनी भूमि के दिये जाने का आदेश देगा जिसका मूल्य विनिमय में ली गयी भूमि के मूल्य के लगभग बराबर हो और यदि मूल्य में कोई अन्तर हो, तो वह प्रतिकर के नकद भुगतान किये जाने का भी निदेश देगा।

(५) जब उपधारा (३) के अधीन भूमि के विनिमय का निदेश दिया गया हो तो सहकारी कृषि समिति उसके सदस्यों और उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि का विनिमय हुआ हो, विनिमय में मिली हुई भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो उन्हें विनिमय में दी गयी भूमि में प्राप्त थे।

(६) सहायक कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जा सकेगी।

लाभ का वितरण

८५—(१) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम १/२० भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(२) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति को अंशदत्त, भूमि तथा श्रम के संबंध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है जो नियत की जाये।

(३) धारा ५८ के उपबन्ध, जहां तक उपधारा (१) और (२) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति के शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।

श्री रक्षपालसिंह —

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्याय ११ है, मैं इस पूरे अध्याय का विरोध करता हूं जिस में सहकारी कृषि की बात रखी गई है। मैं अलग से संशोधन पेश नहीं करूंगा लेकिन मेरे विरोध का आधार मौलिक है। जनसंघ सहकारी कृषि का विरोध करता है और इस अध्याय में सहकारी खेती की ही व्यवस्था की ही गई है। पहला तर्क हमारा यह है कि सदन में जब सहकारी समिति की परिभाषा यहां आई थी और श्री कमला सिंह ने उस को प्रस्तुत किया था तो सदन ने उस को रिजेक्ट कर दिया था और इस प्रकार की समितियों का बनाया जाना कोई संवैधानिक व्यबस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था करना स्वयं अधिनियम के ही प्रतिकूल है। इस में एक दिक्कत यह भी पैदा होगी कि इन खंडों में जो व्यवस्था की गई है वह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का जो प्राविधान था और जो उसके अन्तर्गत बने हुये नियम हैं उन का भी इस में अतिक्रमण हो जायगा। मैं खास तौर से २ खंड जो ८७ व ८८ हैं उनकी ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा जिन में यह है कि लगान की कमी हो जायगी और किसानों को एक प्रकार की सुविधा देने की बात है। जिस तरह से कि मिशनरी लोग धर्म परिवर्तन करने के लिये पहले अनेक प्रकार के प्रलोभन करते हैं वैसे ही सरकार लालच देकर यह काम करना चाहती है। मालगुजारी और सिचाई दर में कमी कर दी जायगी या बटवारे और खातेदारी के नियमों में भी परिवर्तन कर दिया जायगा। आप को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब ४ आना रुपया मालगुजारी बढाने वाला बिल आया था तो माल मंत्री जी ने तर्क दिया था कि हम भिन्न प्रकार के काश्तकारों पर भिन्न प्रकार का कर, इस प्रकार के नियम अलग-अलग

तरह के किसानों पर लागू नहीं कर सकते। धारा ८७ में जो दिया गया है कि अगर भूमिधर या सीरदार सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं तो उनको लगान में छूट और अन्य सुविधायें दी जायेंगी और ८८ में नियमों की व्यवस्था की गई है और बटवारे की भी व्यवस्था है लेकिन जब कोई सहकारी समिति का सदस्य न होगा तब तक यह विशेष अधिकार कृषक को प्राप्त न होंगे। इस तरह से जो प्राविधान जमींदारी विनाश कानून में हैं उन का भी प्रतिरोध होता है। तो इस तरह की व्यवस्था अगर आप करेंगे इस से यह विरोधाभास पैदा होंगे, दूसरे कृषि की पैदावार बजाय बढ़ने के और घटेगी। आज की सहकारिता सारी की सारी भ्रष्टाचार फैलाने वाली है और तरह तरह के झगड़े किसानों में फैलाने वाली है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं कि इस प्रकार का प्राविधान इसमें नहीं होना चाहिए।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अध्याय ११ में दिये हुये सभी खंडों का विरोध करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब पर ही कह दीजिए।

श्री विजयसिंह—

ये सहकारी कृषि समितियां एक खेल सा ही हैं क्योंकि आप देखें मेरे पास सहकारी स्टेट फार्म्स जितने भी हैं, उनके बारे में सूचना है कि वे सब घाटे में चल रहे हैं। कौन सी कृषि सहकारी समिति ऐसी है जो ठीक तरह से चल रही है। इनमें एक ही परिवार के लोग हो जाते हैं, ८–१० की संख्या भर ली जाती है चाहे बालिग हों या नाबालिग हों। मान्यवर, वे सरकार से हजारों रुपया ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मेरे पास एक सहकारी कृषि फार्म की बैलेन्स-शीट है और अगर आप इसको देखें तो पता चलेगा कि केवल १५ रुपये का गत वर्ष १९६४ में लाभ हुआ है। तो इन सहकारी कृषि फार्मों में जमीन का केवल दुरुपयोग होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जिस प्रकार से काम किया जाता है वैसा उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए यह उचित नहीं है। कृषि समितियां कभी भी सफल नहीं हो सकेंगी। इसके बड़े-बड़े उदाहरण दिये जा सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह——

इस अध्याय में कृषि सहकारी समिति का जिक्र आया है। मैं समझता हूं कि कृषि सहकारी समितियों का यदि गठन ठीक ढंग से हो तो उसमें छोटे-छोटे किसानों की भलाई हो सकती है, वे मिल कर कार्य करें तो कृषि की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन मुझे भय है और हमारा पिछला अनुभव भी अच्छा नहीं है। जो बड़े बड़े किसान हैं, या जो पुराने जमींदार हैं वे अपने ही परिवार के सदस्यों की समिति बनाये रखते हैं, सरकार से कृषि सहकारी समिति से प्राप्त सहायता का वे दुरुपयोग करते हैं। इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि जिससे एक ही परिवार के ५–७ आदमी मिल कर एक सोसाइटी न बना सकें। इसमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं किया गया है। हमारे जिले में बहुत से बड़े किसान हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और नौकरों को मिलाकर कृषि सहकारी समिति बना ली है और हजारों रुपया सरकार का मदद या सहायता के रूप में उन्हें मिला है जिसका दुरुपयोग किया है। इसमें व्यवस्था है कृषि सहकारी समिति गठित करने से विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्राप्त होंगी जैसा धारा ८७ में प्राविधान है लगान में कमी की सुविधा मिलेगी, सिंचाई शुल्क में कमी की सुविधा मिलेगी, तकावी बीज खाद आदि में वरीयता मिलेगी इस प्रकार का लालच इसमें रखते हैं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस पर भी कुछ ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये जिससे दुरुपयोग न हो। इस अध्याय में कोई भी ऐसा उपबन्ध नहीं रखा गया है जिससे जो बड़े किसान हैं वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग न करें। इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। यह तो जनसंघ और समाजवादी पार्टी की लिपि है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने तो अवश्य कहा है कि पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन शिकायत है कि बड़े-बड़े किसान अपने ही परिवार को या अपने आदमियों की एक कृषि सहकारी समिति बना लेते हैं। यह भी देखा गया है कि बदायूं जिले की कृषि सहकारी समिति में नैपाल के लोग भी फर्जी रूप से रखे गये हैं कलकत्ते के व्यापारी लोग भी रखे गये हैं। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इस में कोई इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखें कि बड़े किसान सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग न कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७८ से ८५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८६—९५

सहकारी कृषि समिति को अपने द्वारा धारित भूमि के बंधक पर ऋण लेने का अधिकार

८६—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को, बिना कब्जा दिये हुए और, सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् धारा ७९ की उपधारा (१) के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें

८७—इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधाएं तथा पूर्वताएं पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और इनके अन्तर्गत, अन्य रियायतों, सुविधाओं तथा पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती हैं:—

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल पेट्रोल तथा मोबिल आयल के क्रय पर बिक्री-कर में कमी,

(ग) तकावी देने में पूर्वता,

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता,

(ङ.) सिंचाई के लिए जल सम्भरण और बीज खाद, उर्वरक, तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता,

(च) कृषि उपज के क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता।

नियम बनाने का अधिकार

८८—(१) धारा १३० के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषि समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा ७९ के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण (disposition) करने की अनुज्ञा कर सकती हो ;

(ख) वे सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा ८२ के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायगी अथवा उसका भुगतान किया जायगा ;

(ग) वे प्रपत्र जिनमें धारा ४८ के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी और प्रार्थना-पत्र तथा अपील के ज्ञापन-पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क , यदि कोई हों, की धनराशि;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जिनका अनुसरण धारा ८४ के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनिमय (exchange) का निदेश देने और प्रतिकर का भुगतान करने में किया जायगा ;

(ङ.) बहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों (implements) के विषय में दावों को चुकता करना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है ;

(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान तथा उसका मूल्यांकन और समायोजन (adjustment);

(छ) सहकारी कृषि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने के सिद्धांत;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों, तथा नियत किये जा सकें ।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

परिभाषायें

८९—पूर्वगामी धाराओं में प्रयुक्त ऐसे शब्दों तथा पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है, किन्तु १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दी गई है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिये गये हों ।

अन्य विधि की अपेक्षा अध्याय के उपबन्धों का अभिभावी होना

९०—इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

प्रभार का प्रवर्तन

९१—अध्याय ९ में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु इस अधिनियम में व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निबंधक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना-पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के संबंध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे

सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान ऐसी सम्पत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसेहित को जो धारा ३९ के अन्तर्गत प्रभार के अधीन हो बेच कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना-पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष मांग का भुगतान न दिया हो ।

कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन

९२—धारा ७१ के अधीन दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय जो नीचे दी गई रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा ६७ या ६८ की उपधारा (२) अथवा ९१ के अधीन निबंधक द्वारा या धारा ७४ के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा ९७ या ९८ के अधीन अपील पर अथवा धारा ९९ के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा १०० के अधीन विवादकालीन (interlocutory) आदेश स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य प्रत्येक आदेश का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो—

(क) मालगुजारी के बकाया वसूली के लिये तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को दिया जायगा और उसके साथ निबन्धक द्वारा और उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण-पत्र भी रहेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र आदेश या अधिनिर्णय में भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो यथास्थिति आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से १२ वर्ष के भीतर दिया जायगा; अथवा

(ख) निबंधक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसने तदर्थ अधिकृत किया हो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरुद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायगा; अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया जायगा, मानो ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डिक्री हो ।

कतिपय प्रयोजनों के लिए निबंधक या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय होगा ।

९३—निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिए या ऐसी वसूली करने के सहायक उपाय अपनाने के लिए उस को दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देते समय इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३ की अनुसूची के अनुच्छेद १३६ के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय समझा जायगा । ऐक्ट संख्या ३६, १९६३

अभिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पति की कुर्की

९४—यदि निबंधक का किसी प्रार्थना-पत्र, प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध दिया जाय प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से यथास्थिति, निबंधक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग हटाने वाला है, तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय, उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निदेश दे सकता है, और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा, मानों वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गई हो।

सरकार को देय धनराशियों की वसूली

९५—(१) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय समस्त धनराशियां जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जा सकती है।

(२) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा (१) के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमतः समिति की सम्पत्ति से, द्वितीयतः ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए, और तृतीयतः अन्य समितियों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा २५ के उपबन्धों के अधीन रहेंगी।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८६ की द्वितीय पंक्ति में "राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार या भूमि विकास बैंक अथवा किसी अन्य सहकारी समिति।"

खंड १२९ में यह लिखा है "निबंधक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन तथा ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा। तदुपरान्त उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित सहकारी भूमि विकास बैंकों से सम्बद्ध किसी विधि के उपबन्ध भी ऐसी सहकारी समिति पर प्रवृत्त होंगे।" तो निबन्धक को यह पावर दी गयी है कि बैंकिंग का कार्य करने वाली सहकारी समिति भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य कर सकती है। अब धारा ८६ को देखें इसमें दिया हुआ है "ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को, बिना कब्जा दिये हुए. . . अर्थात् सहकारी समिति राज्य सरकार अथवा किसी सहकारी समिति से ऋण लेगी। तो कृषि सहकारी समिति, जैसा कि धारा १२९ में दिया हुआ है, भूमि विकास बैंक से कुछ भिन्न होंगी और जैसा लिखा है कि निबन्धक उनको भूमि विकास बैंक का काम करने की भी पावर दे सकता है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो सहकारी कृषि समितियां हैं उनको लोन लेने की पावर होनी चाहिये लिहाजा भूमि विकास बैंक भी इसमें रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास---

माननीय कमला सिंह जी की जो मंशा है वह इसके अन्दर निहित है। सहकारी समिति के अन्दर सहकारी भूमि बंधक बैंक भी आ जाता है और वे कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार किसी अन्य समिति को लैंड मार्गेज बैंक की पावर दे सकता है यह पृथक चीज है और वह लैंड डेवलपमेंट बैंक अधिनियम जो है उसके मातहत काम करेंगे। लिहाजा अब यह शब्द रखना रिडंडेंट है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ८६ की द्वितीय पंक्ति में "राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"राज्य सरकार या भूमि विकास बैंक अथवा किसी अन्य सहकारी समिति।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ८६ से ९५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९६---९७

सहकारी न्यायाधिकरण

९६---(१) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के सम्पादन के लिये न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का संघटन कर सकती है, जिसमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण संघटित किये जायें, तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसे मामलों का वर्ग जिसके ऊपर प्रत्येक न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

(२) न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले, जो नियत की जायं, एक या तीन व्यक्ति होंगे।

(३) यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों, तो उसके कार्य-निस्तारण के लिये किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को, जिस पर मतभेद हो, तीसरे सदस्य के समक्ष रखा जायगा और उस मामले पर जिस मत से वह सहमत होगा वही मत न्यायाधिकरण का मत समझा जायगा। यदि किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो, तो बहुमत अभिभावी होगा।

न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें निबंधक के अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील

(४) न्यायाधिकरण के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।

(५) न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य-निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

९७---(१) निबन्धक द्वारा धारा ७१ की उपधारा (१) के खंड (क) अथवा उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(२) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जो वह न्यायपूर्ण समझे।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९६ का उपखंड (२) हटा दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

"(२) न्यायाधिकरण में हाईकोर्ट के जज की अर्हतायें रखने वाले एक या तीन व्यक्ति होंगे जो अपने कार्यों में हाई कोर्ट जजों की भांति स्वतंत्र होंगे ।"

मान्यवर, यह सारे विधेयक का निचोड़ है । इसका क्या तात्कालिक महत्व है इसकी व्याख्या अन्य माननीय सदस्य करेंगे । मैं चाहता हूं कि न्यायाधिकरण में चाहे रजिस्ट्रार का विवाद हो या समिति का कोई विवाद हो या कोई भी विवाद हो उसका निर्णय अंतिम रखा गया है । इसलिये इस न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले व्यक्ति नियुक्त किये जायं जिनकी अर्हतायें हाई कोर्ट के जजों के समान हों । इसमें शब्द ये हैं कि "न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले, जो नियत की जायं, एक या तीन व्यक्ति होंगे" यहां पर "नियत" शब्द ठीक नहीं है । कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव एक ही अर्थ होता है । सरकार न्यायाधिकरण को नियत करेगी अब आप समझें कि वह किस नीयत से (मंशा से) नियुक्त करेगी । न्यायाधिकरण में ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिये जो स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी के दबाव में आये निर्णय दे सकें ।

इसमें केवल तीन ही व्यक्ति रखें हैं । इसको कई खंडों में बांटने का विचार कर रहे हैं । इसलिये इसमें जगह-जगह पर राजनीतिक लोग घुस जायेंगे । मेरेकहने का मतलब यह है कि इसमें स्वतंत्र विचार के लोग होने चाहिये । इस विधेयक में अधिनियम बन जायेगा और जो भी इसमें प्राविधान होगा उसी के अनुसार नियम बनेंगे । नियम विधेयक को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं । इसलिये इसका प्राविधान होना उचित है । दूसरी बात यह है कि प्रवर समिति ने उपखंड (३) को संशोधित करके रखा है । इसलिये समिति का विचार होगा कि ऐसे लोग हों जो अपने स्वतंत्र विचार रखते हों । इसलिये मेरा प्रस्ताव जनहित में है कि स्वतंत्र विचार के लोग हों जो अपना निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक दे सकें ।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह न्याय का सवाल है और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड ९६ और ९९ की ओर दिलाना चाहता हूं । इस विधेयक में ट्रिब्यूनल का कोई भी आदेश होगा उसके लिये रिव्यू की प्रणाली रखी है । आदेश के रिव्यू होने के बाद वह फायनल माना जायगा । जब आप ट्रिब्यूनल के निर्णय को फाइनल करने जा रहे हैं यानी उसकी कोई अपील नहीं हो सकेगी तो इसमें ऐसे आदमियों की रखने की जरूरत है जो न्याय से परिचित हों । मंत्री जी कह सकते हैं कि जिनको कोआपरेटिव की जानकारी होगी उनको ही रखेंगे । मैं मद्रास के कोआपरेटटिव विधेयक की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसमें जजेज को रखा गया है । मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । धारा ९२ में दिया हुआ है—

"*Co-operative Tribunal*—(1) The Government shall constitute a Tribunal to be called the Co-operative Tribunal, to exercise the powers conferred on the Tribunal under this Chapter.

(2) The Tribunal shall consist of one person only who shall be judicial officer not below the rank of Subordinate Judge."

इस तरह वहां पर रखा गया है कि सबार्डिनेट जज की श्रेणी का होगा । ट्राइबुनल में ऐसे लोगों को रखना चाहिये जो ला से परिचित हों और एक्सपीरिएंस्ड हैंड्स हों । अगर इस तरह से जुडीशियल आफिसर सिविल जज के रैंक का होगा तो ज्यादा सुन्दर होगा क्यों कि आर्बिट्रेशन के फैसले की भी अपील वहां जा सकेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बनारसीदास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायाधिकरण में योग्यतायें हों, उसके लिये हाईकोर्ट के जज हों, प्रदेश में कितने न्यायाधिकरण होंगे, क्या होगा, ऐक्ट में कर दें तो बड़ी कठिनाइयां होंगी। हमारे श्रम विभाग में न्यायाधिकरण हैं। वहां भी योग्यता निश्चित नहीं की है। नियम बनाये हैं उनके अनुसार ट्राइबुनल हैं। तजुरबे से देखा गया है कि न्यायाधिकरण के अन्दर लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर वगैरह रखे जायं इस तरह की मांग सदन में होती रहती है। यहां पर यह पाबन्दी करना, और इसके अन्दर क्या खर्चा होगा, कितने न्यायाधिकरण बनेंगे, ऐक्ट में सारी बातों का प्राविधान करना अनुचित होगा। जब नियम बनेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसी श्रम विभाग की परम्परायें हैं, उनका ध्यान रखना होगा। रिटायर्ड आई० सी० एस० आफिसर्स भी हो सकते हैं। हाईकोर्ट के जजेज में आज कल आई० सी० एस० हैं। जब नियम बनेंगे तो सब चीजों का ध्यान रखेंगे।

श्री विजयसिंह—

आप देखें कि यह संशोधन कितने महत्व का है। माननीय मंत्री जी ने लेबर कोर्ट की मिसाल दी। मैंने देखा है कि लेबर कोर्ट में कुछ ऐसे प्रश्न भी उपस्थित हुए कि कोर्ट के समक्ष पच्चीसों मुकदमें थे जिनमें से एक दो ही लिये गये और बाकी को साल भर के लिये छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी श्रम विभाग में देखें कि कितनी गड़बड़ी होती है। पहले में हैं एक से अधिक न्यायाधिकरण सरकार की ओर से निश्चित किये जायेंगे। दूसरे में केवल यह है कि उनकी योग्यतायें कम हों या योग्यता विहीन व्यक्ति रखे जायेंगे। अगर वह चाहते हैं कि न्यायाधिकरण के व्यक्ति आई० सी०एस० हों, आई०ए०एस० हों, रिटायर्ड अफसर हों, तो वहां योग्यता को स्पष्ट करना था। अगर चाहते हों कि जजेज हों तो जजेज को रख दें। पर जो भी योग्यता की बात हो अवश्य स्पष्ट होना चाहिये। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि माननीय कमलासिंह और विजय सिंह को ही रख दें और हम काम न कर सकें। जैसा कि प्राविधान है उसके नियमों में सब कुछ हो सकता है।

दूसरे, तीन आदमी न्यायाधिकरण में होंगे। अगर दो में मतभेद हो गया तो तीसरा आदमी जो तय करेगा वही फाइनल जजमेंट हो जायगा। इस तरह से हमें आशा नहीं है कि इससे हमें न्याय मिल सकेगा। समितियों में झगड़ा है। तो यह लेबर कमीशन की तरह का तो कोई झगड़ा है नहीं। सहकारिता के अन्तर्गत करीब २५ हजार समितियों का झगड़ा होगा, जिसका निपटारा करना है। इसको मंत्री जी समझ लें और फिर जिसमें लाभ समझें वैसा करें। मैं जानता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसको स्वीकार करने से उनके हाथ से कठपुतली निकल जाएगी और सारी चीजें जिनको वह अपनी पसन्द से चलाना चाहते हैं, बेकार हो जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, माननीय विजय सिंह ने जितनी बातें कहीं, मैं समझता हूं, वे बिलकुल असंगत हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ९६ का उपखंड (२) हटा दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"(२) न्यायाधिकरण में हाई कोर्ट के जज की अर्हतायें रखने वाले एक या तीन व्यक्ति होंगे जो अपने कार्यों में हाईकोर्ट जजों की भांति स्वतंत्र होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलसिंह यादव---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय विजय सिंह ने जो कुछ कहा उस पर माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि यह बिलकुल असंगत हैं, क्या उन्हें यह कहने का अधिकार है ? इसे वह वापस लें । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ९६ और ९७ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९८

[अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अपीलें]

अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील

९८---(१) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से ३० दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (२) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है :---

(क) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति को निबंधित करने से इंकार किया गया हो;

(ख) धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों के किसी संशोधन को निबंधित करने से इंकार किया गया हो;

(ग) किसी सहकारी समिति का कोई निर्णय, जिसमें धारा ६२ की उपधारा (२) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इंकार किया गया हो अथवा धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो;

(घ) धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबंधक का कोई आदेश;

(ङ) धारा ३५ के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबंधक का आदेश;

(च) धारा ६५ के अधीन की गयी किसी जांच अथवा धारा ६६ के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के व्ययों को अविभाजित करने का धारा ६७ के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश,

(छ) धारा ६८ के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश;

(ज) धारा ७१ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(झ) धारा ७२ के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (winding up) का निदेश दिया गया हो ;

(ञ) धारा ७४ के खंड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश;

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(ट) धारा ९२ के खंड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ४७ में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश;

(ठ) धारा ९४ के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिये दिया गया आदेश;

(ड) निबन्धक का धारा १२५ के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन (amalgamation) या विलयन का निदेश दिया गया हो या धारा १२६ के अधीन कोई आदेश जिनमें विभाजन का निदेश दिया गया हो;

(ढ) धारा १२८ के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिये दिया गया आदेश ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील, निम्नलिखित को हो सकेगी--

(क) यदि निर्णय का आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को; अथवा

(ख) यदि निर्णय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति को सहकारी समिति द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को ।

(३) उपधारा (२) के खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकर गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उपधारा (१) के खंड (छ), (ज) और (ङ) में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में अपील ग्रहण करने और उनका निर्णय करने के अपने किसी अधिकार को, धारा ९६ के अधीन संघटित सहकारी न्यायाधिकरण को प्रतिनिहित कर सकती है, और तदुपरान्त निबन्धक के किसी ऐसे आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(४) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) (ञ), (ढ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी, और उप धारा (१) के खंड (ख), (ज), (झ), (ट), (ठ), और (ड) के अधीन अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी :

(क) यदि निर्णय का आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय या आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को ।

(३) उपधारा (२) से खंड (क) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति, द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उपधारा (१) के खंड (ख), (ञ), (झ), (ट), (ठ), और (ड) में उल्लिखित विषयों के संबंध में अपीलें भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी और तदुपरान्त निबंधक के किसी ऐसे आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है ।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझें ।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९८ के उपखंड (१) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (३)" के स्थान पर "उपधारा (२) का भाग (३)" रख दिया जाय ।

माननीय मंत्री जी इसे आप देखें, इस विधेयक की धारा १२ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस विधेयक में इस खंड में कोई भी उपखंड (३) नहीं है । हिन्दी ओरिजनल में कोई भी ऐसा खंड नहीं है जो कि १२ के (३) के रूप में कहा जा सके । वह हिन्दी में देखें । एक व २ हैं, जैसा कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा भेजा गया है और वह उपखंड (२) का १, २ व ३ है । तो ३ के अन्दर जब रजिस्ट्रार रिफ्यूजल करेगा तो वह उसकी अपील करने के बारे में है । इसमें दिया हुआ है " धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निबंधक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश, जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों के किसी संशोधन को निबंधित करने से इंकार किया गया हो ।"

श्रीमन्, जो इन्कार का प्रश्न है वह केवल उपखण्ड १ के (ख) में आता है—

"यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा"। इसकी अपील होगी तो इसके अपील के बारे में १२ के (ख) में दिया हुआ है । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसे मान लेना चाहिए क्योंकि अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो ९८ (३) का प्राविधान जो किया जा रहा है वह गलत हो जायगा । साथ ही साथ यह भी बता दूं माननीय मन्त्री जी और उनका डिपार्टमेंट अभी तक सोता रहा और माननीय कल्पनाथ सिंह जी से हर जगह संशोधन करवाया लेकिन यहां भूल गये....

श्री कल्पनार्थसिंह—

आप यह कहिए कि मेरा संशोधन मान लिया....

श्री कमलासिंह यादव—

अब वह आपकी समझ के बाहर बात हो गयी है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

सारी अक्ल का ठेका मालूम होता है आपने ले रखा है।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर हिन्दी वाले में नहीं किया जायगा इस प्रकार का संशोधन तो उसमें दिक्कत हो जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, अगर आप इंग्लिश का देख लें तो वहां ठीक है, यहां टाइप की मिस्टेक है और इससे काई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह उपखण्ड ३ कभी नहीं होगा । हिन्दी आपक सामने है उसमें १२ में १ और २ और ३ एक लाइन में है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अंग्रेजी मे तो है, टाइप की मिस्टेक इसमें है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

इस तरह से धांधली नहीं चलेगी। आप देखें प्रोपर, स्पष्ट है १२ में एक, दो और तीन सब एक ही लाइन में आ गयी है। इंग्लिश का दूसरा है' मूल तो हमारा हिन्दी है ही। इस तरह से यह नहीं चल पायेगा जो यह कह रहे हैं। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि हिन्दी हमारे इस हाउस की भाषा है तो जिस रूप में ओरिजिनल यह रखा गया है वही हमको देखना चाहिए। उपखण्ड २ को देखें उसमें आगे १, २, ३ रख दिया गया है जो एक लाइन में है। १ के नीचे २ है। अगर १, २ लाइन नीचे होता तो उस वक्त यह नहीं कहा जा सकता था लेकिन अगर इस रूप में है और इस रूप में रहा तो निश्चित है कि यह गड़बड़ी पैदा करेगा। जो २ का उपखण्ड ३ रखा गया है उसको १२ का ३ मान लिया जाय तो कोई बात नहीं है लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं आया जिससे ऐसा हो सके। अंग्रेजी के मुकाबले में हमको हिन्दी को मानना है वह हमारी यहां की भाषा है। ऐसी दशा में जिस रूप में यह रखा गया है उसमें गड़बड़ हो सकती है।

*श्री बनारसीदास—

इसमें यह है कि धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों के किसी संशोधन को निबन्धित करने से इन्कार किया गया हो। इसमें धारा १२ की उपधारा ३ का जिक्र है। इससे भ्रम पैदा हो सकता है जैसा कि कमलासिंह जी कह रहे हैं। उपधारा २ के नीचे १, २, ३ दे दी गई है। उससे ऐसा लगता है कि ये उपधारा २ की ये हैं। वास्तव में अगर इसको देखा जाय तो यह धारा १२ की स्वतन्त्र उपधारा ३ है। हाई कोर्ट तो अंग्रेजी के वर्जन को ही अथारिटेटिव मानता है। इसका तो स्वीकार महोदय को अधिकार है कि अगर कोई इस तरह की छापे की गलती हो तो उसको वह सुधार कर सकते हैं। आप यह कहते हैं कि उपधारा (३) के स्थान पर उपधारा (२) रख दी जाय। इससे गलती हो जायगी। बल्कि अगर यहां पर (क), (ख), (ग) रख देते तो वह ज्यादा अच्छा था। तो यह उपधारा स्वतन्त्र रूप में उपधारा (३) है। इसका संशोधन कर लिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर इसका संशोधन हो जायगा तो मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बंशीधर पांडेय—

इसी प्रकार से आगे वाले संशोधन में भी जैसा कहा गया है २६ के स्थान पर ६२ छप गया है तो उसको भी ठीक कर लिया जाय। इसमें २६ होना चाहिए। वह पलट गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको ठीक कर दिया जायगा।

*श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९८ के उपखण्ड (२) व (३) बदल कर निम्न प्रकार रख दिये जांय—

"(२) उपधारा (१) के खण्ड (घ), (च), (छ), (ट) और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (ज), (झ), (ञ), (ड) तथा (ढ) के अधीन अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायगी :

(क) यदि निर्णय या आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, तो निबन्धक को।

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील, ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायं, न्यायाधिकरण को की जायगी और तदुपरान्त ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।"

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि सेलेक्ट कमेटी ने जिस रूप में इसे रखा था उसे कुछ व्यापक रूप में मैंने रखने के उद्देश्य से यह उपखण्ड रखे हैं। आशा है मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ९८ के उपखण्ड (२) व (३) बदल कर निम्न प्रकार रख दिये जांय :

"(२) उपधारा (१) के खण्ड (घ), (च), (छ), (ट) और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (ज), (झ), (ञ), (ड) तथा (ढ) के अधीन अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायगी :

(क) यदि निर्णय या आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, तो निबन्धक को।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील, ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायं, न्यायाधिकरण को की जायगी और तदुपरान्त ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि (१) खण्ड ९८ के उपखण्ड (२) की तीसरी पंक्ति से '(ज)' तथा '(झ)' निकाल दिया जाय तथा पहली पंक्ति में (छ) के बाद '(ज)' तथा '(झ)' कर दिया जाय।

(२) खण्ड ९८ के उपखण्ड (३) की तीसरी पंक्ति से '(ज)' तथा '(झ)' निकाल दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, जो संशोधन स्वीकार हुआ है उस से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। इसके द्वारा मेरा मतलब है कि (ज) तथा (झ) को निकाल दिया जाय। इनको अगर सरकार को या अन्य अधिकारी को न होकर न्यायाधिकरण को होनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाय।

श्री बनारसीदास--

जब आपने कृष्णानन्द जी का संशोधन स्वीकार कर लिया तो उसमें आ गया, उसमें निर्णय हो गया। अब इसकी क्या जरूरत है?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो फिर रिडंडेंट है, पेश नहीं हो सकता।

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ९८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९९–१०३

अपीलीय अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन

९९—(१) यथास्थिति, धारा ९७ अथवा धारा ९८ के अधीन, अपीलीय प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर, किसी भी मामले में, [स्वयं] अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि किसी ऐसे नवीन तथा महत्वपूर्ण तथ्य का साक्ष्य का पता लगा है, जो कि उचित अध्यवसाय के पश्चात् भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं था, अथवा वह उसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाय कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(२) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (१) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र, अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के, जिसका पुनर्विलोकन वांछित हो संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जायगा।

अन्तरिम आदेश

१००—यदि अपील धारा ९७ अथवा धारा ९८ के अधीन की गयी हो, तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिए अपील का निर्णय होने तक के लिए ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

अपीलों का संक्रमण

१०१—(१) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, धारा ९७ के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा ९८ के अधीन कोई अपील अपने को संक्रमित कर सकती और उसे निस्तारित कर सकती है।

(३) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्समय अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है, अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं अपने को संक्रमित कर सकता है और उसे निस्तारित कर सकता है।

आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना

१०२—धारा ७१ के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा ९८ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति, धारा ९७ या धारा ९८ के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील न की गयी हो तथा धारा ९९ के अधीन रहते हुए, उक्त धारा के अधीन अपील में दिया गया प्रत्येक निर्णय अन्तिम तथा सम्बद्ध पक्षों पर बन्धनकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अधिनियम के अधीन अपराध

१०३—(१) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि—

(१) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी निबन्धक या निबन्धक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी; प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे; या

(२) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभूतियों को नष्ट करे, कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, उनमें परिवर्तन करे, कूट-करण (falsif) करे या उनके नाश, विकृत, परिवर्तन, कूट-करण के लिए अधिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर्ड, लेखा-बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिए अभिप्रेरित करे; या

(३) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां, अभिलेख या सम्पत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और सम्पत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिए विधितः हकदार हो; या

(४) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिए धारा ३३ के अधीन अपेक्षित अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना न करे; या

(५) सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रक्खे जो नियत किए जायें; या

(६) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा-परीक्षा के लिए धारा ६४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, अथवा निबन्धक या धारा ६४, ६५, ६६, ७३, या १२३ के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियां और पत्रादि प्रस्तुत न करे या सहायता न दे; या

(७) कोई सेवायोजक पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा ४० की उपधारा (२) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से जब वह कटौती की गई हो, १४ दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे; या

(८) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो

(२) (क) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड १, ४, ५, ६, ७ या ८ के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थदण्ड दिया जायगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड (२) या (३) के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर किसी प्रकार का कारा ास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि खण्ड ९९ से १०३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०४

धारा ८ अथवा धारा १०६ के उल्लंघन के लिए शास्ति

१०४—कोई व्यक्ति जो धारा ८ की उपधारा (२) या धारा १०६ के उपबंधों का उल्लंघन करे, अर्थदंड से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदंड से दंडनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोष-सिद्ध के पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, दस रुपया होगा।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं आपकी आज्ञा से खण्ड १०४ का विरोध करता हूं। इसमें दिया हुआ है—"कोई व्यक्ति जो धारा ८ की उपधारा (२) या धारा १०६ के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोष सिद्ध के पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, दस रुपया होगा"। तो इसमें ५०० और १० रुपए पर-डे का दण्ड रखा गया है। मुझे बंशीधर पांडेय जी के वक्तव्य को सुनकर अफसोस हुआ। मैंने खण्ड ८ (२) की ओर ध्यान आकर्षित किया था तो पांडेय जी ने कहा था कि समिति से सम्बन्धित है। ८ (२) में समितियों के बारे में सार्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था है। धारा ७ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, विशेषकर ७ (ग) की तरफ कि "प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से अ गत नहीं हैं", यदि ऐसा समाधान निबन्धक को हो जाय तो वह समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा। बाईलाज का जहां तक सम्बन्ध है धारा १२ में कोई प्राविधान नहीं है कि सार्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन हम दे सकेंगे या उसकी कोई सर्टिफाइड कापी दे सकेंगे या गजट में किसी तरह का प्रकाशन कर सकेंगे। साथ ही सूचना के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है कि जब निबन्धक अस्वीकृत करेगा तो सूचना देगा या नहीं। तो अगर आपके विधेयक में न बाईलाज का अमेंडमेंट मिल सके, न गजट में प्रकाशन हो सके और न सूचना मिले तो आखिर समितियां अपने बाईलाज में कैसे संशोधन करेंगी? अब तक कोई सहकारी समिति कारोबार नहीं कर रही थी, अब करने लगी तो बाईलाज को संशोधित करना होगा और अपने बाईलाज में कुछ संशोधन कर लें, वह स्वीकृत भी हो गया, तो क्या परिस्थिति होगी, इस पर आप विचार करें? कोई भी व्यक्ति यदि धारा ८ (२) का उल्लंघन करेगा तो उसको दण्ड देने का प्राविधान आपने १०४ में किया है। वह आपने ५०० रुपये तक जुर्माना और १० रुपये रोज रखा है। जब आपने धारा १२ के (२) में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है कि हमें सार्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा, तो यह व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं। धारा ८ (२) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस समय तक कारोबार नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास निबन्धन प्रमाण पत्र न हो। उसकी कापी मिलने की व्यवस्था आपने कोई की नहीं है। बाईलाज का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी प्रति सोसाइटी को निबन्धक देगा, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक १२ के उपखंड (२) में इसकी व्यवस्था आप नहीं करते, इसमें बड़ी दिक्कत होगी। कभी रूल से ऐक्ट के किसी सेक्शन को नहीं बदला जा सकता। इसलिए यह धारा बड़ी गड़बड़ी पैदा करेगी, इसपर मन्त्री जी पुनः विचार कर लें। धारा १२ (२) में ऐसी व्यवस्था अवश्य कर दें ताकि सार्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन की कापी मिल सके।

*श्री बनारसीदास—

माननीय कमलासिंह जी ने जो आशंका व्यक्त की है, उसकी कोई गुंजायश नहीं है। धारा ८ (१) में साफ लिखा है कि यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

धारा ७ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाय तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यह इसमें है। धारा १०४ में धारा ८ के उल्लंघन करने पर सजा का प्राविजन है। फिर १२ (१) में यह है कि सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उप-विधियों का संशोधन कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय। तो जो संशोधन निबन्धित होगा उसका धारा ८ (१) के अनुसार प्रमाण-पत्र मिल जायगा। फिर जब हम नियम बनायेंगे तो यह सब लिख देंगे। इसलिए विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी प्रार्थना है इसे स्वीकार होने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १०४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०५

अपराध संज्ञान

१०५--(१) द्वितीय श्रेणी के वृत्तिग्राही (stipendiary) मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

(२) निबन्धक की पूर्वस्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन (pro ecution) संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १०५ का उपखंड (२) हटा दिया जाय।

इसमें श्रीमन्, अपराध की व्यवस्था है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कोई काम करता है, गबन करता है तो इस खंड के अन्दर उस अपराध को अभिरक्षित करने के लिये प्राविधान किया गया है। इसके पूर्व जब मैं बोल रहा था, जब खंड ९६ वाला जिक्र था उस वक्त भी मैंने स्पष्ट किया था कि अपने हितों की रक्षा के लिये हर प्रयत्न होता है। माननीय पांडेय जी ने कहा कि मैंने अर्थहीन बातें कहीं तो आप तो समझ ही लें क्योंकि आप ही मेरी बात समझते हैं।

श्रीमन्, हमारा तर्क यह है कि हमने जो संशोधन पेश किया है इसमें अपराध किये हुए लोगों को मुकदमा चलाने के लिये निबन्धक की स्वीकृति लेनी होगी। १०५ (२) को मैं पढ़ देता हूं "निबन्धक की पूर्वस्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत कर का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी। ठीक है श्रीमन्, उसे अवसर मिलेगा, पर उसमें निबन्धक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वह जब चाहेगा स्वीकृति नहीं देगा और कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। मैंने यह प्रस्तुत इसलिये किया कि यह आवश्यक है और उसमें कोई मुकदमा चलाना हो तो निबन्धक को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। अगर निबन्धक चाहेगा तो आज्ञा नहीं देगा और वह उससे बच जायगा। इसको माननीय मंत्री जी समझ लें। जो मैं भी तर्क उपस्थित करता हूं वह माननीय पांडे जी को समझ में नहीं आता वह उसे अर्थहीन कहते हैं। वह समझने की चेष्टा ही नहीं करते कि क्या महत्व है मैं नहीं समझ पाया कि कमी कहां है। मुझे एक शेर याद आया था श्रीमन्, वह इस प्रकार है जरा सुन लें--

"इस कदर नाजुक मिजाज है नेता
कि अक्ल का भी बोझ उठाया नहीं जाता"।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जहां तक सेकिण्ड क्लास मैजिस्ट्रेट का सवाल है वहां क्या आप प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को रखने का कोशिश करेंगे ? लेकिन जहां तक सैन्कशन का सवाल है अगर रजिस्ट्रार कोई भी गुनाह करता है तो उसके प्रासीक्यूशन करने के पहिले मौका देना चाहिये , यह जो बात दी गई है यह अच्छी बात है । लेकिन जहां तक सैकिन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट का सवाल है वह तहसीलदार होता है । मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां तहसीलदार की जो हालत है वह मैं यहां बतलाना नहीं चाहता क्योंकि किसी भी न्यायालय के खिलाफ आक्षेप की बात नहीं करनी चाहिये । लेकिन मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट यहां रख दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसमें कोई हर्ज नहीं है । प्रथम श्रेणी का रख लेंगे । परन्तु मुझे आश्चर्य है कि माननीय विजय सिंह क्यों ऐसी बात कह रहे हैं । इसमें सिर्फ प्रासीक्यूशन होगा । क्योंकि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करता है इसलिये उस के पास जरूरी है जाना ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०५ का उपखंड (२) हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, १०५ की उपधारा (१) में प्रथम श्रेणी रक्खा जाना मान लिया गया है । १०५ में जहां द्वितीय' शब्द रखा है उसकी जगह 'प्रथम' रख दिया जाय, यह मैंने माना लिये है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०५ (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "द्वितीय श्रेणी' के स्थान पर 'प्रथम श्रेणी' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १०५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०६–१२१

रुष्ट "सहकारी" या "कोआपरेटिव" का प्रयोग करने का प्रतिषेध सहकारी समिति का पता

१०६—सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द "सहकारी" या उसका अंग्रेजी पर्याय "कोआपरेटिव" हो, व्यापार या कारोबार नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति या उसके हित के उत्तराधिकारी द्वारा ऐसा कोई नाम प्रयुक्त किये जाने पर प्रवृत्त नहीं होगी जिससे उसने उस दिनांक को व्यापार किया हो जब कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ प्रवर्तित हुआ था ।

ऐक्ट संख्या ५, १९११

१०७—प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबंधित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे जा सकेंगे । समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर निबंधक को भेजेगी ।

अधिनियम, नियमों और उपविधियों की प्रतिनिरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी

१०८—प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, नियमों और अपनी उपविधियों की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिये समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी।

कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों, मध्यस्थों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार

१०९—(१) किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबंधक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषयों में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं, अर्थात्— ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि; और

(घ) साक्षियों के बयान लेने के लिये कमीशन निकालना।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र पर शपथ यथास्थिति, निबंधक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल, न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबंधक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है।

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३ से छूट

११०—इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३ में किसी उपबंध के होते हुये भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय किसी धनराशि का, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिये वादों को संस्थित करने के निमित्त अवधि की गणना उस दिनांक से की जायगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक

१११—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा:—

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबंधन ;

(ख) किसी प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलम्बन;

(ग) धारा ७० के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवाद;

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय।

निबन्धन की शर्तों से समितियों को छूट देने का अधिकार

११२—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबंधन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।

समितियों के वर्ग को छूट देने का अधिकार

११३—राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो गजट में प्रकाशित किया जायगा, किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है या निदेश दे सकती है कि उक्त उपबन्ध अमुक समिति या समितियों के वर्ग पर ऐसे परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें ।

सदस्यों का रजिस्टर

११४—सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रक्खी जाय, उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगी—

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया हो;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो ।

सहकारी समितियों के बहियों में प्रविष्टियों की सिद्धि

११५—(१) किसी सहकारी समिति की बही में, जो उसके कार्यसंपादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि यदि वह उस रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाय, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेख्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक ग्रहण की जायगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य (admissible) होती ।

(२) कोई सहकारी समिति किसी ऐसे लेख्य की प्रतिलिपियां जो उसने अपने कार्य-संपादन के सम्बन्ध में प्राप्त किया और रक्खा हो, या उस लेख्य की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गयी कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाय, किसी भी प्रयोजन के लिये उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक यथास्थिति मूल लेख्य या उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होतीं ।

(३) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसे विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो, समिति की बहियां या लेख्य, जिनकी ग्रंथवस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने, या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष कारण से न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबंधक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो ।

अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील

११६—सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिख कर और रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसा पत्र भेज कर, जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाय वह तामील उस समय की हुई समझी जायगी जब पत्र सामान्य क्रम में उसके पास पहुंच जाता ।

वादों के लिये नोटिस का होना आवश्यक

११७—समिति के संघटन, प्रबंध या कारोबार से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि निबंधक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें

वादकरण, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान और उसके द्वारा अभियाचित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्च त्, दो मास व्यतीत न हो गये हों, और वाद-पत्र में इस बात का प्रकथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है ।

कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायंगे

११८--किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नहीं समझा जायगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था ।

प्रयुक्ति

११९--कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ के अधीन नियुक्त, न्यासी, निबंधक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मंडल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया भावित हो ।

सहकारी समितियों के सचिव, प्रबन्धक आदि के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताएं

१२०--(१) कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को सचिव, प्रबंधक, लेखाकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो, तब तक नियुक्त न करेगी, जब तक कि उसमें ऐसी अर्हतायें न हों, और ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबंधक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

(२) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबंधक द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार

१२१--(१) निबंधक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों पर आनुशासिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिये समय-समय पर विनियम बना सकता है, और कोई समिति, जिस पर वे शर्तें प्रवृत्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबंधक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिये दिये जायें, पालन करेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

श्री विजयसिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १०६ की तीसरी पंक्ति में "नहीं करेगा" के बाद " : " हटा दिया जाय और निम्न और रख दिया जाय :

"और अवहेलना पर राज्य सरकार किसी की भी सूचना पर जिसके विश्वास करने का कारण हो, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करेगी ;"

मान्यवर, मेरा तात्पर्य मंत्री जी समझ लें कोई आदमी ऐसी समिति बनाये जो सहकारी संस्था न हो लेकिन सहकारी नाम दिये हुए हों, या बोर्ड लगा हो और उसका पता चल जाय, कोई भी आदमी उसकी सूचना दे दे । सरकार को अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं अपनी ओर

से मुकदमा चलाये । ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जहां पर कोआपरेशन का काम नहीं हुआ है लेकिन लिखा हुआ है कि सहकारी कुक्कुटशाला और झूठा पैसा भी सरकार से ले लिया है । तो माननीय मंत्री जी इसको मान लें क्योंकि वह अभी बहुत आवश्यक है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसमें तो किसी भ्रम की गुन्जायश ही नहीं है, साफ लिखा हुआ है । इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०६ की तीसरी पंक्ति में "नहीं करेगा" के बाद ":" हटा दिया जाय और निम्न और रख दिया जाय :

"और अवहेलना पर राज्य सरकार किसी की भी सूचना पर जिसके विश्वास करने का कारण हो, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०६ से १२१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२२—१३५

सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी

१२२—(१) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाय, सहकारी समितियों, या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा आनुशासिक नियंत्रण के लिये प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संघटन कर सकती है और ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से इस बात की अपेक्षा कर सकती है कि वह या वे ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, उपलब्धियों और सेवा की शर्तों के संबंध में, जिसके अन्तर्गत आनुशासिक नियंत्रण भी है, और, धारा ७० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के बीच विवादों के निपटारे के संबंध में, विनियम बनाये ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये विनियम, राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात्, गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा १२१ के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण करेंगे ।

सहकारी समितियों के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिये सहकारी संघ प्राधिकारी का संघटन या उसे मान्यता देना

१२३—(१) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को, ऐसी रीति से जो नियत की जायं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संघटित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा राज सहायता दे सकती है ।

(२) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्ष कर सकती है कि वह उपधारा (१) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये गये या किये जाने वाले व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति (recoupment) करने के लिये प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबंधक द्वारा निश्चित की जाय ।

(३) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (२) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबंधक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी, जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि वह उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबंधक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर माल-गुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायगा ।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारी-गण निबंधक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग का निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (१) के अधीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबंधक के सामान्य पथ-प्रदर्शन, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबन्धक को देंगे ।

निबंधक तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे

१२४—निबंधक, अथवा कोई व्यक्ति जो धारा ६४ के अधीन लेखा- रीक्षण करने के लिये या धारा ६५ के अधीन जांच करने के लिये या धारा ६६ के अधीन निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिये धारा १२३ के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मंडल का सदस्य जिसे धारा ७१ के अधीन कोई विवाद अभिदिष्ट किया जाय, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिए धारा ९३ के अधीन निबंधक द्वारा प्राधिकृत हो इंडियन पिनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public Servant) समझे जायेंगे । ऐक्ट संख्या ४५,१८६०

सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन का निदेश देने का निबंधक का अधिकार

१२५—(१) यदि निबंधक की यह राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन उनकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिये आवश्यक या वांछनीय है तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्त पोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात्, जिसकी उक्त समितियां ऋणी हैं, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, समामेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियां ऐसी समस्त कार्यवाहियों करेंगी जो धारा १५ के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिये आवश्यक हों ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के समामेलन या विलीन न होने पर निबंधक, सम्बद्ध समितियों को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में समामेलित या विलीन होने का निदेश दे सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन निबंधक का निदेश धारा १५ की उपधारा (२) तथा (३) के प्रयोजनों के लिये सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायगा और निबंधक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों ।

(४) सभी समितियों के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (३) में अभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबंधक, सम्बद्ध समितियों की निधियों से, धारा ४१ के उपबन्ध के

अधीन रहते हुए, समस्त सदस्यों की अंश पूंजी का प्रतिदान करेगा, और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा १५ की उपधारा (३) के क्रमशः खण्ड (१) और (२) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के, यथास्थिति समामेलन या विलयन की घोषणा करेगा तथा समामेलन की दशा में इस प्रकार बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबंधित करेगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन विलयन या नयी समिति के निबन्धन की घोषणा धारा १५ के अधीन विलयन या निबंधन समझा जायगा और उस धारा की उपधारा (७) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों में विभाजित करने का निदेश देने का निबन्धक का अधिकार

१२६—(१) यदि निबंधक की यह राय हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हित में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनायी जाने के लिए किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समिति ऋणी है, ऐसी समिति को दो या अधिक समितियों में ऐसे संघटनों, परिसंपत्तियों, दायित्वों, अधिकारों, कर्त्तव्यों और आभारों के साथ, जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें, विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेगी जो धारा १६ के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक, सम्बद्ध समिति को सुनवाई का एक और अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निदेश दे सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन निबन्धक का निदेश, धारा १३ के लिये सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायगा और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उस धारा द्वारा अपेक्षित हों।

(४) समिति के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा उपधारा (३) में अभिविष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समिति की निधियों से धारा ४१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त सदस्यों की अंश-पूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा १६ की उपधारा (३) के क्रमशः खण्ड (१) या (२) के अधीन नोटिस दिया हो, और तदुपरान्त नई समितियों तथा उनकी उपविधियों को निबंधित करेगा। इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया गया समझा जायगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन सभी समितियों का निबंधन धारा १६ के अधीन निबंधन समझा जायगा और उस धारा की उपधारा (७) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे।

वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते डाला जाना

१२७—सहकारी समिति निबंधक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डाल सकती है जो अशोध्य हों और वसूल न की जा सकती हों।

कतिपय मामलों में सहकारी समिति के संकल्प को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने का निबंधक का अधिकार ।

१२८—निबंधक—

(१) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प को निष्प्रभाव (annul) कर सकता है, या

(२) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है ।

यदि उसकी यह राय हो कि यथास्थिति , संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं हैं या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल है, तदुपरान्त प्रत्येक ऐसा संकल्प या आदेश शून्य (void) तथा अप्रवर्ती (inoperative) हो जायगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायगा ।

किसी सहकारी समिति को भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने का निबंधक का अधिकार

१२९—निबंधक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति को ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा । तदुपरान्त उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित सहकारी भूमि तत्स विकास बैंकों से सम्बद्ध किसी विधि के उपबन्ध भी ऐसी सहकारी समिति पर प्रवृत्त होंगे ।

नियम बनाने का अधिकार

१३०—(१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतया और उपधारा (१) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है

(१) प्रार्थी जिसको, और रीति जिसके अनुसार सहकारी समिति को निबन्धित करने से इनकार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन सूचित किया जाय;

(२) विषय जिनके संबंध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेगी या बना सकती है;

(३) सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथा शर्तें;

(४) सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधनों के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(५) प्रबन्ध कमेटियों का संघटन;

(६) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सामान्य बैठक के सभापति द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत दिये जाने की व्यवस्था;

(७) सहकारी समिति द्वारा ऐसी, दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिये एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति;

(८) साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के जिनमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के संघटन में ऐसे सदस्यों का जो व्यक्ति विशेष हों और अन्य सदस्यों का अनुपात;

(९) यदि अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो मतदान करने का अधिकार;

(१०) किसी सदस्य द्वारा उस व्यक्ति के नाम निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके;

(११) रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य सुनिश्चित किया जायगा और उसका भुगतान;

(१२) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा विभिन्न निकायों के सभापति तथा सदस्यों का निर्वाचन;

(१३) सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति तथा प्रक्रिया;

(१४) कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवक्रान्त या निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासक अथवा प्रशासकों को देय पारिश्रमिक;

(१५) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये अर्हतायें या अनर्हतायें;

(१६) सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हित बद्ध होने पर निर्बन्धन;

(१७) सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय;

(१८) लाभांश और बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ में से बांटने योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदेशन;

(१९) सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियंत्रण सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ (net profit) से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उसके निस्तारण की रीति;

(२०) सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्तें;

(२१) सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्देश्य, उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति;

(२२) सहकारी समिति के समापित होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरेक निधि (surplus fund) के निस्तारण की रीति;

(२३) सीमा तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति निक्षेप (deposit) और ऋण प्राप्त कर सकती है;

(२४) सहकारी समिति द्वारा असदस्यों (non-members) के साथ व्यवहार करने पर निबंन्धन;

(२५) सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निबंन्धन;

(२६) निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों (fluid resources) का स्वरूप तथा मानक;

(२७) लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण;

(२८) इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत निबन्धक मध्यस्थ या मध्यस्थ मन्डल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उनका निस्तारण करने की कार्यवाहियां हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(२९) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय;

(३०) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति की परिसंपत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(३१) सहकारी समिति को प्राप्य या देय धनराशि की वसूली की प्रक्रिया;

(३२) निर्णय के पूर्व कुर्की करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

(३३) न्यायाधिकरण के सदस्यों की अर्हतायें,

(३४) सहकारी समिति का पता निबन्धित करने की रीति;

(३५) सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियां तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्टरों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिये निदेश देने का निबन्धक का अधिकार;

(३६) कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रक्खी गयी बहियों में की गयी प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति;

(३७) सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण-पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां;

(३८) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर निर्बन्धन;

(३९) लेख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिये शुल्क का उद्ग्रहण;

(४०) केन्द्रीय बैन्क द्वारा सहकारी समितियों से लिये जाने वाले व्यय की अधिकतम दर;

(४१) सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों का उद्ग्रहण ;

(४२) प्रवैतनिक आयोजकों तथा प्रवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और उनको तथा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान ;

(४३) अधिनियम अथवा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति; और

(४४) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय अथवा जो नियत किये जाने के लिये अपेक्षित हो ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्य सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के संबंध में उपबन्ध

१३१—(१) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के संबंध में, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को वर्तमान हो तथा जो कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऐक्ट, १९०४ या कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा उसकी उपविधियां जहां तक वे इस अधिनियम के व्यक्त उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक कि उन्हें परिवर्तित विखन्डित न कर दिया जाय । ऐक्ट संख्या १०, १९०४, ऐक्ट संख्या २, १९१२

(२) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (१) प्रवृत्त होती है और जो धारा ७९ की अपेक्षाओं के अनुसार हो अध्याय ११ के प्रयोजनों के लिये सहकारी कृषि समिति समझी जायगी ।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों को, जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से असंगत हों, निकाल देगी या संशोधित कर देगी और इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियां बनायेंगी, जो आवश्यक हों ।

(४) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर, निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अन्तर्गत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है ।

(५) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा

निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे, अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्य के संबंध में जिसका समायोजन, किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता, एक वर्ष की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायगा कि उसने समिति की सदस्यता छोड़ दी है और उसके वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो ।

(६) यदि सहकारी समिति उपधारा (५) में निर्विष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निदेश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के संबंध में, यदि कोई हो, यह समझा जायगा कि उसने उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है ।

(७) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबन्धक नियत रीति से कमेटी संघटित करेगा ।

(८) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबन्ध कमेटी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में आपति न की जायगी कि इस धारा के उप-बन्धों के अनुसार सदस्यता के समायोजन या प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संघटन के समय तक, समिति की सदस्यता था उसकी प्रबन्ध कमेटी का संघटन इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत था ।

ऐक्ट संख्या २, १९१२

वर्तमान समितियों के संबंध में अन्य उपबन्ध

१३२—(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद अन्य कार्यवाही जांच या निरीक्षण के संबंध में, जहां तक संभव हो, यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और उसे तदनुसार जारी रखा जा सकता है ।

(२) जिसे ऐसे अधिकार, कृत्य या कर्त्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन उस प्रयोजन के लिये व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो जाय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया गया रहेगा जो अब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्त्तव्यों का प्रयोग, संपादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबंधक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिये नियत रीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

कठिनाइयों के निवारण करने का अधिकार

१३३—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इस अधिनियम की किसी बात के कारण तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम प्रचलित होने के पश्चात् दो वर्ष से अनधिक किसी अवधि के भीतर, ऐसे अनुकूलनों के अधीन जिन्हें

वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान मन्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

ऐक्ट संख्या २, १९१२ यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

निरसन, संशोधन तथा अधिनियमितियों का अन्वय लगाना

१३४—(१) उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के निरसन पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश का कोई अधिनियम हो ।

संख्या २, १९१२

(२) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के प्रति समस्त अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आयें हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनाया हो और जो तत्समय उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इस अधिनियम के संगत उपबन्धों के अभिदेश समझे जायेंगे ।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १,

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २९५ से ३१८ तक निरस्त की जाती है ।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(४) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये सहकारी फार्मों के समस्त अभिदेश, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित अथवा निबन्धित समझे गये सहकारी कृषि समितियों के अभिदेश समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

(५) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है—

संशोधन उपबन्ध	संशोधन
धारा २८ की उपधारा (२)	(१) वर्तमान खन्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये परिषदों का संगठन, संचालन, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा तथा उनके कर्मचारियों एवं वित्तीय व्यवस्था (Finances) पर नियंत्रण और यू० पी० केन यूनियन्स फेडरेशन तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों की मान्यता के संबंध में शर्तें । खन्ड (द) के वर्तमान उप-खन्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— (१) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में संस्था और फैक्टरी या गन्ना उत्पादक और फैक्ट्री के बीच में हो ।

ऐक्ट संख्या १५, १९४७ यू० पी० ऐक्ट, संख्या २८, १९४७।

१३५—इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ और यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के उपबन्ध सहकारी समितियों पर लागू न होंगे।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १२२ (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं से समिति के कर्मचारी वंचित न होंगे।"

श्रीमन्, में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की धारा १३५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया गया है—

"इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ और यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के उपबन्ध सहकारी समितियों पर लागू न होंगे।"

तो जहां तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के लागू होने का सवाल है में इससे सहमत हूं कि इसको स्वीकार करने में दिक्कत होगी लेकिन श्रीमन्, वह राज कर्मचारी हों, या कोई भी हों, अगर कोई भी सहूलियत उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत मिल रही हो तो उससे वंचित करने की कोई भी व्यवस्था इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिये। नियमों के अन्तर्गत कोई भी प्राविधान आप ऐसा अवश्य करें जिसमें कि उससे वे वंचित न होने पावें क्योंकि आप लेबर के भी मालिक हैं और उनकी जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है। तो जो लाभ वह उठाते रहे हैं उससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी इतना प्रोटेक्शन उनको दे देते हैं तो कोई भी श्रम हम लोगों को इसमें नहीं रहेगा।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है कि जिसके संबंध में तमाम प्रदेशों की सहकारी समितियां और सहकारिता के आन्दोलन में काम करने वाले सभी लोगों की यह मांग थी और सिद्धान्ततः जो कमलासिंह जी ने कहा यह ठीक लगता है कि सब प्रकार के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट से लाभान्वित हों। लेकिन भ्रमवश सहकारी समितियों को सहकारी बैंक की संज्ञा दे दी गयी है जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत जब इस तरह से मामले आते हैं तो शेड्यूल बैंक के समान ही उनको भी एक ही पंक्ति में खड़ा किया जाय। जबकि उनके अन्दर जो लाभांश होता है वह काफी कम होता है। इसलिये इस ऐक्ट के मातहत इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी प्रकार के कर्मचारियों की जब कोई शिकायत होगी तो उसके लिये स्वयं ही आर्बिट्रेशन की व्यवस्था होगी, जैसा कि एजूकेशन विभाग के अन्दर है। एजूकेशन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि वे एक इंस्टीट्यूशन के अन्दर होते हैं। इसीलिये हमने इस कानून के जरिये इसको पृथक् रखने की व्यवस्था की है। मुझे खेद है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय कमलासिंह जी के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उससे सहकारी आन्दोलन को धक्का लगेगा । मुझे आशा है कि माननीय कमला सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२२ (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं से समिति के कर्मचारी वंचित न होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२२ से लेकर १३५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाले गये शब्द, अंक या वाक्य चौकोर कोष्ठकों [ ] में हैं तथा नये बढ़ाये गये शब्द, अंक या वाक्य अधो-रेखांकित हैं।)

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों से सम्बद्ध विधि को संहत और संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई उपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होंगे और उस दशा में ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे ।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में "१९६५" के स्थान पर अंक "१९६४" रख दिया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का ध्यान में अंग्रेजी के विधेयक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बिल, १९६४ । तो श्रीमन्, जब ओरीजिनल में यह है और हिन्दी में १९६५ है तो .....

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, ओरीजिनल तो हिन्दी में है । अंग्रेजी तो दूसरी भाषा है । जैसा कि अभी अभी कुछ देर पहले माननीय कमला सिंह जी ने स्वयं भी कहा था।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यही तो मैं कहने जा रहा हूं कि हिन्दी की हम लोग कितनी उपेक्षा करते जा रहे हैं, यह इस बात की द्योतक है । इस विधेयक से ही साबित होता है कि आज भी हमारे जितने राज्य कर्मचारी हैं वे अंग्रेजी में ही कार्य कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन हम लोगों के सामने रख दिया जाता है और यदि कोई भूल रह जाती है तो उसका करेक्शन यहां सदन के जरिये हम लोगों से कराया जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल सन् १९६४ में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी में गया, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर १९६५ की जगह १९६४ रख दिया जायगा तो इससे मालूम हो जायगा कि किस सन् में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसलिये मेरा निवेदन है कि "अंक १९६५" के स्थान पर "अंक १९६४" रख दिया जाय। अगर अंक १९६५ ही रहा तो उससे हम लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी । जहां तक मंत्री जी का सवाल है वे सोचते हैं कि यह विधेयक तो सन् १९६५ में ही बना है, तो जिस रोज गवर्नर का सैंक्शन उस पर मिल जायगा तब तो वह सन् १९६५ का ऐक्ट आपसे आप बन ही जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसा कि अंग्रेजी में है, अगर १९६४ ही आप हिन्दी में भी रख दें तो बहुत ही सुन्दर होगा । क्योंकि सदन का कोई भी सदस्य १९६४ पढ़ने के बाद यह समझ जायगा कि इसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह सन् १९६४ में ही इस सदन में शुरू हुई होंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रवर समिति ने तो १९६५ ही किया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

प्रवर समिति ने तो बहुत कुछ किया है, जिसको माननीय मंत्री जी ने यहां उलट दिया है । मेरा कहना यही है कि जैसा कि ओरीजिनल अंग्रेजी में १९६४ है वैसा ही हिन्दी में भी कर दें । क्योंकि हिन्दी वाला भी सेलेक्ट कमेटी का है और अंग्रेजी वाला भी सेलेक्ट कमेटी का है । अभी तक तो अंग्रेजी वाले का ही अनुवाद हमसे कराया गया है ।

श्री बनारसीदास—

यह कोई सिद्धान्त का सवाल नहीं है । क्योंकि यह विधेयक ६५ में पारित हो रहा है इसलिये ६५ ही उसके लिये लिखा जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में "१९६५" के स्थान पर अंक "१९६४" किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (३) रख दिया जाय—

"(३) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे; और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये किसी उपबन्ध के प्रचलित होने अथवा न होने के संबंध में भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।"

श्रीमन्, यह जो संशोधन रखा है इसकी भाषा बहुत बढ़िया है और भी जितने विधेयक यहां आये हैं उनमें इसी किस्म की भाषा रखी गयी है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांकों पर प्रचलित करने की बात कही गयी है । अगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे तो भाषा बहुत अच्छी हो जायगी, यह भाषा सदन से पास की हुई भाषा है ।

श्री बनारसीदास—

माननीय कमला सिंह जी ने स्वयं ही कहा कि इन दोनों में मूलभूत कोई अन्तर नहीं है । यदि भाषा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो उसका अधिकार श्रीमन्, आपको है ही, आप उसको कर सकते हैं । इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (३) रख दिया जाय—

"(३) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे; और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये किसी उपबन्ध के प्रचलित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (३) का प्रतिबन्धात्मक वाक्य "प्रतिबन्ध यह है कि. . . . . निश्चित करे" हटा दिया जाय ।

अभी माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि भिन्न भिन्न खंडों को भिन्न भिन्न समय पर लागू करना है लेकिन मेरा खयाल है कि इसकी आवश्यकता नहीं है । इसमें कोई इस बात की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग दिनांकों पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खंड यहां लागू किया जाय । इसके द्वारा तो सभी एक ही दिनांक को लाभान्वित होने चाहिये । इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी खंड को आज प्रचलित किया जाय और किसी को कल किया जाय । सलिये माननीय मंत्री जी को मेरा संशोधन मान लेना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बनारसीदास--

मैं माननीय विजय सिंह जी का मतलब नहीं समझ सका। अगर ये शब्द निकाल दिये जायेंगे तो इसके द्वारा हम जो करना चाहते हैं उसका मतलब ही समाप्त हो जायगा। फिर तो यह भी समाप्त हो जायगा-"ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे"। इसलिये अगर निश्चित नहीं किया जायगा तो सारे ऐक्ट का मतलब ही समाप्त हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) का प्रतिबन्धात्मक वाक्य "प्रतिबन्ध यह है.... निश्चित करे" हटा दया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि गिलोटीन जो चलती थी ऐसे मौके पर उस तरह के डंडे का प्रयोग उन की तरफ से नहीं हुआ और समय से यह विधेयक दूसरी रीडिंग में समाप्त हो गया.....

श्री बंशीधर पांडेय--

इस के लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६५ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, यह विधेयक जो यहां प्रस्तुत है जिसकी अभी खंडशः चर्चा समाप्त हुई और जो अभी पास भी हो जायगा, उसका मैं इस अवसर पर इसलिये विरोध करता हूं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सहकारिता में विश्वास नहीं करते, या इस आन्दोलन को हम नहीं चाहते या सहकारिता की भावना को हम ठीक नहीं समझते बल्कि बात यह है कि सहकारिता के नाम पर सरकार ने यहां जो कुछ किया है वह एक विचित्र सी बात है। अगर यह कहा जाय कि इस के द्वारा जनतन्त्र की हत्या करने वाली प्रक्रिया की गई है तो अनुचित न होगा। इस बिल की जो रचना की गई है उसमें जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल का एक वाक्य रख दिया जाय कि प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ऐसे ही चलाया जायगा कि जैसा समय समय पर रजिस्ट्रार महोदय निश्चित करें। अगर इतना ही कहा जाता तब भी इस बिल का अर्थ यही है। सब जगह रजिस्ट्रार महोदय को पावर दी गई है कि समिति को जन्म दिया जाय, न दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय उस के बनाये जाने पर आपत्ति, उस को वाइन्ड अप करने, ससपेण्ड करने का सब अधिकार रजिस्ट्रार को दिया गया है। तमाम संशोधन यहां पेश किये गये कि यह अधिकार न दिया जाय लेकिन सरकार ने नहीं माना। मैं एक और संशोधन का उल्लेख करूंगा कि जिस पर प्रवर समिति में वोटिंग भी हुई और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के संशोधन को कांग्रेस तक के सदस्यों ने माना लेकिन जब प्रवर समिति से स्वीकृत होकर यहां आया तो श्री कृष्णानन्द राय जी के संशोधन से उस को यहां पलट दिया गया। सहकारिता के क्षेत्र में जो दिक्कतें थीं उनका खयाल न कर के पुराने ऐक्ट से भी अधिक अधिकार इस में रजिस्ट्रार को दे दिये गये। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अप्रजातान्त्रिक है और यह जनता में सहकारिता के प्रति किसी तरह का आकर्षण पैदा करने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस के पास कराने में जो प्रक्रिया हुई कि समिति की रिपोर्ट मांगी गई तो कहा गया कि वह छपने गई है और वहां जो कार्रवाई हुई वह नहीं दिखाई गई उस को अब छपवाने से क्या लाभ होगा, उस को अब नहीं छपवाया जाय तो अच्छा है क्योंकि अब तो जैसे चाहे यह पास कराया ही जा रहा है। जहां तक न्यायाधिकरण की बात है, किन्हीं समितियों को समाप्त किया जाता है या निलम्बित किया जाता है उन के विरुद्ध अगर कोई न्यायालय में जा सके तो वह भी नहीं माना गया। सब से खास बात इस में जो सहकारी योजना की बात है वह अलग ही है। इस के अलावा खास बात यह है कि सहकारी कृषि का इस में एक अलग से ही चैप्टर रख दिया गया है और वह जनता की भावनाओं के और जो कृषि संबंधी पुराने कानून हैं उनके विरुद्ध किया गया है और इस से तमाम तरह के विरोधाभास पैदा होंगे। मैं तो यह कहता हूं कि आगे चलकर यह कानून भी रद्द हो जायगा। धारा ८७ में लिखा हुआ है कि जो सहकारी समितियों में भाग लेगा उसको मालगुजारी में कमी, सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों आदि में रियायतें और सुविधाएं देंगे। यहां पर एक विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था उसमें हम लोगों ने मांग की कि जो छोटे काश्तकार हैं उन्हें इससे मुक्त कर दिया जाय तो इसी सदन में यह कहा गया कि यहां पर दो प्रकार के नियम लागू नहीं हो सकते हैं। डिस्पैरिटी नहीं हो सकती है। जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट की धारा २४५ व २४६ में लिखा हुआ है कि लगान कितना लिया जा सकता है परन्तु इस विधेयक की धारा ८७ के आधार पर कम किया जा सकता है, उस पर सिंचाई, बीज, खाद, उर्वरक तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये इसमें प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें ऋण मिलेगा। तो एक प्रदेश के अन्दर इस प्रकार के कानून होना कुछ उचित नहीं है।

जहां तक बटवारे का सवाल है कि बटवारा नहीं करा सकेगा तो यह भी उस ऐक्ट के विरोध में है। तो यह प्रजातंत्र के बिलकुल विरुद्ध है और एक तानाशाही कायम करके राज्य सरकार इस विधेयक को लायी है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस को पारित न होना चाहिये।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता विधेयक के, जो कि सदन में पेश हुआ है, पेश करने के पहले मैं सोचता था कि जब यह विधेयक सदन में आयेगा तो इस विधेयक के अन्दर ऐसा प्राविधान होगा, ऐसे नियम होंगे कि सहकारिता का आन्दोलन सूबे के अन्दर पनपेगा, लेकिन इस विधेयक को देखने से ऐसा पता चलता है कि सरकार की तरफ से इस विधेयक को जिन लोगों ने बनाया है शायद वे इसके सिद्धान्त को भी न समझते हों। सहकारिता का आन्दोलन इस देश में जिन लोगों ने चलाना चाहा, उनकी मन्शा यह रही है कि देश में शोषण बन्द हो। साधारण लोगों का शोषण जो बड़े लोग और पूंजीपति करते थे, वह बन्द हो। पर सरकार द्वारा जो सहकारिता का आन्दोलन चलाया गया है वह केवल चुनाव के लिये रुपया प्राप्त करना है। ये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

समितियां जो बन रही हैं वह केवल फर्जी तौर पर बन रही हैं। साधारण लोगों तक यह आन्दोलन नहीं पहुंच पाता है। बड़े बड़े लोग एक समिति अपने परिवारों के सदस्यों को मिला कर बना लेते हैं। हजारों रुपया डी० सी० डी० एफ० का गबन होता रहता है। इस विधेयक में कोई भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके। माननीय मंगला प्रसाद जी जब मंत्री थे तो रजिस्ट्रार साहब ने ऐसा विधान कर दिया कि ५०० रुपये तनख्वाह, कार तथा बंगला सब उपलब्ध है। मंगला प्रसाद जी का सारा मामला ठीक है। क्या माननीय बनारसी दास जी भी उन्हीं के पद-चिन्हों पर चलना चाहते हैं जो रजिस्ट्रार को सारे अधिकार दे रखे हैं। रजिस्ट्रार को सर्वाधिकार देने के मानी यह हैं कि माननीय मंत्री भ्रष्टाचार को और मजबूत करना चाहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिये तथा शोषण की कड़ी को समाप्त करने के लिये आवश्यक होता है कि आप अधिकारों को बांटे, विकेंद्रीकरण करें और समितियों के स्तर पर आप अधिकार दें लेकिन इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था न करके आपने सर्वाधिकार रजिस्ट्रार महोदय को दे दिये हैं। अगर साधारण लोगों तक, गांव के लोगों तक, आपको सहकारिता पहुंचाना है तो इस विधेयक को आपको रद्दी की टोकरी में फेंकना होगा। इस बिल के जरिये जो सत्ता सम्पन्न लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो मंत्री हैं और जो उनके सगे संबंधी हैं वही इन संस्थाओं में घुस जायंगे और जो विधान बनाया गया है उससे यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन जायंगी। पैसा इन समितियों से चुनाव लड़ने के लिये उनके पास आयेगा।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक का घोर विरोध करता हूं। इस विधेयक को देखकर कभी कभी यह शंका होने लगती है कि हमारे देश व प्रदेश के जिन माननीय नेताओं के हाथ में शासन सूत्र है क्या उनका विश्वास प्रजातंत्र से हिल गया है? इस विधेयक को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि एक सदरे रियासत के पद का सृजन किया जा रहा है निबंधक का। अधिकांश धारायें इस विधेयक में रखी गयी हैं जिनमें यह लिखा हुआ है "निबंधक जैसा चाहेंगे", "निबन्धक जैसा निश्चित करेंगे", "निबन्धक महोदय जैसा अधिकार देंगे"। एक जगह लिखा गया है कि निबन्धक अथवा राज्य सरकार। उसे देख कर मुझे अफसोस होता है कि राज्य सरकार के समकक्ष निबन्धक को करने की कोशिश की गयी है। इस सहकारी बिल से उत्तर प्रदेश के किसान अथवा जनता का हित होने वाला नहीं है। वर्षों से कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापक बिल सहकारी समितियों के संबंध में बनने वाला है जिसके जरिये सहकारिता को जन-आन्दोलन बनाया जायेगा। लेकिन इसे देखने से ऐसा मालूम हुआ कि जो कानून बन रहा है वह पहले से अच्छा नहीं है। बल्कि इस मानी में खराब ही है कि निबन्धक को पहले से भी अधिक अधिकार दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये कौन-सी सुविधा किसानों को पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है? मैंने सुना है कि दो वर्ष पहले इजरायल के एक किसान हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में आये थे और एक सप्ताह रहे थे। उनसे जब बातचीत हुई इजराइल के बारे में तो बतलाया गया कि वहां जो सहकारी समितियां हैं वे किसानों को खाद, बीज, आवश्यक यंत्र तक मुहैया करती हैं। किसान की जो भी उपज होती है उसको भी वे क्रय करती हैं और किसानों के सारे साधनों को जुटाती हैं और किसानों के माल को लेकर उसे अच्छे दाम दिलाती हैं। श्रीमन्, इस प्रकार से वहां के किसानों की हालत दुनिया के किसी भी हिस्से के किसानों से बेहतर है। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक में कौन-सी व्यवस्था की गई है जिससे हमारे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा है और मुझे भी भय है कि सहकारी कृषि समितियों के लिये जो छूट दी गई है उसका दुरुपयोग होगा। पहले भी दुरुपयोग हुआ है और अब भी होने की गुंजाइश है। हमारे साथी माननीय श्री राम जी कह

रहे थे कि ऐसी समितियां बनाई गई हैं जिनमें फर्जी सदस्य दिखाये गये हैं। बदायूं में तो एक सहकारी समिति ऐसी बनाई गई है जिसमें कुत्ते तक सदस्य बनाये गये हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, माननीय सदस्य कुत्ते वाली समिति का नाम बता दें।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, शायद मदरौला में है। इसके अलावा उसमें कुछ फर्जी नाम हैं। ऐसी सोसाइटियों को बड़े-बड़े भूमिपतियों ने बनाया है। ऐसे ही हमारे जिले में बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों ने अपने परिवार के लोगों तथा नौकरों को लेकर सहकारी कृषि समितियों की रचना की है और सरकार से हजारों रुपयों का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि यह खतरे की घंटी है। प्रदेश में जो एक एकड़ या दो एकड़ के किसान हैं उनके लगान बढ़ाने की आप बात करते हैं और सहकारी कृषि समितियों के नाम पर छूट दे रहे हैं बड़े-बड़े किसान सहकारी कृषि समितियां बनाकर लगान कम करा लेंगे, सिंचाई की दर कम करा लेंगे और इससे प्रदेश को काफी नुकसान होगा। इससे मान्यवर, सारे प्रदेश में एक असंतोष बड़े पैमाने पर फैलेगा और प्रदेश का किसान उठेगा और इस सरकार को खत्म कर देगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात इस संबंध में नहीं कहना चाहता था लेकिन मजबूर हुआ। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की १६ मीटिंग्स हुईं। इसकी सब से पहली मीटिंग नैनीताल में हुई। अगर मैं जनरल बहस करने लग जाऊं तो बड़ा समय लग जायेगा। इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ कोआपरेटिव बैंक की हालत मैंने माननीय बनारसीदास जी को बताई कि जब आपके सर्वश्रेष्ठ बैंक की यह हालत है तो सारे प्रदेश की क्या हालत होगी ? लेकिन श्रीमन्, मैं इस तथ्य में जाना नहीं चाहता हूं। माननीय काशीनाथ जी काफी कह चुके हैं।

सब से पहले कमेटी में माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने एक बड़ा बुनियादी सवाल रखा था जिसको हम सबने पसन्द किया था और माननीय बनारसीदास जी ने भी माना था। यह प्रश्न था कि कोआपरेटिव की परिभाषा लिपिबद्ध रखी जाय। इसके बाद भी कदम कदम पर सारी बातें काटते चले गये। मैं कहता हूं कि ६ आने भर में कमेटी में बिल को पसन्द कर आया था और दस आने भर इसके विरोध में था। मैं समझता था कि पहले कानून से थोड़ा बहुत चुनाव की पद्धति में सुधार हुआ है। इसलिये मेरा ऐसा विश्वास था कि यह विधेयक पहले से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे तकलीफ हुई जब मैंने सुना कि रजिस्ट्रेशन का मामला जो महत्वपूर्ण था उसमें हमने तय किया था कि रजिस्ट्रार को अधिकार न दिया जाय, उसको भी उन्होंने काट दिया। माननीय कृष्णानन्द राय जी से संशोधन रखवा दिया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि माननीय बनारसीदास जी का चपरासी आया था। वह हम से दस्तखत करा कर ले गया। मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी भी इस राय के समर्थक नहीं थे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और रजिस्ट्रार में कोई भेद नहीं है। राज्य सरकार की जेब में रजिस्ट्रार रखा रहता है और रजिस्ट्रार की जेब में सहकारी मंत्री रखे रहते हैं। म कहता हूं कि एसी दशा में कोई भी काम न्याय का नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा गलत काम यह किया कि जो बात सेलेक्ट कमेटी में सर्वसम्मति से मान कर आये थे, पूरे तौर से उसको कटवा दिया।

एक बात और कह दूं। भाई त्रिपाठी जी ने कोआपरेटिव खेती के ऊपर मौन रहने का संकल्प किया था। जन संघ ने कहा कि नहीं बोलेंगे। भाई रक्षपाल सिंह जी ने आज कहा कि मैं बिलकुल स्पष्ट राय का हूं कि सहकारी खेती का सिद्धांत बिलकुल सही है। सरकार के

[श्री राधेश्याम शर्मा]

इशारे से बड़ी बड़ी जोतों की फर्जी सहकारी समितियां बना लेना और उसी के अन्दर अलाभकर जोत वालों का लाभ न होना, इसमें हमारा मतभेद है।

तो मैं कहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में जो बात खूबसूरती से ट्राइबुनल में मान ली गयी थी, उसको थर्ड रीडिंग में मान लें तो मैं समझूंगा कि थोड़ा बहुत अच्छा हिस्सा विधेयक में हो जायगा। वरना निर्वाचन के अधिकार को छोड़कर यह विधेयक पिछले विधेयक से अच्छा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय बनारसीदास जी से आग्रह करूंगा कि जो बात वह पहले मान चुके ह उसको नैतिक आधार पर मान लें और मैं आशा करता हूं कि वह थर्ड रीडिंग में हमारी बात जरूर मान लेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, नहीं। समय नहीं बढ़ा सकते।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन इस आधार पर आधारित है कि साधनविहीन मिल कर साधन इकट्ठा करें और जिस काम को करना चाहते हैं प्रभावकारी ढंग से कर सकें। सहकारिता आन्दोलन इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सका। सहकारी आन्दोलन पीपुल्स मूवमेंट जो नहीं बन पा रहा था इस बिल के जरिये से भी वह लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका। इस बिल को पढ़ें तो एक जंगल की तरह से मालूम पड़ता है। वह तमाम कमजोरियां जिनको दूर करना चाहते थे, और सहकारी आन्दोलन को गरीबों का, साधनहीनों का आन्दोलन बनाना चाहते थे, वह नहीं हो सका। आज समाज में वेस्टेड इंटरेस्ट्स चाहे वह धनी लोग हों, बड़े किसान हों, या व्यापार में काम करने वाले लोग हों, आज वह फर्जी कोआपरेटिव बना कर सरकारी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी प्रकार से ब्युरोक्रैसी को यह बिल इतना अधिकार दे देता है कि वह सही मानों में जनता का आन्दोलन नहीं बन सकेगा।

माननीय बनारसी दास जी ने यह यकीन दिलाया था कि साधन सहकारी समितियों और दूसरी समितियों में जो कमजोरियां हैं वह दूर होंगी। इस यकीन के साथ बिल लाया गया था वह आशा पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक जीवित आन्दोलन के आधार पर उद्योग के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी हम एक आदर्श उपस्थित करें। मैं समझता हूं कि स्वयं बनारसीदास जी मायूस हुये होंगे, जिस प्रकार की सेलेक्ट कमेटी में उनकी कमजोरियां दिखाई गयीं और वे उन्हें दूर करने में असमर्थ रहे। सहकारिता आन्दोलन ऐसा होना चाहिये जो आम जनता का आन्दोलन बने और यह तभी होगा जब कि उनमें उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हो। और जो फर्जी लोग वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, उनमें जमकर उनको रोकने में हम समर्थ हों। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो खामियां इस विधेयक में रह गयी हैं, उन्हें माननीय मंत्री जी, चूंकि अब विधेयक पास होकर उसके नियम बनेंगे, नियमों के अन्तर्गत दूर करने में समर्थ होंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सहकारी विधेयक में जहांपर सहकारी खेती का खंड जोड़ा है, अधिक अन्नोत्पादन के लिये और कृषकों के विकास के लिये, मैं समझता हूं कि इससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें प्रदेश के भविष्य के लिये आगे चलकर पछताना पड़ेगा। सहकारी खेती का नारा लगाकर सरकार द्वारा सघन खेती के लिये प्रदेश और देश पर कुठाराघात किया गया है। अगर हम सोवियट रूस के भी आंकड़े रखकर देखे तो हमें मालूम होगा कि वहां पर कुल खेती का ४० प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में था और ६० पब्लिक सेक्टर यानी कोआपरेटिव सेक्टर में था। किन्तु जो ६० प्रतिशत कोआपरेटिव सेक्टर के अन्तर्गत खेती थी उसमें कुल उत्पादन का ४३ प्रतिशत उत्पादन हुआ जबकि ४० प्रतिशत जो खेती थी,उसमें कुल अन्न का ५७ प्रतिशत उत्पन्न हुआ था। इसी तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हम देखें और उसमें अन्न उत्पादन के आंकड़ों को उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो हमने उम्मीद की थी, जो हमने लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज्यादा उत्पादन हुआ जबकि पब्लिक सेक्टर में जो हमारा लक्ष्य था उससे कहीं कम हुआ। उपरोक्त उदाहरणों को देखकर और अपने अनुभव को देखकर भी हम फिर वही भूल करने जा रहे हैं और कृषि और कृषक का जो संबंध है उससे आप कृषक बन्धुओं को दूर करने जा रहे हैं। जो हमारे यहां खाद्यान्न की कमी है, भुखमरी है, मंहगाई है, उस पर आप देश को और अग्रसर करने जा रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि वह ऐसे विधेयक को पास न करे।

*श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप देख लें, मैं दो दिन से एक बार भी नहीं बोला हूं, यह आखिरी दिन है, बिल पास हो रहा है, मुझे भी २ मिनट बोल लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे बड़ा दुख है कि आप मेरे कहने पर भी बोलना चाहते हैं।

*श्री उग्रसेन—

मुझे इस बात का दुख है कि मेरे खड़े होने से आपको दुख हुआ। मगर मैं कुछ इस विषय पर सूत्रवत बात करना चाहता हूं। पहले यह कि यह माननीय मंत्री जी जितने गैर सहयोगी हैं, गैर-सहकारी हैं, उन्हें ही सहकारिता मंत्री का ऐसा महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। ५–५ वर्षों से जब जब सहकारिता की खामियों की तरफ, उसके दोषों की तरफ, माननीय मंत्री का ध्यान सदन में दिलाया गया तब तब यही उत्तर मिलता था कि हम बहुत जल्दी एक मुकम्मल विधेयक लाने वाले हैं, उसमें सबका समावेश हो जायगा और यह सारी खामियां दूर कर दी जायेंगी। अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की अधिकार भावना को समाप्त करके इसे अधिक से अधिक जनतंत्रीय बनाने की बात भी कही जाती रही है। किन्तु श्रीमन्, मंत्री जी बता दें कि इस विधेयक की किस धारा में इसे लोकतंत्रीय बनाया गया है

एक और खराबी इसके अन्दर है, वह यह है कि जो सहकारी बैंक का पैसा गांव में कर्ज लेते हैं, तो उसमें दिया नहीं जाता है, उसमें केवल कागज पर सुपरवाइजर और कामदार द्वारा दिया हुआ दिखा दिया जाता है। तो इतने गलत प्रकार से यह आन्दोलन चला है। ४०–४५ प्रतिशत रुपया केवल कागज पर जमा हो जाता है। सबसे बड़ा कोढ़ इस सहकारी आन्दोलन में यही है कि जो मंगला प्रसाद जी के जमाने में शुरू हुआ और पता नहीं माननीय बनारसीदास जी का ध्यान उस ओर गया है या नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कागज पर ५०,६० करोड़ होगा, लेकिन असल में कुछ और होगा। मैंने चीन और रूस की सहकारिताओं के आन्दोलनों को पढ़ा है। हमारे मित्र जो सहकारी फार्मों में कम लाभ की बात कह रहे थे वह गलत है। चीन ने सहकारी फार्मों से बड़ा धन कमाया। खैर, तो सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाइये, जनतंत्र को पनपाइये समाजवाद को आगे बढ़ाइये, चाहे वह भुवनेश्वर का हो, चाहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

जयपुर का और चाहे अवाड़ी का हो, कहीं का हो, लाना है तो उसी जनतंत्र, उसी समाजवाद को लाइये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री बनारसीदास—

माननीय उपध्यक्ष महोदय, इस तृतीय वाचन के अवसर पर लगभग उन्हीं बातों को दुहराया गया है जो पहले वाचन के समय कही गयी थीं। यह सहकारिता का विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया कि इसमें धारा ४ के अनुसार जो व्याख्या की गयी है उसके अनुरूप नहीं है। काफी वकील लोग बैठे हैं अगर कोई अंश परिभाषा के अनुकूल नहीं है तो वह हाईकोर्ट में चैलेंज होगा। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब परस्पर विरोधी बातें यहां कही गयीं। माननीय राधेश्याम जी से पूछता हूं कि किसने रोका है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप किसी प्रकार की सहायता न लें। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ लोग सहकारिता का नाम नारे की तरह पर लेते हैं, जो रचनात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिये वह नहीं है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों की समितियां हैं। सीतापुर में एक जनसंघ की है और भी बहुत सी जगहों पर हैं।

मुझे इस बात का दुख है कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने दूसरे सदन के माननीय सदस्य के ऊपर बिला जानकारी रखते हुए आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि श्री मंगलाप्रसाद ने पैसा लिया है। श्री मंगला प्रसाद ने एक पैसा वेतनके रूप में मिल्क फेडरेशन का नहीं लिया है और न भत्ते के रूप में एक पैसा लिया है। प्रदेश की मिल्क फैडरेशन ऐसी संस्था है जिसने सहकारिता के आधार पर प्रोजेक्ट्स बनाये हैं और जिसकी वजह से करीब-करीब कई लाख रुपये की बचत की गयी है। तो माननीय मंगला प्रसाद जी ने जो सेवा की है उसकी उपेक्षा कर के यह कहना कि उनके लिये तो रजिस्ट्रार ने ५ सौ रुपये का इंतजाम कर दिया है बिलकुल बेबुनियाद है और बिला सही सूचना के इस तरह का आरोप किया गया है। अभी तो जब हमने इस बात की व्यवस्था की कि जहां पर सरकारी अनुदान ६० प्रतिशत से अधिक हो वहां हम नामजद करें और सरकारी व्यक्ति ही चेयरमैन बने तो माननीय कमलासिंह जी यह कह रहे थे कि कांग्रेस को ही कीजिये लेकिन गैरसरकारी आदमी होना चाहिये और काशीनाथ जी यह कहें, दो दिमाग दो तरह से सोचें, काशीनाथ जी कुछ कहें, कमला सिंह जी कुछ कहें। कमला सिंह जी कहते हैं कि न इसमें कोई लोकतंत्र है और न डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रार रहेगा, साथ ही साथ नियंत्रण होगा। कानून के माने ही नियंत्रण है। आप गैर सरकारी ही रहने दीजिये कानून के द्वारा कभी आन्दोलन नहीं चला करते। आन्दोलन के माने ही होते हैं अनियंत्रित रूप से जो चले। आप अपना गैर सरकारी आन्दोलन चलाइये लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो नियंत्रण मानना ही होगा। मैं प्रवर समिति के और इस सदन के भी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस कार्य में इतनी दिलचस्पी ली और काफी प्रगतिशील बनाने की कोशिश की। मुझे प्रसन्नता है कि यहां से अब यह पास होने जा रहा है और बहुत जल्दी ही इस नये कानून के मुताबिक सहकारिता का आन्दोलन हमारे प्रदेश में चलेगा, सब जगह गैर-सरकारी लोग अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे और नयी आकांक्षाओं के मुताबिक हमारा काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

'नहीं' की संख्या अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, दूसरा विषय भी सामने है, इसको चलने दीजिये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी ओर से विभाजन की मांग की गई लेकिन आपने उसके लिये घंटी नहीं बजवाई और विभाजन नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मान गये। मैंने उनसे कहा था कि अगला आइटम लेना है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमने नहीं माना है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उस समय आपसे कहा था कि अगला आइटम लेना है तो इसको प्रेस न कीजिये उस समय आप मान गये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम तो डिवीजन की मांग करके अपनी सीट पर बैठ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिय समय नहीं था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह अधिकार हमारा है कि हम मांग करें।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय काशीनाथ जी ने विभाजन की मांग की, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। यह उनका अधिकार था। तो इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ दो मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपने हमारी तरफ से, जो मांग विभाजन की की गई उसको स्वीकार नहीं किया। आप यह गलत परिपाटी यहां पर न डालिये। घंटी बजवाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह विधेयक अब पारित हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपके इस गलत रवइये के विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

१९६५-६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदान तथा १९६०-६१ के अतिरिक्त अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

मैं वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के अतिरिक्त अनुदानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

रामपुर जिले के किसानों से सबसे अधिक लगान वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५० के अंतर्गत चर्चा

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत अनुग्रहीत हूं कि आपने रामपुर जिले के किसानों के सवाल पर मुझे इस विवाद का अवसर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अभी आंकड़ों द्वारा भी बतलाऊंगा । रामपुर जिले के किसानों के साथ सरकार की तरफ से अन्याय की भी पराकाष्ठा है और अंधेर की भी । अन्याय इस माने में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारत में इतना अधिक लगान कहीं भी किसानों पर नहीं है जितना कि रामपुर जिले में है । मैं आपको और सरकार की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लगान २५ रुपया कच्चे बीघे पर है जो सारे देश में कहीं नहीं है । आज मैं नहीं समझ पाता कि २५ रुपये बीघे कच्चे पर लगान देने वाला किसान कैसे अपने बच्चों का भरण-पोषण कर पाता होगा । अगर आप जिले का औसत लेना चाहें तो वह भी १७, १८ रुपये फी एकड़ निकलता है । यह भी इस प्रदेश का सब से ज्यादा लगान है जो वहां के किसानों को देना पड़ता है । अंधेर इस माने में है कि १९४९ में रियासत का विलीनीकरण हुआ और यह जिला बना। तब से विधान सभा में और बाहर इस मांग को कई बार दोहराया गया । यहां तक कि विधान सभा के डेढ़ सौ सदस्यों ने भी सरकार के सामने इस मांग को लिखित रूप में रखा कि इस लगान के सवाल को हल किया जाय, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह किसानों का दुर्भाग्य है अथवा विधान सभा का, कि उस प्रश्न पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया । १९४९ से आज तक अनेकों मांगें इस बारे में आयी होंगी किसानों और सदस्यों की और मंत्रिगणों के सामने भी, जो वहां समय समय पर जाते रहे हैं, रखी जाती रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ । मेरी यह भी जानकारी है कि रामपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बार नहीं, अनेक बार इस तरह के प्रस्ताव पास किये हैं और कांग्रेस मंडलों ने भी इस सवाल को उठाया है, लेकिन आज तक सरकार ने इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । न तो इसके लिये कोई आश्वासन ही दिया है और न कोई कमेटी ही बैठाई है ।

जहां तक इस जिले की पांच तहसीलों का संबंध है, उनमें से सदर तहसील, मिलक तहसील और शाहाबाद तहसील का लगान सब से अधिक है । दो तहसीलें बिलासपुर और सिवार हैं, उन में कम होने के बावजूद भी १२ रुपये कच्चे बीघा के हिसाब से लगान देना पड़ता है, लेकिन यह भी हमारे प्रदेश के अन्य किसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है । इन पांच तहसीलों के लगान को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह लगान सबसे अधिक है । किसानों की आज मांग है कि पड़ोस के जिले के किसान जो लगान देते हैं वह ही उनसे लिया जाय । बरेली, रामपुर के मुकाबले में बहुत बड़ा जिला है, लेकिन वहां से रेवेन्यू उतना नहीं आता जितना कि रामपुर से आता है । लिहाजा किसानों ने कई दफा यह मांग की है कि जो बिलासपुर और सिवार की तहसीलें हैं जो कि नैनीताल जिले से मिलती हैं उनका लगान नैनीताल जिले के बराबर किया जाय और जो सदर, मिलक और शाहाबाद की तहसीलें हैं जो कि बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जिले के पास हैं उनका लगान उन जिलों के मुताबिक किया जाय । यह तो न्याय की मांग किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की है कि वही पड़ोस के जिले जिनमें पैदावार भी उसी औसत से होती है, किसान भी उतने ही मेहनती हैं और साधन भी उतने ही हैं तो कोई कारण नहीं है कि स्वराज्य के बाद भी आज उतना ही लगान वह दें ।

मैं अधिक न कहते हुए माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों पर रहम खायें और तुरन्त लगान जो पड़ोस के जिलों का है वही वहां भी किया जाय । अगर इसकी जांच नहीं होती है तो यह किसानों के साथ अन्याय होगा और किसान इसको बहुत दिनों तक अब बरदाश्त करने वाला नहीं है ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ को बहुत ही आश्चर्य हुआ जब भाई विकल जी ने कहा कि बहुत ही अन्याय किसानों के ऊपर किया जा रहा है। लगान लगाने की कुछ हमारे प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं। बन्दोबस्त के जरिये हमारे यहां प्रथा रही है। पहले टेनेंसी ऐक्ट के मुताबिक व्यवस्था होती थी। बन्दोबस्त में इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि किस किस्म की जमीन है, क्या पैदावार है। ताल्लुकेदारी सिस्टम जहां रहा है वहां बड़े जमींदारों ने अपने अपने इलाकों में दस्तूर लगान ऐसा करा लिया था कि जो सर्किल रेट होता था और ज्यादा से ज्यादा लगान होता था उसके बीच का लगान लगाकर ठीक कर लिया करते थे। लेकिन जबसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, जनप्रिय सरकार बराबर रामपुर के इलाके के किसानों को राहत देती रही। यह तथ्य से परे है कि भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से, जो लगान वहां पर है वह बढ़ा चढ़ा है। यदि आंकड़ों को देखा जाय तो ४, ५, ६ क्रमशः जो बदायूं, मुरादाबाद, बरेली का है जबकि ८.६ और शून्य लगान आपके रामपुर का है। सरकार ने व्यवस्था की है कि जहांपर सीर का लगान रहा है, दुगने से ज्यादा लगान रहा है उसको कम कर दिया है रामपुर के लिये और सवाया तक कर दिया गया। अगर आपके बरेली में ६ रुपया लगान है तो उनका सीरदारी का ज्यादा यानी १२ रुपया हो सकता है, लेकिन ८ रुपया रामपुर का है। यह तो सरकार ने और कम किया है। यह कायदा कानून होने के बाद भी जब किसानों ने उससे अपने हक में कोई कार्यवाही नहीं की तो सुओ-मोटो सरकार ने स्वतः १५,५०० खातों का लगान ८९ हजार रुपया प्रतिवर्ष कम कर दिया। तो क्या अंधा-धुंध हुआ ? यह अवश्य है कि अगर लगान की दर को कम करना है तो वह विधिवत् कम होगा, उसमें जमीन की किस्म और पैदावार को देखना होगा ।

रामपुर में औसत पैदावार ८ मन फी एकड़ है। अगर १० मन का औसत माना जाय तो दाम लगाकर २०० रुपया हो जाता है। और हम लेते हैं लगान ४.५, यह औसत है, जब कि प्लानिंग कमीशन ने सुझाव दिया है कि हम २५ फीसदी के हिसाब से लें। मेरठ में औसत ८.६ है। रामपुर में ८.५८ है। जब कि बाराबंकी में ९.२ है। फिर यह रेट जिस समय तय हुये थे उस समय किसान की पैदावार का भाव क्या था, यह भी आप ध्यान में रखें। आज के भाव के हिसाब से लगायें तो वह बढ़ कर १०, १२ और १५ तक हो जायेगा। मेरे पास सब आंकड़े हैं, माननीय सदस्य अगर चाहें तो मैं उनको बता दूंगा। मगर यह कहना कि रामपुर में सबसे ज्यादा लगान है, यह गलत बात है। अगर इस समय हम बंदोबस्त करना चाहें तो वह १९९४ तक हो पायेगा। अगर हम यह करेंगे तो किसानों का कल्याण नहीं होगा, वही मसल होगी चौबे जी छब्बे बनने गये, दुबे ही रह गये। अगर आप किसानों का कल्याण चाहते हैं, तो यही रहने दें। शासन ने किसानों की सुविधा के लिये ८९ हजार रुपया मालगुजारी वार्षिक १५ ५०० खातों का कम कर दिया है। वर्त्तमान स्थिति में और कुछ करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

मंत्री जी ने जो लगान बताया है वह किसी खास तहसील का है, या पूरे जिले का औसत है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

औसत पूरे जिले का होता है ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पैदावार का हवाला दिया । पैदावार के हिसाब से मंत्री जी ने कहा कि रामपुर में सबसे अच्छी पैदावार होती है । मैं कुछ आंकड़े उनके सामने रखना चाहता हूं । मेरठ में और मुजफ्फरनगर में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी फसल होती है । पैदावार के हिसाब से मुजफ्फरनगर में आपका लगान ४१.८ है साल भर में, वहां का औसत आपका अनइर्रीगेटेड पर ३.८५ है, पर एकड़, इर्रीगेटेड पर ५.२९ है। मेरठ में लगान ५७.८ है, साल भर में। वहां का अनइर्रीगेटेड का औसत ४.०६ है मगर इर्रीगेटेड का ४.९४। मगर इन दोनों जिलों को सामने रखते हुये जो सबसे ज्यादा पैदावार के जिले हैं और रामपुर जो मुरादाबाद जिले की दो तहसीलों के बराबर जिला है उसमें लगान ३८.२ पड़ता है जबकि औसत आपके अनइर्रीगेटेड का ६.३६ और इर्रीगेटेड का ८.९८ है। यह देखते हुए क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा जिला है जिसका औसत रामपुर के मुकाबले में कम हो ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, ८.६ मैंने औसतन लगान फी एकड़ का बताया। जब आपके मेरठ का ८.६ कमोबेश थोड़ा था। औसत करीब करीब बराबर के हैं । जैसा मैंने मेरठ का बताया। अगर इसकी हस्तिनापुर तहसील को देखा जाय तो वहां की पैदावार कहीं अच्छी है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला और मेरठ का बहुत सा इलाका जरखेज है तो इसमें और इलाकों से थोड़ा बहुत फरक तो पड़ेगा ही। उसी तरीके से जहां तक आपके रामपुर जिले का सवाल है उसको हम स्वीकार करते हैं कि वह काफी जरखेज इलाका है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

आपने स्वयं माना है कि हमने इसका लगान ८९ हजार घटा दिया। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन काश्तकारों का लगान सर्किल रेट से बढ़ा हुआ था इसलिये घटा दिया गया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बढ़ा हुआ था या घटा हुआ था इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैंने पहिले ही निवेदन किया था कि हाईयेस्ट नहीं हाई जरूर है और इसी दृष्टि से प्रतिवर्ष १५,५०० जो खाते थे उनका ८९ हजार रुपये प्रतिवर्ष घटा दिया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आंकड़ों के हेर-फेर में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रामपुर में जो लगान प्रदेश में सबसे ज्यादा है उसको ऐसा करेंगे कि वह दूसरे जिलों के बराबर हो जाय ? वह इस लिहाज से गलत कहते हैं कि वहां के किसानों की मालगुजारी दूसरे जिलों के बराबर है ।

श्री रामकुमार शास्त्री —

मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं कह दूं कि माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। मैं बिलकुल यही समझता हूं कि वे सही कह रहे होंगे। जहां पर जमीन फर्टाईल होगी और जहां नहीं होगी वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो कमोवेश हो सकता है। मेरठ में और बाराबंकी में एक दूसरे की जमीन की प्राडक्टिविटी के हिसाब से कमोवेश लगान है। आप ठीक ही चाहते हैं कि किसानों के कल्याण के लिये हमें कम करना चाहिये। १५,५०० खातों पर हमने ८९ हजार प्रति वर्ष कम कर दिया और क्या आप चाहते हैं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो विकल जी ने प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं। किसानों का मामला है इस पर ध्यान दिया जाय और इस लगान को कम किया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रक्खेंगे कि रामपुर का जिला स्टेट मर्ज होने के बाद आपको मिला। वह एक स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज में आपको मिला है, साधारण तरीके से वह आपको नहीं मिला है। उसके मिलने के पहिले वह हिज हाईनेस का इलाका कहलाता था और मजदूर ठेकेदार लोगों के लगान को बोली बोलकर एक काश्तकार से दूसरे काश्तकार को दे दिया करते थे। उसके अलावा जब यह मर्ज हो गई तो मुरादाबाद जिले के भी दस गांव इस जिले में मिलाये गये। वे चनूपुर, गोदीपुरवा इत्यादि हैं। तो इस वक्त अकेला जिला रामपुर का उत्तर प्रदेश में है जिसमें भिन्न २ प्रकार का लगान है। जो इलाका मुरादाबाद जिले से आया था उसमें दूसरी प्रकार का लगान है। और जैसा विकल जी ने बताया चार पांच किस्म का लगान अकेले जिले में है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चूंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेज में वह जिला आपको मिला है तो क्या वहां आप ऐसा बन्दोबस्त कराने की कोशिश करेंगे कि जिससे भिन्न भिन्न प्रकार का लगान न रहकर के समान लगान बाकी उत्तर प्रदेश की तरह हो जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६३ की लिखा-पढ़ी और रामपुर के जो नवाब थे उनकी भी लिखा-पढ़ी फाइल में है और किसानों के हित के वास्ते बराबर कोशिश की गई है। महकमा माल के लोग जाकर के वहां की स्थिति को देखते रहे हैं और जांच पड़ताल काफी करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो १५ हजार पांच सौ खातों के लगान को हमने प्रतिवर्ष घटाया है। तो जो कुछ भी फ्लक्चुएशंस रहे हों उनको तो हम मानते ही हैं, मैंने पहले ही अर्ज किया ताल्लुकेदारी जमाने में लोगों ने लगान ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर करवा लिये थे, तो हो सकता है कि फर्क हो, मुझको इस बात की इत्तिला नहीं है।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)--

हमारे मंत्री जी को कुछ वहां की जानकारी नहीं है। जो घटाया है ८९ हजार वह आपने अपने जमाने का घटाया है, पहले का नहीं। पहले तो काश्तकारों का नीलाम होता था, लोग बोली बोलते थे बाकायदा और मुश्तजिर जो थे वह दूसरों को ठेका दे देते थे, तो आप यह तो देखिये कि नैनीताल, मुरादाबाद और रामपुर में फर्क है, मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि नैनीताल का जो लगान है उसका औसत क्या है और रामपुर के लगान का क्या औसत है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

मुरादाबाद में है ५.४८, बरेली का ६.९३, बदायूं का ४.१५.... (व्यवधान) नैनीताल का मेरे पास नहीं है लेकिन ऐडज्वाइनिंग जिलों का है। यह बात सही है कि मुझको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

तफसील ज्यादा नहीं मालूम है, चूंकि वह वहां के बाशिन्दे हैं, वहां की सारी दिक्कतों और परेशानियों को जानते होंगे लेकिन मेरे पास जो जमींदारी एबालीशन के बाद के आंकड़े हैं उसकी जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी शायद माननीय सदस्य को न हो, अगर वह चाहें तो हमारे दफ्तर में आकर देख सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--

जो औसत लगान माननीय मंत्री जी ने बता दिया, मैं जानना चाहूंगा कि सदर तहसील में अधिक से अधिक लगान किसान को क्या देना पड़ता है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया, मेरे भाई विकल जी ने उसको सुना नहीं। मैंने बताया कि ८.६ सारे जिले का औसत है। डिटेल अगर चाहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, रामपुर की जो जमींदारी थी वह सारे प्रदेश से भिन्न थी। यह पहले स्टेट थी और वहां पर पहले जो लगान लगता था वह सर्किल रेट से या यू० पी० टैनेन्सी ऐक्ट से नहीं लगता था और न सेटिलमेंट ही हुआ वहां पर, अब असम्भवतः सरकार ने इधर किया हो तो दूसरी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा २४५ और २४६ के अनुसार सर्किल रेट के आधार पर लगान होना चाहिये, इससे अधिक अगर लगान वहां हो तो उसको कम कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

और जगह सर्किल रेट से दूने से अधिक है तो दूना तक कर देने का आदेश है लेकिन यहां पर तो हमने सवाया कर दिया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

जमींदारी खात्मे के वक्त क्या लगान आपको काश्तकारों से मिलता था और आज कितना मिलता है ? ६ से २६ और २७ करोड़ हो गया है यानी १९-२० करोड़ रुपये आपकी आमदनी में इजाफा है और ताल्लुकेदारों और जमींदारों के जमाने में तमाम बेदखलियां वगैरह होती थीं और इस तरह काफी इजाफा लगान में हुआ है तो क्या सरकार और किसान का दम भरने वाली सरकार इस बात पर विचार करने को तैयार है कि आज से ५० साल पहले का जो बन्दोबस्त है उसके आधार पर आप लगान लगावें न कि ताल्लुकेदारों और जमींदारों का बढ़ाया हुआ लगान लगाया जावे जिसका रामपुर शिकार हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १८१५ में इसी सूबे के गोंडा जिले में रुपये का १०० सेर चावल तथा १०० सेर गेहूं मिलता था। तो जो प्रोड्यूस होता है और जो कीमत होती है उसी के आधार पर लगान लगाया जाता रहा है। इस समय जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए किसानों के कल्याण के लिये ही सरकार ने यह व्यवस्था की है। किसानों के लिये अमेंडमेंट तो हम लावें लेकिन क्यों लावें जब कि उससे किसानों का कल्याण न हो। अगर प्रोड्यूस के आधार पर लगान निश्चित किया जाय तो कहीं कहीं ८, १० और १२ रुपये फी एकड़ तक लगान हो सकता है। हम तो किसान का कल्याण चाहते हैं। यह सही है कि कुछ पड़ोस के जिलों में लगान बढ़ा हुआ है लेकिन उसमें १९-२० का फर्क है और उसकी तरफ भी हमारी निगाह है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर में लगान का सर्किस रेट पहले क्या था और इस वक्त क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

लगान का औसत फी एकड़ ८.६ रुपये है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जहां वे मूल्यांकन के आधार पर मालगुजारी का रेट फिक्स कर रहे हैं वैसे ही बस्ती जिले में चावल का भाव तय करने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

बस्ती जिले का मसला नहीं है, यह रामपुर का मसला है।

श्री रामअवध---

श्रीमन्, यह कहा गया है कि सन् १८९३ से लेकर १९४४ तक प्रदेश का लगान ४२ प्रतिशत तक बढ़ चुका है तो इसी आधार पर फर्स्ट और सेकेन्ड फाइव ईयर्स प्लान में सिफारिश की गयी थी कि इस प्रदेश के किसानों का लगान कम किया जाय, तो क्या सरकार उस सिफारिश के आधार पर लगान कुछ कम करने को तैयार है या नहीं तैयार है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जब तक सारी बात हमारे सामने न हो, इस तरह से स्पष्ट रूप से मैं नहीं जवाब दे सकता हूं कि सरकार इस समय लगान घटाने की स्थिति में है अथवा नहीं।

श्री कल्याणराय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसान बाजार से जिन चीजों को खरीदते हैं उनका भाव पहले क्या था और अब महंगाई के जमाने में उनका क्या भाव है ? पहले जो कपड़ा ६ पैसे गज था आज डेढ़ रुपये है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

मैंने आपका सवाल सुना नहीं है।

श्री कल्याणराय---

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वे लगान के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों को जितनी भी सहूलियत संभव हो सकती है, उतनी देती है। यह बात जरूर है कि किसानों को तकलीफ है और माननीय सदस्य को भी उससे तकलीफ है, इसमें मैं उनके साथ हूं लेकिन इधर हमारे भी कुछ लिमटेशन्स हैं।

श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)---

माननीय मंत्री जी ने यह बात तो मान ही ली है कि रामपुर में लगान आसपास के जिलों से ज्यादा है तो फिर माननीय मंत्री जी ऐसा संशोधन क्यों नहीं ले आते जिससे उनका लगान कम हो जाय। इसमें उनको क्या परेशानी है। यह बात संविधान के विरुद्ध भी तो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि जब वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि और जिलों से ज्यादा है तो उनका कम क्यों न कर दिया जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

लगान परिवर्तन करने का कार्य केवल बन्दोबस्त के द्वारा ही हो सकता है। बन्दोबस्त ४० साल तक होना नहीं है। वह ९४ में ही होगा। अमेंडमेंट भी ला सकते हैं लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट लायें तो वह किसानों के कल्याण के लिये तो हो। फर्क केवल कुछ अंशों का है। कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है। अब अगर बन्दोबस्त हमने कराया और लगान दुगना और तिगुना हो गया तो बजाय राहत के कष्ट हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आधा घंटा समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

तालिका

	वित्तीय वर्ष ६२–६३ से अब तक कुल नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	उपरोक्त में से नियुक्त किये गये हरिजन कर्मचारियों की संख्या
मलेरिया उन्मूलन अधिकारी, फतेहपुर द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी :		
ड्राइवर	१	०
क्लीनर	१	१
चपरासी	१	०
निम्न श्रेणी क्षेत्रीय कर्मचारी ..	१	०
उच्च श्रेणी क्षेत्रीय कर्मचारी ..	१	०
चौकीदार	१	०
मेहतर	०	०
स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक (मलेरिया), उत्तर प्रदश द्वारा नियुक्त कर्मचारी––		
लिपिक	२	०
वरिष्ट मलेरिया निरीक्षक ..	०	०
मलेरिया निरीक्षक	२	०
सर्वेक्षण निरीक्षक	७	३
प्रयोगशाला प्राविधिक ..	२	०
उप सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक मलेरिया उन्मुलन इलाहाबाद द्वारा नियुक्त गृह निरीक्षक	७६	१७

पी० एस० यू० पी०––ए० पी० १२० एल० ए०––१६६५––८६२ ।